द्वितीयमाला खण्ड ५४—अंक ४१

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१
२१ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में

द्वितीय माला खण्ड ५४--अंक ४१ से ५०--११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१--मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८३–८४

४८८४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२--बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–९४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–९४

कायं मंत्रणा समिति . ५१९५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१९६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव—

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१—०२

सभा का कार्य . ५३०२—०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३—६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३—४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५—६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३—६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०—७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३—९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९—५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२—३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८—९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१—९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४—९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९—५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८--बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार कर ने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६९—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३९, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५९०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५९०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य--

क्यूबा की स्थिति . . . . ५९०७—०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५९०९—११

वित्त विधेयक, १९६१--

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५९६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१

२१ चैत्र, १८८३ (शक)

(लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरकों का उत्पादन

†*१४३३. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त्यागी :
श्री साधन गुप्त :
श्री सोमानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनकी पूर्ति हो गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी रह गयी है और इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विवरण में चालू वर्ष के केवल नौ महिनों के लिए उत्पादन दिया गया है। पिछले वर्षों में क्या स्थिति थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उत्पादन पूरे वर्ष के लिए है, न कि नौ महिनों के लिए। पहले नौ महिनों के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण वर्ष के लिए उसका हिसाब लगाया गया है। उत्पादन की औसत दर सम्पूर्ण वर्ष में फैलायी जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विवरण से यह मालूम होता है कि सिंदरी कारखाने में उत्पादन की कमी अच्छी किस्म का कोयला पूरी मात्रा में न दिये जाने के कारण हुई । अब क्या स्थिति है, क्या अब अच्छी किस्म का कोयला दिये जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी हां । कोयला सम्बन्धी सिंदरी की आवश्यकता अब पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है । इस बीच गैस जेनरेटर खराब हो गये हैं और उनकी सफाई-मरम्मत करानी होगी ।

†**श्री पलनियाण्डी** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक की कितनी प्रतिशत मांग पूरी की जाने की संभावना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उर्वरक की मांग वास्तविक उत्पादन से कहीं अधिक है । अभी भी ५ लाख टन नाइट्रोजन की मांग है । लेकिन उत्पादन १ लाख टन से कुछ थोड़ा ही ज्यादा है । अतिरिक्त १ लाख टन विदेशों से मंगाया जा रहा है । अनुमान है कि सभी कारखानों में उत्पादन शुरू हो जायगा और अर्थात अधिक होगा, तब हम उर्वरक की बढ़ती हुई मांग पूरी कर सकेंगे । लेकिन स्थिति तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कठिन ही बनी रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर दिन उर्वरक के सम्बन्ध में प्रश्न आते हैं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री बासप्पा** : इस बारे में जांच हुई थी । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतया हाउस आफ कामन्स में एक प्रश्न पर केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति दी जाती है । यहां पहला घंटा केवल अनुपूरक प्रश्नों के काम आता है और हम प्रश्न बिलकुल निबटा नहीं पाते । इससे आगे अब मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

छोटी कारों का उत्पादन

+

†*१४३४. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मं० र० कृष्ण :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सम्पत :
श्री सै० अ० महदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री सुब्बया अम्बलम :

---

†मूल अंग्रजी में

श्री अरविन्द घोषाल :
श्री पलनियाण्डी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उस्मान अली खां :
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कारों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या वर्कशाप स्थापित करने के लिए स्थान का निश्चय कर लिया गया है; और

(ग) क्या विदेशी फर्मों के साथ सहयोग सम्बन्धी समझौता हो गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में देश में कम कीमत वाली मोटर गाड़ी तैयार करने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए २० अक्तूबर, १९६० को विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी । यह समिति अन्य बातों के साथ साथ ऐसे नमूनों की जो उसकी राय में लगभग ५,००० रुपये कारखाना-निकलना मूल्य के अन्दर तैयार किये जा सकते हैं, और विदेशी सहयोग की सर्वोत्कृष्ट शर्तें बताने तथा कारखानों के लिए सर्वोचित समझे जाने वाले स्थानों की सिफारिश सरकार से करेगी । अगले कुछ हफ्तों में इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है । सरकार को समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद सरकार इन प्रश्नों तथा इन से संबद्ध प्रश्नों पर निर्णय करेगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह गाड़ी कब तक बाजार में आ जायगी और उसकी कीमत लगभग क्या होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९६३ में, जैसाकि मैंने सभा को बताया था ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : लगभग कीमत क्या होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह सब सभा के सामने रखे गये संकल्प में दिया हुआ है । लागत का हमारा अनुमान यहां दिया हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोटी गाड़ी बनाने में कोई दिलचस्पी है और यदि हां तो उसने क्या प्रगति की है और क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत सरकार मोटर गाड़ी का उत्पादन चाहती है । सभी मंत्रालय उसमें सम्बद्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : लेकिन स्थिति क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं पहले ही बता चुका हूं ।

†**श्री ो० चं० शर्मा** : वह कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा जो ५,००० रुपये के कारखाना-निकलते मूल्य पर गाड़ी तैयार करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसे कि मैं बता चुका हूं, १९६३ में छोटी कार का उत्पादन संभवतः शुरू होगा । सरकार द्वारा निश्चय किये जाने के बाद कारखाना स्थापित होने में १८ महीने लगेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : समिति ने कितनी योजनाओं पर विचार किया और क्या उसने फ्रांसीसी रैनौ कार और जर्मन कार चुनी हैं ? यदि हां, तो कई गाड़ियों में से यह दो गाड़ियां कैसे चुनी गयीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति की रिपोर्ट के साथ जब निर्णय सभा को मालूम होगा तब यह सब मालूम हो जायगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : सरकार छोटी गाड़ियों के लिए आवश्यक सभी पुर्जे कब तक तैयार कर सकेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह सब कई दौर वाले कार्यक्रम पर आधारित होगा । अनुमान है कि उत्पादन शुरू होने से ३० या ३६ महीनों के बाद मोटर गाड़ी पूर्णतः देशी होगी ।

श्री ब्रजराज सिंह : इस बात को देखते हुए कि अपने देश में पक्की सड़कें बहुत नहीं हैं, क्या सरकार के विचार में ऐसा कोई प्रस्ताव है कि गांवों में और कच्ची सड़कों पर चलाने के लिए सस्ती जीप कारों का निर्माण कराया जाय ?

श्री मनुभाई शाह : फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है । हम ने काम अभी शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता सब डेवलपमेंट हो जायगा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : किन देशों के साथ बातचीत चल रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति की रिपोर्ट और सरकार का निश्चय उपलब्ध होने के बाद वह सब सभा को मालूम हो जायगा ।

श्री म० ला० ि वेदी: इस स्मॉल कार के बनाने के सम्बन्ध में लगभग तीन साल से विचार विमर्श हो रहा है लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौन से मौडेल की कार बनेगी और उसका काम कब शुरू हो जायगा ? क्या मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने सब डाल दिया है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : जापानी व्यापार मंत्रालय के सहयोग से जनता की गाड़ी तैयार करने के लिए क्या उसके साथ बातचीत हुई थी और उस बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने कहा है कि जब स्मॉल कार कमेटी आने वाले चंद हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उस पर भारत सरकार अपना निर्णय देगी तो सारी बात हाउस के सामने आ जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना

+

*१४३५. श्री भक्त दर्शन :
श्री मो० ब० ाकुर :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था क्या उस पर उर्वरक टैक्निकल समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर कोई निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री स तोश चन्द्र) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में उर्वरक का एक कारखाना लगाने का निश्चय किया गया है। इस कारखाने की स्थापित क्षमता ८०,००० टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष के लगभग रखी गयी है। आखिरी उत्पादन यूरिया होगा। यह प्रायोजना सरकारी क्षेत्र में होगी तथा फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अमल में लाई जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह फैक्टरी किस स्थान पर स्थापित की जा रही है और कब से इसका वास्तविक कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री सतोश चन्द्र : यह फैक्टरी अभी तो गोरखपुर में लगाने का विचार है। जापान से टेकनीकल टीम आई हुई है और वह मौके पर जगह देखने के लिये जा रही है और उसकी पूरी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। अभी वह यह कहना मुश्किल है कि कब यह काम शुरू होगा और कब तक पूरा होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस उर्वरक कारखाने की लागत क्या होगी और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

†**श्री सतोश चन्द्र** : इस समय पूंजीगत निदेश लगभग २० करोड़ से २२ करोड़ रुपये होगा और उसमें १० करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में होगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह कारखाना सरकार द्वारा चालू किये जाने का विचार है या किसी गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा चालू किया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही बता चुके हैं कि वह सरकारी क्षेत्र में होगा।

†**श्री कालिका सिंह** : उत्तर प्रदेश में किसी विशिष्ट स्थान पर ही यह कारखाना बनाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष म ोदय : सबसे पहले माननीय मन्त्री को यह उत्तर देना है कि क्या वह कारखाना किसी विशिष्ट राज्य में, तब किसी खास शहर में और तब किसी खास गांव में बनाया जायगा ?

†श्री कालिका सिंह : कच्चे माल की उपलब्धि के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : इस कारखाने की जगह नियत कराने के लिये एक समिति बनायी गयी थी। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि संसाधनों की उपलब्धि, जनशक्ति, तकनीकी जानकारी, पानी सप्लाई, बिजली और बहुत सी बातों के आधार पर इसका निर्णय करना होगा।

†श्री विश्वनाथ राय : कारखाने की जगह तय करने में इतनी देर क्यों हुई ?

†श्री सतीश चन्द्र : अस्थायी रूप से गोरखपुर तय किया गया था। लेकिन अभी एक दो हफ्ते पहले जापान से आया हुआ विशेषज्ञ दल रेलवे मन्त्रालय से बातचीत कर रहा है कि इतना भारी सन्यन्त्र बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर भेजना सम्भव होगा।

†श्री कालिका सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि गोरखपुर में एक कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है। तो क्या यह कारखाना दूसरा कारखाना है जिसके सम्दबन्ध में माननीय मन्त्री कहते हैं कि स्थान अभी निश्चित करना है अथवा यह वही कारखाना है जो पहले गोरखपुर में स्थापित किया गया था और जिसके लिये विशेषज्ञ दल आ रहा है।

†श्री सतीश चन्द्र : यह वही कारखाना है। अस्थायी रूप से यह निश्चय किया गया था कि उसे गोरखपुर में बनाया जाये जब तक कि तकनीकी कठिनाइयों की रुकावट न हो।

श्री भक्त दर्शन : श्रमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस फैक्टरी का पूरा भार केन्द्रीय सरकार पर होगा, अथवा राज्य सरकार से भी कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है और उसका भी कोई शेयर होगा।

†श्री सतीश चन्द्र : यह बिल्कुल केन्द्रीय सरकार की तरफ से है।

†श्री विश्वनाथ राय : इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर उत्तर-पूर्व रेलवे में मेनलाइन पर है, कारखाना शीघ्र स्थापित करने में क्या कठिनाई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : रेलवे मन्त्रालय [illegible]ाथ प्रारम्भिक चर्चा से यह दिखलायी पड़ता है कि मीटरगेज लाइन पर १०० टन वाले टुकड़े नहीं ले जाये जा सकते और मध्यवर्ती स्टेशनों पर बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर लादने में कठिनाई होगी।

†श्री त्यागी : क्या गोरखपुर में जिप्सम या चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो यह कारखाना ऐसी जगह क्यों नहीं खोला जाता जहां काफी मात्रा में जिप्सम उपलब्ध हो ?

†श्री सतीश चन्द्र : यूरिया के उत्पादन के लिये न तो जिप्सम और न ही चूना पत्थर की जरूरत होती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में में गोरखपुर के बारे में निर्णय करने से पहले उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों के बारे में विचार किया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत से स्थानों के बारे में गौर हुआ था—गोरखपुर और बाराबंकी लखनऊ और कानपुर के बीच की जगह, हाथरस, फर्रुखाबाद, शाहजहानपुर इत्यादि।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आशंका है कि हम बहुत विस्तृत बातों का विवेचन कर रहे हैं। उद्योगों के बंटवारे के सम्बन्ध में जिस राज्य को अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को मैं यह पूछने की अनुमति दे सकता हूं कि 'इसे मेरे राज्य में क्यों नहीं स्थापित किया जाता' लेकिन यह पूछना कि 'अमुक खास नगर या गांव में यह क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता' बहुत अधिक गहराई में जाना है। अगला प्रश्न !

मकान और भवन निर्माण विशेषज्ञों का दौरा

†*१४३६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री एशिया और दूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की ओर से मकान और भवन निर्माण विशेषज्ञों के दौरे के बारे में १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : सामान्यतया विशेषज्ञों की सिफारिशें मकान और भवन निर्माण वस्तुओं के विषय पर हमारी विचारधारा के अनुरूप ही होती हैं सिवा इसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में हम यह समझते हैं कि किन्हें उपयुक्त मकान देने की जिम्मेदारी स्वतः मालिकों की है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस सिफारिश पर एशिया सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक आयोग से कोई राय मांगी गयी थी या प्राप्त हुई थी और क्या वह राय विभिन्न राज्यों में नगर आयोजकों को भेज दी गयी थी और उनकी राय उस पर ली गयी थी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : पिछले नवम्बर के आखिर में एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की मकान तथा भवन निर्माण वस्तु समिति ने इस रिपोर्ट पर चर्चा की थी और इस शिष्ट-मण्डली की सिफारिशों का सामान्यतया समर्थन किया। रिपोर्ट की बीस प्रतियां हमें भेजी गयी थीं और हमने यह राज्यों को भेज दी है।

†**श्री पलनियाण्डी** : जब मालिक मकान बनाने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं तब सरकार क्यों नहीं कर्मचारियों को मकान देने के लिये कार्यवाही करती ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : माननीय सदस्य को यह अवश्य मालूम होगा कि सरकार राज्यों के जरिये कर्मचारियों के लिये काफी संख्या में औद्योगिक मकान बना रही है। अभी तक बनाये गये औद्योगिक मकानों में लगभग ८० प्रतिशत राज्यों ने बनाये हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : बागान कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका उपयोग नहीं किया गया है। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न नहीं होगा। जहां तक बागान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, भारतीय बागान अधिनियम के अन्तर्गत एक विहित उत्तरदायित्व है और जो मालिक इस विषय में अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं करते, उनके विरुद्ध राज्य दांडिक कार्यवाही कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में कागज निर्माण परियोजना

+

†*१४३८. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्काटलैण्ड की ३ फर्मों ने कलकत्ता में कागज तैयार करने वाली मशीनों के निर्माण की एक परियोजना स्थापित करने के लिये, जिसमें ५०० स्थानीय कर्मचारियों को काम मिलेगा, १० लाख रु० से एक संघ (कंसोटियम) कायम किया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): कागज बनाने वाली मशीन तैयार करने के लिये ब्रिटेन की तीन फर्मों के सहयोग से टीटाघर में बरट्राम-स्काट (प्राइवेट) लिमिटेड नाम से एक नयी कम्पनी स्थापित करने के लिये मेसर्स एफ० डब्ल्यू० हेलगर्स एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक लाइसेंस दिया गया था। इस कम्पनी की प्रस्तावित निर्गमित पूंजी १० लाख रुपये है। उस पार्टी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार प्रारम्भ में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या ६० है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पेपर मशीनरी बनाने का प्राजेक्ट यहां पर स्थापित हो रहा है, उस में इंडियन शेयर क्या होगा।

श्री मनुभाई शाह : ४० परसेन्ट इंडियन और ६० परसेंट फारेन।

†श्री कालिका सिंह: क्या भारत में ऐसी कोई दूसरी फर्में हैं जो कागज तैयार करने की उसी ढंग की मशीनें तैयार करती हैं या तैयार करेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : लगभग आठ कारखाने।

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह मतलब है कि वे पहले से काम कर रही हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, वे पहले से ही स्वीकृत और लाइसेंस शुदा हैं।

†श्री कालिका सिंह : इन कम्पनियों की कुल पूंजी क्या होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : वह प्रत्येक कारखाने के लिये अलग अलग है। यदि माननीय सदस्य को किसी खाद्य कारखाने में दिलचस्पी हो तो वह मुझे बतायें।

कागज का कारखाना

†*१४३९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कागज के कारखाने का आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद आकार कितना है ;

(ख) क्या भारत में ऐसे कारखाने भी हैं जिनका आकार इस से छोटा है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के आकार में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या भारत में कागज के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (ग). कागज के कारखाने का आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद आकार प्रत्येक मिल के लिये अलग अलग होता है जो किसी खास मिल में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल की तरह कई बातों पर निर्भर है। चार कारखाने ऐसे हैं जो बांस के रूप में कच्चे माल पर आधारित हैं जिन्हें लाभप्रद आकार से छोटा समझा जाता है। उन में से तीन को लाभप्रद आकार तक विस्तार करने के लिये पहले ही लाइसेंस दिया जा चुका है और चौथी मिल विस्तार लाइसेंस के लिये आवेदन करने के बारे में विचार कर रही है।

(घ) जी हां कागज और गत्ते का उत्पादन १९५६ में १,९३,४०० टन से १९६० में ३,४५,५२५ टन तक बढ़ गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : जो कागज मिलें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं उन्हें क्यों लाईसेंस दिये गये ;

†श्री मनुभाई शाह : उन्हें पहले से ही दिया गया था।

†श्री त्यागी : यह पूछ रहे हैं कि क्या वे भौगोलिक दृष्टि से वहां हैं।

†श्री मनुभाई शाह : वे माननीय सदस्य के राज्य में ही हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन मिलों को सरकार कितना रुपया उधार दे रही है ताकि वे आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो सकें या वे अपने ही संसाधनों की सहायता से लाभदायक हो रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सब प्रत्येक उद्यम पर निर्भर है। सरकार ने इस के लिये प्रत्यक्ष किसी कम्पनी को रुपया नहीं दिया है। व औद्योगिक वित्त निगम या अन्य ऋण संस्थाओं से मांग सकती हैं जब कभी उन्हें जरूरत हो।

डा० गोविन्द दास : अभी की मिलों के सिवा कागज का, और खासकर न्यूजप्रिंट का उत्पादन और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिये क्या इस तरह की कोई योजना सरकार के सामने है, जिस से सरकारी स्तर पर, या व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की मिल की, खासकर न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाली मिल की स्थापना हो ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने कागज के सारे उद्योग के बारे में सवाल पूछ लिया है। मैं ने सदन के सामने इस मामले को बहुत दफा साफ किया है कि हम ने कागज की २६ बड़ी फैक्ट्रियों और ९८ छोटी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया है, जिस से तृतीय पंचवर्षीय योजना के ९ लाख टन के लक्ष्य से भी दो लाख टन आगे बढ़कर ११ लाख टन के उत्पादन का प्रबन्ध किया गया है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भारत में फिल हाल कागज की कितनी कमी है ?

†श्री मनुभाई शाह : ५०,००० टन।

†श्री बासप्पा : कागज मिल के लाभदायक आकार के बारे में मंत्रालय की क्या राय है ?

†श्री मनुभाई शाह : अब तो प्रौद्योगिकी इतनी अधिक उन्नत है कि एक छोटी कागज मिल को भी बड़ी कागज मिल की तुलना में लाभदायक और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। सभा यह स्वीकार करेगी कि हमने छोटे उद्योगों का आन्दोलन चालू किया है जिस में कागज तैयार करने का उद्योग भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : वह क्षमता जानना चाहते हैं ।

†श्री मनुभाई शाह : एक टन प्रति दिन से १०० टन ।

†श्री पट्टाभिरामन् : इस प्रयोजन के लिये कच्चे माल की नियमित सप्लाई के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्राकृतिक कच्चा माल खोई है और उसकी कमी नहीं होगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या कोई छोटे कारखानों ने उत्पादन शुरू किया है और यदि हां, तो वे कैसे काम कर रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, लगभग ग्यारह कारखानों ने उत्पादन शुरू कर दिया है । हम ने अभी पिछले महीने में ही रोहतास में एक गोष्ठी की थी और मैं वहां गया था । करीब ४९ छोटे उद्योग वहां अपनी अपनी कठिनाइयां बताने के लिये इकट्ठे हुए थे और शायद अगले तीन साल में एक तिहाई से ज्यादा छोटे कागज कारखाने होंगे ।

†श्री कालिका सिंह : क्या नेपा मिल आर्थिक दृष्टि से हानिकारक ढंग से काम कर रही है, और यदि हां, तो क्यों ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, वह आर्थिक दृष्टि से हानिकारक नहीं है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: भारत हर साल विदेशों से कितना कागज मंगाता है और भारत को आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं यह पहले ही बता चुका हूं ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

+

†*१४४०. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लघु उद्योगपतियों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ जो काम पड़ता है उसमें बड़ा विलम्ब होता है और उन्हें परेशान होना पड़ता है ; और

(ख) यदि सरकार प्रशासन को त्रुटिहीन बनाने के लिये और विलम्ब और परेशानी की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रही है, तो वे क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रय-विक्रय आधार पर मशीनें देने में देर के बारे में छोटे उद्योग-पतियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । विलम्ब दूर करने के लिये निगम ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(१) आवेदन पत्रों को सरल बना दिया गया है और उनकी छानबीन की प्रक्रिया भी सरल बना दी गयी है ताकि अधिकतर मामलों में निगम के पास वे आवेदन पत्र प्राप्त हो ने से लगभग ३ हफ्तों के अन्दर स्वीकृत हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) आवेदनपत्र में एक अतिरिक्त प्रति जोड़ दी गयी है । उद्योग निदेशक के पास वह आवेदन पत्र भेजने के साथ ही साथ आवेदक को यह प्रति निगम के पास सीधे भेज देना जरूरी होगा । इस से निगम को यह जानकारी मिलेगी कि सिफारिश करने वाले अधिकारियों के पास कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ताकि उस की तुरन्त निकासी में शीघ्रता करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के सामने यह मामला रखा जा सके ।

(३) निगम ने एक नियंत्रण पद्धति निकाली है जिस से यह पता चले कि आवेदन पत्र कहां रुका पड़ा है ।

(४) निगम ने हायर-परचेज डिविजन में पूरे पूरे कर्मचारी रख कर उसे और शक्तिशाली बनाया है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री इसका कारण बता सकते हैं कि सप्लाई करने वाली फर्में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये बताते हुए अधिक ऊंची कीमत और अधिक लम्बी अवधि बताती हैं बनिस्बत इस के कि जब वे स्वतः उद्यमी को बताती हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : पहली बात यह कि इस देश में निर्माता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को नहीं चाहते थे क्यों कि इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से जिससे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी, उन्हें यह नुक्सान हो रहा था कि वे उद्यमों से बहुत ऊंची कीमत नहीं ले सकते थे । इसलिये निगम की स्थापना के बाद से कुछ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं । लेकिन अधिकतर मामलों में उन्हें सीधे बनाये गये मूल्यों से अधिक अच्छे मूल्य प्राप्त हुए हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री को मालम है कि एक खास फर्म ने मद्रास सरकार को बताते समय कम कीमत बतायी लेकिन जब वही बात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये पूछी गयी तब उस फर्म ने ऊंची कीमत और सप्लाई की अधिक लम्बी अवधि बतायी ? क्या इस से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्य पर आक्षेप नहीं होता ? क्या माननीय मंत्री ने उसकी छानबीन की है?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं ने कल सभा में बताया था, उस ने १०,००० मशीनों के लिये आर्डर दिये थे । यदि उस तरह का कोई मामला माननीय सदस्य के ध्यान में आया हो तो मैं अवश्य ही उस की छानबीन करूंगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का एक कार्य वस्तुओं के लिये बाजार ढूंढना है । चीजें तैयार करने के बाद उनकी बिक्री में काफी देर लगती है जैसा कि ग्लास सीरन्ज के मामले में हुआ है, जिस का हमने आयात किया है जब कि यहां उत्पादन काफी था । वस्तुओं की तुरन्त बिक्री करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : ये दो असम्बद्ध प्रश्न हैं । हमें खेद है कि थोड़े परिमाण के रुपया भुगतान के अधीन, कुछ सीरन्ज भिन्न भिन्न ब्यौरों के अन्तर्गत आये और ज्यों ही उस की ओर हमारा ध्यान गया हम ने तुरन्त उस वस्तु पर रोक लगा दी और वही कारखाना आज पंजाब में सात गुना बढ़ गया है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आन्तरिक बिक्री की कोई कठिनाई नहीं है । निर्यात संवर्द्धन के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इन छोटे कारखानों की सहायता कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी म

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को व्यापारिक तरीकों और शिष्टाचार के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण दिया गया है और यदि नहीं तो उस सम्बन्ध में क्या अभी कोई विचार हो रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है । वास्तव में हमारे सभी विस्तार केन्द्रों में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन यदि सामान्य अशिष्टता का कोई उदाहरण माननीय सदस्य की नजर में आया हो, तो माननीय सदस्य के सुझावों का स्वागत है ।

†श्री बासप्पा : क्या उद्यमी व्यक्तियों को ये सुविधायें प्राप्त करने से पहले कोई ऋण शोध-क्षमता प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं और उन के मामलों का अन्तिम फैसला होने से पहले उन्हें दो या तीन एजेंसियों से हो कर गुजरना पड़ता है ?

†श्री मनुभाई शाह : उन्हें कई एजेंसियों से हो कर नहीं गुजरना पड़ता लेकिन उन्हें ऋणशोध-क्षमता प्रमाणपत्र निश्चय ही देना होता है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि पूर्वी प्रदेश से, मशीनों के लिये काफी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और वे आवेदन पत्र कई वर्षों से विचाराधीन पड़े हुए हैं और अभी तक मशीनें नहीं दी गयी हैं, और खासकर उड़ीसा में छोटे उद्योगपतियों को ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं । उद्योग संचालक, उड़ीसा अर्थात् श्री वेंकटरमन् यहां पिछले महीने आये थे और उन्होंने जिस शिकायत का उल्लेख किया था उसमें से बहुत कुछ गलत था। उस ने वह जमा नहीं भेजी है जो निगम चाहता था। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि छोटे उद्योगों के क्षेत्र में हम उड़ीसा को मदद देना चाहते हैं क्योंकि वह इस से अभी तक बहुत लाभ नहीं उठा सका है ।

विकिरण के चिकित्सा सम्बन्धी उपयोग

†*१४४१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों में विकिरण के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए चालू वर्ष में कुछ आवंटन किया गया है ;

(ख) देश में ऐसे कितने विशेषज्ञ हैं जो इस प्रकार का उपचार कर सकते हैं ; और

(ग) अगले वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का विचार है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में ३० नवम्बर १९६०, के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३५ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिस में अणुशक्ति आयोग द्वारा चिकित्सा के लिये अस्पतालों में आण्विक विकिरण के उपयोग और विकिरण संबंधी दवाइयों के उपयोग के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये किये गये उपायों के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। अब जो सूचना मांगी गई है वह नीचे दी जाती है ;

(क) इस काम के लिये अणुशक्ति विभाग के बजट में कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है । जितनी राशि की जरूरत है वह दे दी जाएगी।

(ख) अणु शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे के पास इस क्षेत्र के छः विशेषज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठान "विकिरण के चिकित्सा संबंधी उपयोगों में सुरक्षा पहलुओं" के बारे में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। अब तक चार पाठ्यक्रम हो चुके हैं और बाहर की संस्थाओं के कुल ५० लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण पाने के लिये एक बाहर के वैज्ञानिक को वित्तीय सहायता भी दी गई है ।

(ग) ट्राम्बे प्रतिष्ठान निकट भविष्य में इस क्षेत्र में तीन और अफसरों को प्रशिक्षण देने का विचार रखता है और जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, अल्प-कालीन पाठ्यक्रम आयोजित करना भी जारी रखेगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या देश में एक विकिरण चिकित्सा संस्था स्थापित की जा रही है यदि हां, तो कहां और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

†श्री सादत अली खां : अणुशक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे के चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत बंबई में एक नवीन विकिरण चिकित्सा वर्ग स्थापित करने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन था।

†श्री हेम बरुआ : इस तथ्य की दृष्टि से यह कहा गया है कि हस्पतालों को रोग नाशक कार्यों या अनुसंधान कार्यों के लिये आइसोटोप दिये जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि देश के किन अस्पतालों ने अब तक इस पेशकश का लाभ उठाया है ?

†श्री सादत अली खां : मैं इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन से हस्पताल इस का लाभ उठा रहे हैं। परन्तु, मोटे तौर पर इन रेडियो आइसोटोपों का भारत के हस्पतालों द्वारा बड़ा प्रयोग किया जा रहा है ।

†डा० सुशीला नायर : जिन अफसरों को आइसोटोपों के प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया है उन का चुनाव किस प्रकार किया गया है ? क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अफसर चुन कर भेजे थे अथवा क्या भारत सरकार ने विज्ञापन दे कर इस प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र मंगवाये थे ? प्रशिक्षण के लिये अफसर किस प्रकार चुने गये हैं और वे कितने राज्यों से हैं ? मैं अनुमान करता हूं कि वे मैडिकल अफसर थे।

†श्री सादत अली खां : इनमें से कुछ पाठ्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संघ के सहयोग आयोजित किये गये थे । सशस्त्र सेवाएं चिकित्सा सेवाओं के महा-निदेशक द्वारा नाम निर्देशित लोगों के लिये कुछ विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किये गये थे। जैसा कि महिला सदस्या जानती हैं, उपयुक्त अभ्यर्थी चुनने के लिये जिन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे।

†श्री हेम बरुआ : क्या अणुशक्ति आयोग ने चिकित्सा कार्यों अर्थात् रोग नाशक या अनुसंधान कार्यों के लिये आइसोटोपों के उपयोग करने के प्रयोगों से विदेशों में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग किया है ? क्या अपने देश में उस ज्ञान का लाभ उठाया गया है ?

†श्री सादत अली खां : मैं प्रश्न का उद्देश्य नहीं समझ सका।

†श्री हेम बरुआ : विदेशों में, हस्पतालों में चिकित्सा कार्यों अर्थात् रोग नाशक कार्यों या अनुसंधान कार्यों के लिये आइसोटोपों के उपयोग के बारे में कुछ प्रयोग किये गये हैं। क्या उन प्रयोगों से मिलने वाले ज्ञान का हमारे अणु शक्ति आयोग ने अपने देश में बीमारियों को नष्ट करने के लिये उपयोग किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह आयोग पृथक नहीं है । यह ऐसी चीजें है जो हमें विदेशों से मिली हैं । क्या माननीय सदस्य यह नहीं सोचते कि वे इस ज्ञान से परिचय रखते होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : जी, हां। वे परिचय रखते है। समूचे अनुभव का उपयोग किया किया जाता है और सब कुछ इकट्ठा किया जाता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संगठन एवं अणुशक्ति आयोग ट्राम्बे के बीच विकिरण के चिकित्सा संबंधी उपयोगों के मामले में कोई सहयोग है ?

†श्री सादत अली खां : जी, हां। मैं ने अभी कहा है कि पाठ्य क्रम सहयोग से आयोजित किये गये थे ।

"इंडिया विद एण्ड विदआउट मिरैकल्स" नामक पुस्तक

†*१४४४. { श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के कोट्टा वेर लेग स्टट्टगर्ट (Cotta Nerleg Stuttgard) द्वारा प्रकाशित 'इंडिया विद एण्ड विदआउट मिरैकल्स" नामक पुस्तक देखी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुस्तक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस पुस्तक में भारत के बारे में निकृष्ट बातें लिखी गई हैं। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास ने इस पुस्तक की अन्तर्वस्तु के बारे में तथा कलकत्ता की प्रदर्शनी में इस के भूल कर शामिल किये जाने के बारे में खेद प्रकट किया है । पुस्तक प्रदर्शनी से हटा ली गई है, जिस के बारे में बताया गया है कि वह अब मद्रास जा रही है और प्रदर्शनी की पुस्तक सूची में उचित संशोधन कर दिया गया हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : जब इस किताब में हिन्दुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है बल्कि बहुत सी गन्दी बातें भी लिखी गई हैं, तो क्या इस किताब की नुमाइश हिन्दुस्तान में रोक दी गई है या नहीं ?

श्री सादत अली खां : जी, हां, रोक दी गई है और वह किताब केटेलाग से निकाल दी गई है । अब वह मंजिर आम पर नहीं आयेगी ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि जिन साहब ने यह किताब लिखी वह हिन्दुस्तान में कितनी दफा आये, कितनी देर ठहरे और उनको क्या क्या रियायतें वजारते खारिजा ने दीं ? साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी हकीकत है कि जब वह हिन्दुस्तान में थे, तो वजारत को यह इल्म हो गया था कि वह एंटी-इंडियन डिसपैचिज़ भेज रहे हैं ? अगर यह दुरुस्त है तो उसके खिलाफ क्या एकशन लिया गया था ?

श्री सादत अली खां : यह पीटर स्मिथ स्विस नैशनल हैं और तीन चार बार हिन्दुस्तान आए। पहली बार १९४९–५०, दिसम्बर-मार्च में आए । फिर १९५७, १९५८, १९५९ में। तीन चार बार वह हिन्दुस्तान आए। वह किसी अखबार के नुमाइंदे थे और यहां से वह डिसपैचिज़ लिख कर भेजा करते थे जो कोई अखबार वहां यूरोप में है । जब हम ने देखा कि वह जरूरत से ज्यादा तजावुज़ कर गए हैं, और वह जो रिपोर्टें भेज रहे हैं, वे दुरुस्त नहीं हैं तो हम ने उनको अनडिज़ाइ-रेवल फारेनर करार दे दिया ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : मैं कह रहा था कि यह व्यक्ति —इस पुस्तक का लेखक मिस्टर पिटरस्मिथ स्विटज़रलैंड का राष्ट्रजन है । वह दिसम्बर, १९४९ से मार्च, १९५० तक, नवम्बर, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक और फरवरी, १९५९ से मई, १९५९ तक, तीन बार भारत आया है। फरवरी, १९५० में उन्होंने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की। सरकार को १९५९ में उन के बारे में बुरी सूचना मिली क्योंकि इस यात्रा के दौरान उन के द्वारा भारत से जो कुछ भेजा गया वह सब भारत विरोधी था। इसलिये उन्हें अवांछनीय विदेशी घोषित किया गया।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : उन्होंने स्वयं जो कुछ स्वीकार किया है उस के अनुसार लेखक ने एक साइकल चलाने वाले की हत्या की जब वह भारत में थे । अब सरकार इस व्यक्ति को पुनः भारत बुलाने और हत्या के लिये अथवा अंधाधुंध कार चलाने के लिये उस पर अभियोग चलाने के लिये क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

†श्री सादत अली खां : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या कोई कार्रवाई की जाएगी।

†श्री सादत अली खां : मैं नहीं कह सकता।

†श्री त्यागी : मा० मंत्री ने कहा है कि यह व्यक्ति तीन बार भारत आया और लगातार विदेशी समाचार पत्रों को अपने लेख भेजता रहा। मैं यह भी समझता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने उन लेखों का परीक्षण किया था। यदि उसे यहां से निकालने का यह आधार था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने कितने वर्षों बाद यह कार्रवाई करना उचित समझा ? क्या इस व्यक्ति को काश्मीर के सुरक्षा वाले क्षेत्र में जाने दिया गया था ?

†श्री सादत अली खां : बात यह है कि सामान्यतया संवाददाता विदेश से आते हैं और जिन समाचार पत्रों से उनका संबंध होता है उन्हें विभिन्न समाचार भेजते हैं। इन मामलों में सामान्य आलोचना के लिये बहुत ढील दिखाई जाती है । कभी कभी यह भारत विरोधी भी होता है । परन्तु जब एक सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो कार्रवाई की जाती है। इस मामले में हमने उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। मैं यह उत्तर नहीं दे सकता कि आया इस व्यक्ति को काश्मीर जाने दिया गया था। मुझे जांच करनी पड़ेगी।

†श्री त्यागी : जब वह भारत के विरुद्ध विदेशों में निकृष्ट प्रचार कर रहा था, उसे क्यों भारत में ठहरने दिया गया ? वैदेशिक कार्य मंत्रालय क्यों इस पर चुप रहा ।

†श्री सादत अली खां : वैदेशिक कार्य मंत्रालय चुप नहीं रहा। वह सरकार की नीति की आलोचना वाले लेख भजा करता था। ऐसा हम बहुत से लोगों को करने देते हैं।

†श्री त्यागी : यह आपत्तिजनक है कि वे बहुत से लोगों को इस प्रकार का प्रचार करने देते हैं।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि वह हिन्दुस्तान में तीन बार आए और तीनों बार ही वह कुछ न कुछ लिखते रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को यह बात कब मालूम हुई कि उनका जो कुछ लिखना है वह उचित नहीं है और यह मालम होने के बाद गवर्नमेंट ने कब उन के ऊपर यह कदम उठाया ?

अध्यक्ष महोदय : कब मालूम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : जैसा कि मैंने बतलाया, सन् १९५९ में उनको अनडिजायरेबिल फारिनर डिकलेअर कर दिया गया ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या लेखक ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि ४० करोड़ भारतीय उन्नत किये जाने के स्थान पर गैस चैम्बर में डालने और मारने योग्य हैं ? क्या मंत्रालय ने उस देश की सरकार से जहां का वह नागरिक है, विरोध किया है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इन ब्यौरों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह इसी तरह लिखते रहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । पुस्तक का ब्यौरा बताने से उद्देश्य विफल हो जाता है । पुस्तक पर पाबंदी लगाई गई है । क्या हम कहते रहेंगे कि पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में क्या-क्या बुराइयां लिखी गई हैं ताकि पुस्तक के बिना ही प्रत्येक समाचार पत्र इस पुस्तक का पुनः संस्करण प्रकाशित कर देगा ।

डा० गोविन्द दास : यहां पर तो यह किताब बन्द कर दी गई है लेकिन बाहर तो इस किताब का अभी भी प्रचार होगा, और बाहर इस तरह का प्रचार न हो इसके लिए यही उपाय था कि इसे शुरू से ही बन्द कर दिया जाता । मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि इसका बाहर प्रचार न हो इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । प्रश्न यह है कि निस्संदेह इस पर यहां पाबंदी लगाई गई है और इसे पुस्तकों की सूची से निकाल दिया गया है । परन्तु विदेशी भाषाओं में इस पुस्तक के परिचालन के द्वारा हमारे देश के विरुद्ध इस प्रकार का अनुचित प्रचार न किया जाए इस उद्देश्य के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : यह पुस्तक एक बाहर के देश में विदेशी प्रकाशकों द्वारा छापी गई है । तीन हजार प्रतियां छापी गई हैं जिन में से १००० भी नहीं बिकी हैं । गैर-सरकारी प्रकाशक को यह पुस्तक प्रकाशित करने से रोकना बहुत कठिन है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या सरकार ने प्रकाशित हुई प्रतियों पर कब्जा कर लिया है ?

†**आचार्य कृपलानी** : राष्ट्र एक दूसरे को गालियां देते हैं ; यह कोई नई बात नहीं । जब प्रशंसा सुनते हैं तो हमें ऐसी बुराई की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसे बर्दाश्त करने की सलाह देते हैं । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

शांति, शान्ति । मा० सदस्यों का असंतोष सर्वथा उचित है । हमने निस्संदेह इसे पुस्तकों की सूची और प्रदर्शनी से हटा दिया है । संसार के प्रत्येक देश के साथ हमारे मित्रता के संबंध हैं । क्या इस प्रश्न के बारे में उस देश को लिखना जिसने इसे प्रकाशित किया है और उन देशों को लिखना जहां वह यात्रा के लिये जाता है और यह प्रयत्न करना कि इसकी और प्रतियां प्रकाशित न हों या परिचालित न हों, ठीक नहीं है । सभा माननीय मंत्री से इतनी अपेक्षा अवश्य करती है । यदि वह विरोध करें और यदि उसके बाद भी वे परवा नहीं करते तो अलग बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : जर्मन राजदूत ने खेद प्रकट कर के क्षमा मांगी है । हमने यह मामला जर्मन सरकार के साथ उठाया है । **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री हेम बरुआ** : यह पुस्तक हमारे आत्मिक मूल्यों के प्रतीक श्री अरविन्द पर व्यंग्य करती है। हमारी लड़कियों की नैतिकता पर व्यंग्य करती है और हमारे औद्योगिक प्रयत्नों पर व्यंग्य करती है। विदेशी समाचारपत्र इसमें से उद्धरण देते हैं। क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे ? **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मा० सदस्य ने विदेशी समाचारपत्रों में इस पुस्तक के प्रकाशन का कुछ ब्यौरा ही दिया है । यह कहा जा सकता है कि इसका विदेशी पत्र में भी परिचालन हुआ है **(अन्तर्बाधाएं)** । यह प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं है कि क्या उद्धरण प्रकाशित हुए हैं, आदि । मा० सभा सचिव ने कहा है कि जर्मनी के राजदूत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है । निश्चय ही प्रगति का ध्यान रखा जायेगा और यह देखा जाएगा कि आया इसके बाद ऐसी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं या पुनः मुद्रित होती है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ऐसे प्रकाशनों को रोकना बहुत कठिन है। क्या हम अन्य देशों के विरुद्ध अपने देश में ऐसे प्रकाशनों को रोक सकते हैं ? मैं समझता हूं कि अन्य देशों में यह कहना बहुत कठिन है कि वे ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित न होने दें । हम विरोध कर सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : परन्तु संवाददाताओं को यहां समय-समय पर आने से रोका जा सकता है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है ।

†**श्री त्यागी** : उसके तीन बार यहां आने के पश्चात् ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमें प्रजातंत्रात्मक परम्पराओं को भी सोचना चाहिये । जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है कि जब सारी प्रशंसा हो तो हमें हंसना नहीं चाहिये और आलोचना हो तो उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिये । यह सार्वभौम मार्ग नहीं है ।

ओखला और राजकोट में नमूने की मशीनों आदि का उत्पादन करने व प्रशिक्षण देने के केन्द्र

†*१४४५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला और राजकोट में नमूने की मशीनों आदि का उत्पादन करने व प्रशिक्षण देने के केन्द्रों की प्रस्थापना के अनुसार पूरी तरह से स्थापना हो गयी है और क्या उनमें शीघ्र ही उत्पादन शुरू होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इनमें से प्रत्येक केन्द्र में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों में इस्तेमाल होने वाली किस किस्म की मशीनें, उपकरण और पुर्जे तैयार करने की प्रस्थापना है ; और

(घ) ओखला और राजकोट में इंजीनियरों और प्रशिक्षणार्थियों को, दाखिले के लिये और उन्हें विदेश भेजने के लिए, चुनने का क्या तरीका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). राजकोट का नमूने का उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र इसकी अपनी इमारत बनने तक किराये की इमारत में जुलाई १९६० से चल रहा है । ओखला केन्द्र की इमारत अभी पूरी हुई है और केन्द्र ने २ मार्च, १९६१ से काम आरम्भ कर दिया था ।

(ग) ओखला केन्द्र में औजार और कटर ग्राइंडर, बैंच खराद और मिलिंग मशीन (हाथ से चलाई जाने वाली) का विकास करने का विचार है तथा राजकोट केन्द्र फाउंडरी, कोनिंग और लकड़ी काटने की मशीनों का विकास करेगा ।

(घ) (१) **प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव** : प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाता है । छोटी निर्माण इकाइयों से कारीगर, जिनका उस काम का जिसमें वे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लगभग ३ वर्ष का अनुभव हो, तो उन्हें अपने राज्य की अल्प उद्योग सेवा संस्था को अपने मालिकों से सिफारिश करवा के अपने **प्रार्थना**पत्र देने होते हैं और संस्था जांच करने के बाद अन्तिम चुनाव के लिये अपनी सिफारिशों के साथ उसको नमूना के उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को भेज देती हैं ।

(२) **इंजनियरों का चुनाव** : इंजीनियरों के पदों के विज्ञापन अखिल भारतीय आधार पर प्रमुख दनिक समाचार पत्रों में दिये जाते हैं और चुनाव एक चुनाव समिनि द्वारा किया जाता है जिसमें सभापति और निर्देशक मंडल के सदस्यों के साथ प्रविधिक विशेषज्ञ होते हैं, जो ३५०—८५० रुपये और अधिक वेतन क्रम वाले पदों के लिये इंजीनियर चुनते हैं । जहां तक छोटे प्रविधिक पदों का सम्बन्ध है, चुनाव एक चुनाव समिति द्वारा किया जाता है जिसमें जनरल मैनेजर, डाइरेक्टर (पी० टी० सी०) और निगम के दूसरे वरिष्ठ अफसर होते हैं ।

(३) **विदेश में प्रशिक्षण के लिये चुनाव** : विदेश में प्रशिक्षण दिलाने के लिये लोगों का चुनाव उन में से किया जाता है जो केन्द्र में पहले से काम करते हैं । यह चुनाव उस धन्धे में उनकी प्रविधिक योग्यताओं और अनुभव तथा अधिक प्रशिक्षण ग्रहण करने की क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

†**श्री कालिका सिंह** : विवरण से प्रतीत होता है कि ओखला और राजकोट की दो इकाइयां स्थापित हो रही हैं । ओखला में खराद के विकास और राजकोट में फाउंडरी, फोजिंग तथा वुड-वर्किंग मशीनों के विकास का काम आरम्भ किया जायेगा । इस इकाई में जिस किस्म की मशीनें, औजार और पुर्जे बनाये जायेंगे, क्या वे भारत में पहले से बनाये जा रहे हैं या वे बिल्कुल नये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे प्रशिक्षण केन्द्र हैं । ये नियमित नमूनों के विस्तृत उत्पादन केन्द्र नहीं हैं । ओखला में २५० लड़कों को और राजकोट में १५० को प्रति छः मास में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कालिका सिंह** : क्या प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई ऐसा बाद का कार्यक्रम होगा कि उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें भारत में समान रूप से बांटा जायेगा और उन्हें ये उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण दिये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पूर्णतया बाद के कार्यक्रम का कोई प्रश्न नहीं है । विचार मूलतः यह है कि मशीन के औजारों के काम में हम अपने युवक प्राविधिकों को प्रशिक्षण में और तब स्वभावतः वे उन फैक्टरियों में जहां वे काम करते हैं काम करेंगे या वे अपना निजी उत्पादन आरम्भ करेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि राजकोट और ओखला के इन दोनों कारखानों में अलग-अलग कितनी लागत लगी है और क्या इन में काम सिखाने के लिए कोई बाहर के विशेषज्ञ आये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : राजकोट के कारखाने की लागत ७५ लाख रुपये की है और ओखला के कारखाने की लागत १ करोड़ और ३० लाख रुपये की है । ओखला में २५० लड़के ट्रेन किये जायेंगे जबकि राजकोट में १२५ लड़के ट्रेन किये जायेंगे । ओखला में २२ जर्मन विशेषज्ञ आये हैं और राजकोट में ७ अमरीकंस आये हैं ।

†**श्री आचार** : क्या भारत के दूसरे भागों में ऐसे और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान् । एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र हाल ही में पश्चिम बंगाल प्रदेश के लिये हावड़ा में और दूसरा दक्षिण प्रदेश के लिये मद्रास राज्य में गुइंडी में खोला जा रहा है । जैसाकि सभा को मालूम है तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में छोटे पैमाने के उद्योग में एक नमूने का प्रशिक्षण केन्द्र होगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन टेक्निकल सबजैक्टस इसमें सिखाये जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : वह सब उसमें लिखा हुआ है ।

†**श्री कालिका सिंह** : जब प्रशिक्षणार्थी इन केन्द्रों से बाहर आयेंगे तो उन्हें साधारणतया रेलवे और दूसरे बड़े मिल काम पर लगा लेंगे किन्तु उद्देश्य यह है कि उन्हें छोटे पैमाने के उद्योगों में लगाया जाये और उन्हें ऋण तथा सहायता दी जाए परन्तु ऐसा कभी भी नहीं होता । इसलिये क्या इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा कि उन्हें रेलवे और दूसरे बड़े मिलों में न लगाया जाये बल्कि वे स्वयं अपने काम आरम्भ करें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि मा० सदस्य उद्देश्य का यह विर्नयन लेते हैं, तो यह अलग बात है ! हमारा उद्देश्य वास्तव में देश में अपनी अर्थ व्यवस्था के सब क्षेत्रों, निजी कामों, छोटे पैमाने और मध्य दर्जे के क्षेत्रों के लिये कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाना है । हमारे पास प्रशिक्षित लोगों की कमी है अतः हमें उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है । वे मूल रूप से छोटे और मध्य दर्जे के उपक्रमों में काम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सूचना सेवा

†

*१४४६. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने ३ और ४ अप्रैल, १९६१ को केन्द्रीय सूचना सेवा की श्रेणी २ की २६ रिक्तियां भरने के लिये एक लिखित परीक्षा ली थी ;

(ख) क्या उम्मीदवारों को आयोग ने यह सूचना दी थी कि उन्हें समान अंकों के तीन प्रश्न-पत्र हल करने होंगे और सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा ;

(ग) क्या आयोग ने परिणाम के लिये अंग्रेजी के केवल दो पत्रों के अंक जोड़ने और भारतीय भाषा के तीसरे पत्र को वैकल्पिक पत्र मानने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इससे अंग्रेजी के पत्रकारों और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के बीच भेदभाव पैदा नहीं होगा ; और

(च) क्या आयोग के लिये अपने पहले निर्णय पर स्थिर रहना सम्भव नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) से (च). इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि एक आवश्यक योग्यता निश्चित हुई थी और हिन्दी या किसी प्रादेशिक भाषा के ज्ञान को ऐच्छिक योग्यता मात्र माना गया था । प्रार्थना पर यह निर्णय किया गया कि भाषाई पर्चे उम्मीदवारों के भाषा विशेष के ज्ञान की जांच करने वाले पर्चे समझे जायेंगे ।

लिखित परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए छांटना है, पद के लिए चुनना नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे ही प्रश्न का पहले उत्तर दिया गया था ।

†**डा० केसकर** : हां, श्रीमान् । ऐसा ही प्रश्न था जिसका उत्तर दिया गया था ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि उम्मीदवारों को जब यह सूचना दी जा चुकी थी कि भाषा के प्रश्नपत्रों के जो अंक आयेंगे वे उनके परीक्षा-फल में जोड़ लिये जायेंगे तो फिर बीच में ऐसा निर्णय लेने का क्या कारण था और इससे क्या उम्मीदवारों को क्षति नहीं पहुंचेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : उम्मीदवारों को क्षति नहीं पहुंचेगी । उम्मीदवारों की एक प्रार्थना पर इस बात को सोचा गया और पूर्व निर्णय में यह संशोधन किया गया । जब इसके लिए ऐडवरटिजमेंट निकला था तब उसमें कम्पलसरी क्वालिफिकेशन केवल युनिवरसिटी की डिग्री थी, किसी प्रादेशिक भाषा का ज्ञान अथवा हिन्दी के ज्ञान को कम्पलसरी नहीं रखा गया था वरन् उसको ऐच्छिक योग्यता मात्र माना गया था और इसी बात को लेकर प्रार्थियों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके प्रति अन्याय होगा और इसलिए यह बाद में तरमीम किया गया । तरमीम में भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि कमिशन ने कहा था कि तीन पर्चे होंगे लेकिन किस तरीके से उन पर्चों के मार्क जोड़े जायेंगे यह उसमें कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ था ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि जबकि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं होती है तो इस संशोधन से उन लोगों को जो कि विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित हो कर आये हैं उनको उन उम्मीदवारों की अपेक्षा जिन्होंने कि अंग्रेजी माध्यम नहीं लिया था, ज्यादा लाभ नहीं पहुंचेगा ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह सही है लेकिन जब ऐडवरटिजमेंट में कम्पलसरी क्वालिफिकेशन ही इस बात की दी गई है कि युनिवरसिटी की ग्रेजुएट की डिग्री उनके पास होनी चाहिए और हिन्दी या किसी प्रादेशिक भाषा का ज्ञान खाली डिजाएरेबल है तो उसके लिए यू० पी० एस० सी० को दोष नहीं दिया जा सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : भाषा का जो पत्र था उस के नम्बर अंग्रेजी के पत्र में जोड़े गये या नहीं जोड़े गये ? तीन परीक्षा पत्र होने थे जिनमें दो इंग्लिश के थे और एक भाषा का ओप्शनल पेपर था तो मैं जानना चाहता हूं कि उस भाषा के पेपर के नम्बर उन दोनों पत्रों में जोड़े गये या नहीं ?

डा० केसकर : ओप्शनल पेपर के नम्बर जोड़े नहीं जायेंगे, यह सूचित किया गया था ।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रार्थियों को बीच में इस तरह सूचित किया गया, मैं जानना चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उसी मामले पर जोर दे रह हैं जिस को समय समय पर हल करने का विचार किया गया है । इसका उन दूसरे लोगों पर, जो हिन्दी नहीं जानते, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा । मैं समझा था कि श्री द्विवेदी ने यह पूछा है कि जिन लोगों का माध्यम केवल हिन्दी है उनका क्या होगा ; उनको कठिनाई होगी ? इन सब मामलों पर चर्चा हो सकती है किन्तु प्रश्न काल में नहीं । लोक सेवा आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है । स्पष्ट है कि वे अंग्रेजी जानने वाले लोगों को अधिक चाहते हैं, जिन्हें हिन्दी का कुछ ज्ञान हो । कोई सदस्य प्रश्न काल में यह तर्क नहीं कर सकता कि केवल हिन्दी का ही उपयोग किया जाए या इसे अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये । समूचा दक्षिण भारत है जहां के लोगों अधिक हिन्दी नहीं जानते । **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह** : यह अकेले हिन्दी का प्रश्न नहीं । अन्य भाषाएं भी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हिन्दी है तो इस से दक्षिण वालों को कठिनाई है, यदि तेलगु है तो उत्तर वालों को कठिनाई है, यदि बंगला है तो पश्चिम को और मराठी है तो पूर्व को कठिनाई है । ये सब कठिनाइयां हैं । उन्होंने कहा है कि स्थानीय भाषा की कोई परीक्षा काफी है । हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : तेलंगाना का एक व्यक्ति या तामिल जानने वाला एक व्यक्ति वहां है : उसकी परीक्षाएं तामिल के माध्यम से हुई हैं । अतः उसे कठिनाई होगी । मैं केवल हिन्दी वालों के लिये नहीं कहता, किन्तु मैं समूचे देश के लोगों के बारे में कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अखिल भारतीय आधार पर कैसे मुकाबला कर सकता है ? माननीय सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने से पूर्व सोचना होगा । कठिनाई यह होगी कि एक व्यक्ति को केवल एक भाषा आती है । एक या दो मा० सदस्य यहां अपनी भाषा में बोलते हैं और कुछ अन्य सदस्य उसे समझना कठिन अनुभव करते हैं । जो भी केन्द्र में आना चाहता है उसे जब तक अंग्रेजी का त्याग नहीं किया जाता, अंग्रेजी अवश्य आनी चाहिये और आखिरकार हिन्दी जानना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी भाषा जानता है तो वह अपने राज्य में ही सेवा करे । इस में क्या किया जा सकता है ? अगला प्रश्न ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में रोजगार

†*१४४७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय प्रत्येक राज्य में रोजगार चाहने वाले ऐसे कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज करा रखे थे ; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को नौकरियां दिलायी गयीं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : दूसरी योजना के आरंभ में कितने लोग बेकार थे और तीसरी योजना आरंभ होने तक कितने बेकार होंगे ? तीसरी योजना अवधि में धन विनियोजन किये जाने के द्वारा उत्पन्न रोजगार अवसरों के फलस्वरूप इस योजना अवधि में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

†**श्री आबिद अली** : प्रश्न समझना कठिन है । यह सूचना योजना में दी हुई है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : दूसरी योजना के आरंभ में कितने लोग बेकार थे और तीसरी योजना के आरंभ में बेकारों की संख्या कितनी होगी ? तथा तीसरी योजना में अवधि आयोजित विनियोजना के द्वारा उत्पन्न रोजगारों में कितने लोग लगा दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : १९५६-५७ में लगभग १६.३७ लाख बेकार लोग पंजीबद्ध थे तथा १९६०–६१ में लगभग २१.७८ लाख ।

१९५६–५७ में १,८४,००० लोगों को और १९६०-६१ में २,३८,००० लोगों को रोजगार दिया गया था। १९५६–५७ में रजिस्टर में शेष संख्या ७,४७,००० और १९६०-६१ में १६,०६,००० थी ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । योजना विनियोजनों के कारण उत्पन्न रोजगार अवसरों के फलस्वरूप कितने लोगों को को रोजगार मिलेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : यह सब कुछ योजना में किया गया है तो सभा के सामने आएगा । अब मेरे लिये आंकड़ों का अनुमान लगाना अति कठिन है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या रोजगार साधनों में वृद्धि की दर बेकारी की संख्या में होने वाली वृद्धि से कम है ?

†**श्री आबिद अली** : रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि है, और प्रति दिन रोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : अधिकांश राज्यों में रोजगार रजिस्टर में दर्ज लोगों की संख्या की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार दिलाया गया है । और कुछ मामलों में यह संख्या तीन या चार गुना है । इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के मामले में इतना अधिक अन्तर क्यों है जहां रोजगार हासिल करने वालों की संख्या चालू रजिस्टर में दर्ज लोगों से कहीं कम है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल अनुमान है ।

†**श्री आबिद अली** : बेकार लोगों को हक है कि वे रोजगार दफ्तरों में अपनी आवश्यकता दर्ज करवा सकते हैं । यदि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में नहीं जाते. . .

†**श्री साधन गुप्त** : बात यह नहीं है । विवरण में कहा है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार पाने वालों की संख्या योजना के आरंभ में चालू रजिस्टर की संख्या से बहुत कम है ; अर्थात् चार वर्षों में रोजगार पाने वालों की संख्या ३१ मार्च १९५६ को चालू रजिस्टर में पहले से दर्ज लोगों की अपेक्षा बहुत कम है । पश्चिम बंगाल में इस स्थिति का क्या कारण है जबकि दूसरे मामलों में चालू रजिस्टर की तुलना में रोजगार पानेवालों की संख्या तीन गुना या उससे भी अधिक है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या इस कारण रोजगार की कमी है या अफसरों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है ? वह यही जानना चाहते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : पश्चिम बंगाल में, रोजगार दफ्तरों में १,१४,००० शिक्षित लोग पंजीबद्ध थे और दूसरी योजना में ७६,००० लोगों को रोजगार दिलाया गया । मैं समझता हूं कि अनुमान उचित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह सच है कि रोजगार चाहने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो दूसरी योजना में उनकी संख्या क्या थी और कितनी स्त्रियों को नौकरियां दिलाई गईं ?

†श्री आबिद अली : यह अलग बात है—आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†श्री नाथ पाई : क्या मा० मंत्री को इस आशय के कुछ अनुमानों का पता है कि तीसरी योजना की समाप्ति पर बेकार लोगों की संख्या उस संख्या से अधिक होगी जो तीसरी योजना के प्रारंभ में थी ?

†श्री आबिद अली : इस स्तर पर मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*१४५१. श्री हेम बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने साथों और औद्योगिक कम्पनियों को अब तक कुल कितना ऋण प्रदान किया है ; और

(ख) इसमें से कितनी प्रतिशत रकम एसी फर्मों और औद्योगिक कम्पनियों को दी गयी है, जिसके मालिक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). साझे वाले या स्वामी वाले साथों को निगम से ऋण सहायता लेने का हक नहीं है। ऋण सहायता केवल संयुक्त पूंजी समवायों तक सीमित है जो प्राइवेट या पब्लिक सीमित समवायों के रूप में समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं । निगम ने १५ मार्च १९६१ तक निगम के १९.९४ करोड़ रुपये के ऋण पटसन, सूती कपड़ा और मशीन औजार उद्योगों के लिये मंजूर किये थे ।

कुल मंजूर ऋणों में से १९.२५ प्रतिशत उन समवायों के लिये मंजूर किये गये हैं जिन में निगम के कुछ निदेशकों का हित या संबंध समवाय अधिनियम १९५६ की धारा २९९ (३) के उद्देश्य के लिये है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि १०५ लाख रुपये की मात्रा तक कस्तूरभाई लालभाई को, बिरला को ७४ लाख रुपये, टाटा को ७५ लाख रुपये, पदमपत सिंघानिया को ८४.७० लाख रुपये और बी० पी० सिंह राय को ५३.३० लाख रुपये वितरित किये गये हैं और यदि हां, तो क्या ये लोग इस निगम के निदेशक भी हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इन में से कितने निदेशक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुआ : यदि वे निगम के निदेशक हैं और यदि ऋण इस प्रकार इस मात्रा तक उन में बांटा जाता है, तो क्या इस से निगम के कार्य-संचालन की बुराई का पता नहीं चलता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न पूछते हैं और उत्तर का अनुमान लगाते हैं । मैं क्या कर सकता हूं ? वह जानना चाहते हैं कि क्या उन में से सब या कुछ एक निदेशक हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने कल भी उत्तर के इलावा जो इस उत्तर से संलग्न विवरण में दिया गया है, यह स्थिति बताई थी । इस का स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि एन० आई० डी० सी० को दिये गये ऋणों की १९ प्रतिशत राशि उन समवायों के लिय है जिन में उन लोगों का निश्चित रूप से संबंध है । ८१ प्रतिशत ऋण अन्य लोगों को दिये गये हैं ।

नीम्बू घास तेल

†***१४५२. श्री मणिवंगाडन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारत में नीम्बू घास तेल का उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है ;

(ख) इसमें से कितना तेल निर्यात किया जाता है और कितने तेल का इस्तेमाल औद्योगिक प्रयोजनों के लिए होता है ; और

(ग) भारत में नीम्बू घास तेल से क्या चीजें तैयार की जाती हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) **वर्ष १९५८-६० के दौरान नीम्बू घास तेल का अनुमानित उत्पादन :**

(मात्रा हजार पौंडों में)

१९५८ . . .	२८७९
१९५९ . . .	२३४०
१९६० . . .	२८८०

(ख) **वर्ष १९५८-१९६० के दौरान नीम्बू घास तेल का निर्यात :**

(मात्रा हजार पौंडों में)

१९५८ . . .	२७७७
१९५९ . . .	२०४६
१९६० . .	२६३९

अधिकांश उत्पादन का निर्यात किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नीम्बू घास तेल का इस्तेमाल आयोनोन १०० प्रतिशत के निर्माण में होता है ।

†**श्री मणिवंगाडन** : क्या आयोनोन का भारत में आयात किया जाता है, और यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और क्या इसको भारत में निर्माण करने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । भारत में वीटा-आयोनोन और विटामिन 'ए' के निर्माण के लिये दो कारनों को लाइसेंस दिये गये हैं ।

फिल्म संस्था

\+

*१४५३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री दामानी :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म संस्था की स्थापना करके उसका कार्य पूरी तरह चालू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : तीन विषयों में तीन तीन महीने के पुनरभ्यास पाठ्यक्रम फिल्म इन्स्टीट्यूट में आरम्भ हो चुके हैं। नियमित पाठ्यक्रम जुलाई, १९६१ से आरम्भ होंगे। नियमित पाठ्यक्रम आरम्भ करने के सम्बन्ध में तमाम प्रारम्भिक कार्य जैसे शिक्षक-वर्ग की भर्ती, प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण, इमारत में फेर-बदल इत्यादि चालू हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना मे अनावश्यक देरी हुई है। अत: क्या इसके कारणों पर प्रकाश डाला जा सकेगा कि इसमें इतने वर्षों की देरी क्यों लगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : इसमें अनावश्यक देरी बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि यह इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द स्थापित हो रही है। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि फिल्म के काम को सिखाने, रेगुलर कोर्सिज़ की व्यवस्था करने और लैक्चर दिलवाने के लिये इस देश में न प्रोफ़ेसर हैं और न ही पढ़ाने का कोई तरीका है। इस सबको तैयार करना बहुत कठिन था। बल्कि अन्त में हमको कुछ फ़ारेन इंस्टीट्यूट से सहायता लेनी पड़ी कि किस प्रकार से कोर्सिज़ बनाये जायें क्योंकि अभी तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री व्यावहारिक इंडस्ट्री रही है और उसमें पढ़ाई-लिखाई का अभी तक कोई इन्तज़ाम नहीं रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि इस संस्था की स्थापना के बाद विद्यार्थी, प्रशिक्षण चाहने वाले लोग, बहुत कम संख्या में आगे आये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : किसी ने गलत इन्फर्मेशन माननीय सदस्य को दी है । रिफ्रेशर कोर्सिज़ के लिये हमने एडवरटाइज़ किया था। हम जितने लोगों को रखना चाहते थे, उससे दुगनी एप्लिकेशन्ज आईं । रिफ्रेशर कोर्सिज़ के लिये फ़ुल क्वोटा लिया है। रेगुलर कोर्सिज़ जुलाई में इसलिये हो रहे हैं कि जून में ग्रैजुएट वगैरह की सब परीक्षायें खत्म होती हैं और उसके बाद कैंडीदेट्स चुने जा सकते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो लोग इस फिल्म संस्था में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, क्या बाद में उनको इस उद्योग में ही लगाया जा सकेगा, या वे भारत सरकार के डाक्युमेंटरीज तैयार करने के काम में भी आ सकेंगे ?

डा० केसकर : डाक्युमेंटरीज बनाने के काम में तो वे आ ही सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फिल्म उद्योग में जो टेक्नीशियन काम करें, वे अच्छी तरह ट्रेन्ड और एफिशेन्ट लोग रहें, जो अपने धन्धे को अच्छी तरह जानें। इसका मुख्य उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे टेक्नीशियन और आरटिस्ट देना है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा:** क्या इन प्रशिक्षार्थियों को कोई अधिछात्रवृत्ति भी दी जावेगी, और यदि हां, तो उनको किस प्रकार की अधिछात्रवृत्ति दी जावेगी?

†**डा० केसकर :** इन सब विद्यार्थियों को अधिछात्रवत्ति नहीं दी जावेगी परन्तु हम कुछ प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को कुछ अधिछात्रवृत्ति देने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : फिल्म उद्योग में चरित्र-निर्माण पर बहुत जोर दिया जाये और गन्दे किस्म के चित्र न बन सकें, क्या इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायगा ?

डा० केसकर : इसमें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती और फिल्म उद्योग को यह सिखाना तो इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। यह तो जनमत से ही इंडस्ट्री सीख सकती है।

दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में रजिस्टर्ड प्रविधिक कर्मचारी

†*१४५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से सिविल ड्राफ्टसमैन, इलैक्ट्रीशियन आदि, जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूसा, नई दिल्ली से नवम्बर, १९५९ में डिप्लोमे प्राप्त किये थे, अभी तक बेरोजगार हैं और उन्हें दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर से, जहां पर उन्होंने अपने नाम दर्ज करा रखे हैं, इंटरव्यू के लिये एक बार भी नहीं बुलाया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) ३१-३-१९६१ को रोजगार रजिस्टर में ऐसे आठ व्यक्तियों के नाम थे जिन्हें इन्टरव्यू के लिये नहीं बुलाया गया।

(ख) कुछ ने अधिक वेतन मांगा और बाकी एक महीने से भी पूर्व रजिस्टर में दर्ज किये गये थे।

(ग) काम दिलाऊ दफ्तर उनके लिये उपयुक्त रोजगार ढूंढने के प्रयत्न जारी रखेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** काम दिलाऊ दफ्तर इन व्यक्तियों के लिये रोजगार ढूंढने के लिये किस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहा है ? अपने उत्तर के अन्तिम भाग में उपमंत्री महोदय ने बताया कि एक्सचेंज उनके लिये उपयुक्त रोजगार ढूंढने के प्रयत्न जारी रखेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सचेंज उनके लिये किस क्षेत्र में रोजगार ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है।

†**श्री आबिद अली :** वे उन संस्थानों के जरिये प्रयत्न करते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के रोजगार पर रखते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वे संस्थान कौन से हैं जहां इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सकता है और उन संस्थानों के साथ सम्पर्क बनाने में मंत्रालय क्या प्रयत्न कर रहा है ? वे सरकारी संस्थान हैं या गैर-सरकारी ?

†**श्री आबिद अली :** दोनों ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के लिये पानी के पाइप

†*१४३७. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में जल सम्भरण के लिए प्राधिकारियों ने १०,००० फुट से अधिक लम्बे पानी के पाइप खरीदे थे;

(ख) क्या यह सच है कि ये पाइप अनुपयोगी पाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन पाइपों को जल-निस्सारण के लिए इस्तेमाल किया गया;

(घ) यदि हां, तो इन पाइपों को लेना स्वीकार करने से पहले इनका परीक्षण क्यों नहीं किया गया; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आग बुझाने के कार्य के लिये पानी के संभरण के लिये ढलवां लोहे की ३०,००० फुट पाइप लाइन बिछा दी गयी है जिसमें १२ इंच व्यास की ११,६०० फुट पाइप लाइन भी शामिल है। तथापि, जल-निस्सारण के लिये खरीदे गये १२ इंच व्यास के ३४०० फुट पाइप गलती से इसमें मिल गये और वह इस कार्य में बिछा दिये गये। जब पाइप लाइन का परीक्षण किया गया तो गलती का पता लगा और इसको तत्काल ही सुधारा गया।

---

†मूल अंग्रेजी मे

यह खराब और अनुपयुक्त पाइपों के खरीदे जाने का प्रश्न नहीं है, परन्तु पाइप लाइनों के मिल जाने में गल्ती का प्रश्न है। सम्बन्धित कर्मचारियों को भविष्य में अधिक सतर्क रहने के लिये चेतावनी दे दी गयी है। इस कारण समवाय को कुल ५,१३५ रुपये की हानि हुई।

बर्मा में भूमि का राष्ट्रीयकरण

†*१४४२. **श्री रामनाथन चेट्टियार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बर्मा में वहां की सरकार द्वारा १९४८ में पारित किये गये भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के परिणामस्वरूप जिन भारतीय राष्ट्रजनों से उनकी जमीन ले ली गयी थी, क्या उनको प्रतिकर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी कर दी गयी है और अब तक कुल कितनी रकम दी गयी है;

(ग) कितने दावे लम्बित हैं; और

(घ) इनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जैसा कि पहले बताया गया है बर्मा सरकार राष्ट्रीयता-वार आंकड़े नहीं रखती। तथापि अनौपचारिक रूप से जानकारी प्राप्त कर ली गयी है जो निम्न प्रकार है:

अवधि	उन भारतीयों की संख्या जिन्हें भुगतान कर दिया गया है	दी गयी क्षतिपूर्ति की रकम
		रुपये
जून १९५८ तक . . .	५९७	९,४४,९८५
जुलाई १९५८—जनवरी, १९५९ .	२९८	५,३५,६५९
फरवरी, १९५९—जुलाई, १९५९ .	१५४	२,३८,६५८
अगस्त, १९५९—नवम्बर, १९५९ .	६१	१,१५,८८८
दिसम्बर, १९५९ के लिये . .	७	१५,०४१.४२
कुल . .	१,११७	१८,५०,२३१.४२

सरकार को और अब तक की जानकारी नहीं मिल सकी है।

†मूल अंग्रेजी में

ली गयी भूमि के लिये क्षतिपूर्ति तै करने और कानून के अनुसार इसके भुगतान में समय तो लगता ही है। इस मामले में बर्मा के कानून में भारतीय भू-स्वामियों और अन्य लोगों में कोई भेद नहीं हैं। वैध कागजात समेत सभी दावों का जो ठीक हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होते ही भुगतान कर दिया जाता है। अतः भारत सरकार को इन दावों के शीघ्र भुगतान के लिये बातचीत करने का अवसर नहीं मिला।

बीकानेर में खादी प्रतिष्ठान

*१४४३. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर के एक खादी प्रतिष्ठान के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने ५०,००० रुपये का गबन कर लिया वह रकम अशिक्षित और गरीब हरिजन बुनकरों के नाम शेष दिखाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हथकरघा बुनकरों के लिये गृह-निर्माण

†*१४४८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री तंगामणि :
श्री सिदय्या :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में हथकरघा बुनकरों के आवास के लिए भारत सरकार द्वारा कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) फरवरी, १९६१ के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितनी रकम व्यय की गयी; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने मकान बनाये गये?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

†*१४४९. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने आधुनिक उत्पादकता और प्रबन्ध-व्यवस्था प्रविधि का अध्ययन करने के लिए २० उत्पादकता-दलों को विदेशों में भेजने का निर्णय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन देशों को और किन उद्योगों के लिए ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) वर्ष १९६१ के कार्यक्रम के अधीन केवल १७ दल भेजने की प्रस्थापना है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष १९६१ के कार्यक्रम के अधीन अमरीका और पश्चिमी यूरोप और एशिया के अन्य एक या दो देशों को प्राविधिक सहकार मिशन के अधीन निम्नलिखित विषयों में १२ दल भेजे जायेंगे :

१. कागज उद्योग
२. मशीनी औजार उद्योग
३. किस्म नियंत्रण
४. मोटरगाड़ी पुर्जे उद्योग
५. वेल्डिंग
६. सीमेन्ट उद्योग
७. हल्की बिजली उद्योग
८. कार्यालय प्रबन्ध
९. तापसह ईंट उद्योग
१०. मुद्रण उद्योग
११. कर्मचारी प्रबन्ध (मजूरी पद्धति, भर्ती, प्रशिक्षण और काम पर लगाना)
१२. औद्योगिक विवादों के पंच-निर्णय समेत औद्योगिक सम्बन्ध।

रूस और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों से सहायता के अधीन रूस और चेकोस्लोवाकिया को निम्नलिखित विषयों में ५ दल भेजने के लिये बातचीत को अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(१) कोयला उद्योग
(२) तेल उद्योग
(३) कपड़ा उद्योग
(४) मशीन-निर्माण उद्योग
(५) लोहा तथा इस्पात उद्योग

पश्चिमी बंगाल में अलौह धातुओं की वस्तुएं तैयार करने वाले कारखाने

†*१४५५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तांबा, जस्ता और टिन आदि कच्चे पदार्थों की अत्यन्त कमी के कारण पश्चिम बंगाल में अलौह धातुओं की वस्तुएं तैयार करने वाले लगभग १०० छोटे पैमाने के कारखाने बन्द होने वाले हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इन कच्चे पदार्थों का जो कोटा अलाट किया जाता है, वह आवश्यकता से बहुत कम है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटे पैमाने के अलौह औद्योगिक एककों की संस्था ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार को पत्र लिख दिया गया है और उनसे प्राप्त जानकारी यथा समय सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

(ख) से (घ). पश्चिम बंगाल में १०० छोटे पैमाने के अलौह औद्योगिक एककों के कथित बन्द होने के बारे में और पश्चिम बंगाल में कारखानों को आवंटित धातु की अपर्याप्तता के बारे में छोटे पैमाने के अलौह उद्योग संथा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ नहीं लगता।

छोटे पैमाने के एककों को तांबा और जस्ता, राज्य उद्योग निदेशकों की सिफारिशों के आधार पर निर्माण की वस्तुओं की महत्ता और संबंधित एककों द्वारा धातु की पिछली खपत को ध्यान में रख कर, दिया जाता है। तथापि, विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाई के बावजूद भी समूचे देश भर में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को तांबा और जस्ते के आवंटन में वृद्धि की जा रही है। देश भर में छोटे पैमाने के एककों को इस समय उनकी वर्ष १९५६ की खपत से लगभग दुगुना माल मिल रहा है।

टीन का वितरण सरकार नहीं करती। यह पुराने आयातकों द्वारा आयात किया जाता है और बाजार में उपलब्ध है।

मक्खन निकले दूध का आयात

†*१४५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय मिठाई निर्माता संथा के प्रधान द्वारा अभी हाल में की गयी इस कथित मांग की ओर दिलाया गया है जिसमें देश में मक्खन निकले दूध के आयात की अनुमति देने के बारे में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

† मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थी

*१४५७. श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) १६ अक्तूबर, १९६० से अब तक कितने तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है ;

(ख) कितने तिब्बती प्रति मास उत्तरी सीमा पर स्थित विभिन्न दर्रों से होकर भारत आये ; और

(ग) उनके व उनसे पहले आये हुये भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में अब तक कहां तक सफलता मिली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). एक ब्यौर सदन की मेज पर रख दिया है जिसमें आवश्यक सूचना दे दी गई है।

विवरण

(क) भारत सरकार के पास जो सूचना सुलभ है उसके अनुसार १६ अक्तूबर १९६० से १४ जनवरी, १९६१ तक जो तिब्बती शरणार्थी भारत आये हैं उनकी कुल संख्या ३९९७ है। यह सूचना उक्त तारीख तक की है।

(ख) तिब्बती शरणार्थियों के पहुंचने की महीनेवार सूचना इस प्रकार है :

	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी (१४ तारीख तक)	जोड़
१. नेफा .	६५	२८८	२५९	४६३	१०७५
२. हिमाचल प्रदेश	—	२१	—	—	२१
३. उत्तर प्रदेश .	११	३९	९८	—	१४८
४. पंजाब .	—	—	—	—	—
५. जम्मू-कश्मीर	५२	३६४	१०६	६४	५८६
६. सिक्किम	१४१	३१९	१४४९	२५८	२१६७
					३९९७

(ग) जो तिब्बती शरणार्थी भारत में अब तक आये हैं वे सभी अस्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी आधार पर रोजगार पाने के लिये विभिन्न स्थानों में भेज दिये गये हैं ; इनमें निम्नलिखित शरणार्थी शामिल नहीं हैं :

(१) नेफा के कामेंग प्रभाग (डिवीजन) में भालुकपंग नामक स्थान के एक नये मार्ग-शिविर में रहने वाले ४ ००० तिब्बती शरणार्थी ।

(२) उत्तर प्रदेश में पौरी, सानदेव और खेरी के तीन छोटे छोटे शिविरों में रहने वाले १३७४ शरणार्थी ।

(३) पश्चिमी भूटान में टाला नामक स्थान पर एक शिविर में बसे हुये ३१४ तिब्बती शरणार्थी ।

ट्रेक्टरों का आयात

†*१४५८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विदेशों से बहुत से कृषि ट्रेक्टरों का आयात करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का पुरा ब्योरा क्या है और इस पर कितना खर्च होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) डी० एल० एफ० ऋण और रुपया संसाधन से ३२०–३७० लाख रुपये के आधीन अमरीका से ११ लाख रुपये के मूल्य के ट्रैक्टर आयात करने के लिये एक उपबन्ध किया गया है ।

पंजाब में नये उद्योगों के लिये लाइसेंस

†३०३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में नये उद्योगों के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या इन सभी लाइसेंसों को इस्तेमाल किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनों को इस्तेमाल नहीं किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक पंजाब में नये उपक्रमों की स्थापना के लिये १२२ लाइसेंस जारी किये गये थे ।

(ख) और (ग). उनमें से दो लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं और शेष सभी के संबंध में या तो उपक्रमों की स्थापना की जा चुकी है या स्थापित किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लास्टिक का उत्पादन

†३०३७. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से भारत में प्लास्टिक के उत्पादन के लिये संयंत्र तथा उपकरणों के निर्माण के संबंध में योजना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग

†३०३८. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से १९६१–६२ में हथकरघा उद्योग को सहायता के संबंध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ग) मामला विचाराधीन है ।

महाराष्ट्र में खादी का उत्पादन

†३०३९. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में महाराष्ट्र में खादी का कितना उत्पादन किया गया था ; और

(ख) १९६१–६२ के लिये उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर १९६० में महाराष्ट्र में ३,७८,०८३ वर्ग गज खादी का निर्माण किया गया था ।

(ख) १८ लाख वर्ग गज ।

मध्य प्रदेश में अम्बर चर्खे का विकास

†३०४०. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९६०–६१ में अम्बर चर्खे के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गयी थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६०–६१ में अम्बर चर्खे के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कोई भी राशि नहीं दी गयी थी। परन्तु १९६०-६१ में अम्बर चर्खा कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी रूप से २८,६५,६०० रुपये आवंटित किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३०४१. **श्री पांगरकर : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी थी ;

(ख) अभी तक कितनी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं और वे किस किस स्थान पर कार्यान्वित की गयी हैं ; और

(ग) उन पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के अधीन भूतपूर्व बम्बई राज्य को निम्नलिखित राशियां आवंटित की गयी थीं :—

वर्ष	आवंटित राशि
	(लाख रुपये)
१९५९–६० .	१५९.००
१९६०–६१	१३९.४६

इस संबंध में परियोजना पर आने वाले कुल खर्च में से तीन चौथाई राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई। शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा खर्च की गयी।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०**]

पश्चिमी बंगाल में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३०४२. **श्री पांगरकर : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में गन्दी बस्तियों की सफाई के संबंध में क्या क्या योजनायें चल रही हैं ;

(ख) उन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एक विवरण में दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११**]

महाराष्ट्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†३०४३. **श्री पांगरकर : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में मध्यम आय वर्ग आवास योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार को अभी तक कितनी राशि दी गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस के लिए कितनी राशि मांगी गई थी; और

(ग) इस योजना के अधीन महाराष्ट्र में अभी तक कितने मकान बनाए जा चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ६६ लाख रुपये।

(ख) ६६ लाख रुपये ।

(ग) राज्य सरकार ने १० फरवरी १९६१ तक ४३६ मकानों के निर्माण की अनुमति दी थी। ज्ञात हुआ है कि उस तिथि को ६६ मकान बनाये जा रहे थे।

बेरोजगारी

†३०४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६१ में ३१ मार्च, १९६१ तक कितने बेरोजगार मैट्रिकुलेटों, इन्टर पास और स्नातकों के नाम दर्ज थे, और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को रोज़गार दिला दिया गया था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९६० के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ग	३१-१२-१९६० को पंजीबद्ध व्यक्तियों की की संख्या	१९६० में जितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया
मैट्रिक	३,९९,८८०	८१,०९९
इन्टर	६०,७५६	१०,४९५
स्नातक	४६,५८४	१४,२१४
कुल	५,०७,२२०	१,०५,८०८

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३०४५. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री पांगरकर :

क्या **प्रधान मंत्री** मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ नवम्बर, १९६० से २८ फरवरी , १९६१ तक पूर्वी पाकिस्तान से ८३,१९४ पाकिस्तानी राष्ट्रजन और पश्चिमी पाकिस्तान से ५३, ३४१ पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में ५६,१०९ भारतीय राष्ट्रजन पूर्वी पाकिस्तान गये थे और २९,३९५ पश्चिमी पाकिस्तान गये थे।

विशेष —उक्त आंकड़ों में आसाम के संबंध में आंकड़े केवल ३१ जनवरी, १९६१ तक के हैं। उन में गुजरात के सम्बन्ध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

फलों का निर्यात

†३०४६. **श्री वें० प० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों को केले के निर्यात की संभावना की जांच की है ; और

(ख) क्या जमाये हुए फलों के निर्यात की कोई संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) आस पास के देशों जैसे कि बहरीनद्वीप तथा कुवैत को केले के निर्यात की सम्भावनाएं उत्साहजनक हैं।

(ख) जी, नहीं ।

मेंडक के मास का निर्यात

†३०४७. **श्री वें० प० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन किन देशों को मेंडक के मांस का निर्यात किया जाता है ; और

(ख) निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) अमरीका तथा फ्रांस ।

(ख) मेंडक के मांस के निर्यात करने को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं:—

(१) मेंडक के मांस का निर्यात विशेष निर्यात संवर्धन योजना के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है ।

(२) फ्रांस से व्यापार करार में मेंढक के मांस (मेंढक की टांगों) का मद भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

बिना पार पत्रों के ही विदेशों को यात्रा करने वाले भारतीय

†३०४८. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में कितने भारतीय नागरिक बिना पार पत्र के ही यात्रा करते हुए पकड़े गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** गत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक बिना पारपत्र के यात्रा करते हुए नहीं पकड़ा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिमला में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रतिकरात्मक भत्ता

†३०४९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेजीडेण्ट्स एस्टेट, शिमला में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को शिमला प्रतिकरात्मक भत्ता अदा नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो क्या इस मामले पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) मामले के बारे में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) प्रैजीडेण्ट्स एस्टेट शिमला के उक्त कर्मचारी २ नवम्बर, १९६० से प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ;

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नैपाल की विदेश नीति

†३०५०. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की नयी सरकार ने अपनी सामान्य विदेश नीति तथा विशेष रूप से भारतीय सम्बन्धों के बारे में नीति के बारे में कोई बयान दिया है; और

(ख) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नेपाल सरकार ने १५ दिसम्बर, १९६० और ५ जनवरी, १९६१ को जारी की गयी दो उद्घोषणाओं में निम्नलिखित विदेशी नीति स्पष्ट की है :—

> "जहां तक विदेशी मामलों का संबंध है, हम अपने तटस्थता के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करेंगे और सभी मित्र राष्ट्रों के साथ पारस्परिक सद्भावना और मैत्री बनाये रखने की नीति कायम रखेंगे और हम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की हृदय से कामना करते हैं। हमारी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में निहित सिद्धांतों से ही प्रेरणा प्राप्त करेगी और वह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक गुट में शामिल न होने की होगी।"

भारत से संबंधों के बारे में नेपाल सरकार ने १२ जनवरी, १९६१ को एक प्रैस नोट जारी किया था जिसमें यह कहा गया है :—

> "नेपाल और भारत में मित्रता के संबंध न ही केवल प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अपितु वे अनिवार्य भी हैं। इसलिये दोनों में से किसी भी देश को ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे दोनों देशों के लोगों के मन में सन्देह पैदा हो ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अफगानिस्तान से मेवों का आयात

†३०५१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान से मेवों के आयात के लिये आयात लाइसेंस देने के लिये किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ख) अधिकतम कितने माल के आयात के लिये लाइसेंस दिया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र) :** (क) और (ख). अफगानिस्तान से मेवों के आयात के लिये मान्यता-प्राप्त आयातकों को, भारत-अफगान व्यापार समझौते और उसके अन्तर्गत विनिमय किये गये पत्रों में निश्चित मुद्रा संबंधी उच्चतम सीमा के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर अनुमति पत्र दिये जाते हैं। मान्यता-प्राप्त आयातकों का मुख्य दायित्व यही है कि अफगानिस्तान से जितना माल आयात करने की अनुमति उन्हें दी गयी है उसे प्रति-सन्तुलित करने के लिये उन्हें अफगानिस्तान को माल का निर्यात करना चाहिये किन्तु मान्यता-प्राप्त आयातकों के अतिरिक्त व्यक्तियों को उतने मूल्य का माल आयात करने के परमिट दिये जाते हैं, जितने मूल्य के माल का, जो परम्परागत माल के अतिरिक्त हो, निर्यात उन्होंने अफगानिस्तान को किया हो। इस प्रयोजन के लिये सूती कपड़ा, चाय, कृत्रिम रेशम का सामान, उनी माल, नकली जरी का सामान, चमड़े और रबर की चीजें और मोटरगाड़ियों के पुर्जों को अफगानिस्तान को निर्यात किये जाने वाले परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त चीजें समझा जाता है। आयात की कोई अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गयी है

प्रोफेसर महालनोबीस के सुझाव

†३०५२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोफेसर महालोबीस ने अपनी पुस्तक 'साइन्स एंड प्लानिंग (विज्ञान कर्मी, कलकत्ता, जनवरी, १९५८)' में भारत की जनसंख्या में जो ५० लाख व्यक्तियों की वार्षिक वृद्धि होती है उसके लिये अपेक्षित ७००,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिये जो अनेक वैकल्पिक सुझाव दिये हैं उनमें से मंत्रालय को कौन सा सुझाव अच्छा लगा है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रतिवर्ष एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) क्या प्रतिवर्ष इस प्रकार के एक उर्वरक संयंत्र के लिये साज सामान का निर्माण करने की क्षमता वाला एक इंजीनियरी संयंत्र की स्थापना करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र) :** (क) से (घ). प्रोफेसर महालनोबीस ने संक्षेप में यह सिफारिश की थी कि भारत की जनसंख्या में ५० लाख व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से होने वाली वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष ७००,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने पर विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रा का प्रचुर मात्रा में व्यय करना पड़ेगा। यदि प्रतिवर्ष ३५०,००० टन की उत्पादन-क्षमता वाला एक कारखाना खोल दिया जाये तो विदेशी मुद्रा संबंधी व्यय में काफी कमी हो सकती है इसके लिये फसलों के मौसम से ४ अथवा ५ वर्ष पहले निर्णय करना आवश्यक है। इसी प्रकार भारी मशीनों का निर्माण करने वाला एक कारखाना लगाने पर जो प्रतिवर्ष ३५०,००० टन उत्पादन क्षमता वाले एक उर्वरक कारखाने के लिये मशीनें और अन्य साज सामान बना सकता हो, तुलनात्मक दृष्टि से कम व्यय होगा। इस प्रकार का निर्णय हमें उस मौसम से, जिसमें उर्वरकों का प्रयोग हो सकता है, लगभग ८ अथवा १० वर्ष पहले करना होगा।

खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत सी उर्वरक-परियोजनाओं की मंजूरी पहले से ही दे रखी है। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिये, जिन सादे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उनका निर्माण भारत में किया जाता है। देश में औद्योगिक विकास होने और भारी मशीनें निर्माण करने के कारखानों की स्थापना होने के साथ साथ देश में बनाये जाने वाले उपकरणो तथा साज सामान के अनुपात में भी यथासमय वृद्धि होने की आशा है।

मद्रास में बिजली से चलने वाले अधिकृत और अनधिकृत करघे

†*३०५३. **श्री सुब्बया अम्बलम्** :
श्री पलनियाण्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास मे इस समय बिजली से चलने वाले अधिकृत और अनधिकृत करघों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक जिले में कितने करघों पर सूती कपड़ा बनाया जा रहा है और कितने करघों पर अन्य कपड़ा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मद्रास राज्य के अधिकृत और अनधिकृत विद्युत्-करघों के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नही हैं। किन्तु समूचे मद्रास राज्य में विद्युत्-करघों की संख्या की जानकारी नीचे दी गयी है :—

अधिकृत सूती विद्युत् करघे . .	११६८
अधिकृत गैर-सूती विद्युत् करघे . .	१५८९
अनधिकृत सूती विद्युत् करघे	२९२
अनधिकृत गैर सूती विद्युत् करघे	८८५

कलकत्ता में बैल्जियम का वाणिज्य दूतावास

†३०५४. **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में स्थित बैल्जियम के वाणिज्य दूतावास ने अपने फर्नीचर और साज-सामान को पहुंची क्षति के लिये, जो फरवरी, १९६१ में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पहुंचाई कही जाती है, मुआवजा मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना मुआवजा मांगा गया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ५१०० रु० ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

शराब का आयात

†३०५५. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६० तक भारत में प्रति वर्ष विभिन्न किस्म की कितनी और कितने मूल्य की शराब का आयात किया गया ;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस शराब के आवंटन का क्या तरीका है और इन वर्षों मे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया ;

(ग) भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा इसमें से कितनी शराब का उपभोग किया जाता है ; और

(घ) इन शराबों का आयात करने के लिये प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) सुस्थापित आयातकों को आयात नीति के अन्तर्गत ग्राह्यसीमा तक आयात लाइसेंस दिये जाते हैं और विभिन्न राज्यों में व्यापारियों/दुकानदारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा उनको दिये गये एक्साइज लाइसेंसो के आधार पर माल हासिल किया जाता है । केन्द्रीय सरकार आयात की गयी विदेशी शराब का राज्य सरकारो का आवंटन नहीं करती ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

एकीकृत फोटो एकक[1] द्वारा लिये गये फोटोग्राफ के प्रिंट

†३०५६. **श्री आसर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत फोटो एकक द्वारा लिये गये फोटोग्राफ्स के प्रिंट कुछ समय के पश्चात् बेकार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, प्रतिमास औसतन कितने फोटोग्राफ्स बेकार हो जाते हैं ; और

(ग) उनका किस प्रकार निपटारा किया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं । यह एकक विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार प्रिंट तैयार करता है और अपने पास प्रिंट जमा नहीं करता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Integrated Photo Unit.

सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों के लिये जमीन

†३०५७. **श्री राम गरीब** : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को, जिन्हें भारत के विभाजन से पुर्व जिला मिंटगुमरी (पश्चिम पाकिस्तान) में कृषि योग्य अथवा अन्य भूमि दी गई थी, विभाजन के कारण उनके भारत आने पर पूर्व पंजाब में जमीन दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में जिलेवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों को निष्क्रान्त भूमि दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां। इन व्यक्तियों को भारत में भूमि का आवंटन लेने का अधिकार है बशर्ते कि पश्चिम पाकिस्तान में उनको आवंटित भूमि पर विभाजन से पूर्व उनका कब्जा रहा हो।

(ख) और (ग). सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों को किये गये आवंटन के पृथक आंकड़े नहीं जरखे जाते थे अत: वे उपलब्ध नहीं हैं।

पारपत्र जारी करना

३०५८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से दान लेने के लिये अन्य देशों में जाने के हेतु पारपत्र जारी किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन पारपत्र जारी करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). आमतौर से विदेशों में चंदा इकट्ठा करने के लिए जाने वाले लोगों को पासपोर्ट नहीं दिये जाते। लेकिन खास-खास मामलों में ऐसे लोगों को, जिनसे यह आशा हो कि वे चंदा इकट्ठा करेंगे, तभी पासपोर्ट दिए गए हैं जबकि संबद्ध देश के भारतीय मिशन प्रमुख ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे उनकी इस प्रकार यात्रा करने पर कोई आपत्ति न होगी।

ग्रामोद्योगों की बनी वस्तुओं का निर्यात

३०५९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामोद्योग द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को भारत से विदेशों में निर्यात करने के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ; और

(ख) इस प्रकार के प्रमाण-पत्र किस श्रेणी के व्यापारियों व संस्थाओं को किस आधार पर प्राप्त हो सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत काम करने वाले ग्रामोद्योगों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री स्थानीय रूप से की जाती है। इसलिये निर्यात के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कठिनाइयों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूतों का निर्यात

३०६०. **श्री प० ला० बारूपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हाल में राजस्थान में बने जूतों की मांग बढ़ गयी है ;

(ख) भारत से १९५९ और १९६० में राजस्थान में बने कितने जोड़ी जूतों का निर्यात किया गया ; और

(ग) विदेशों में प्रत्येक जूते की जोड़ी कितने मूल्य पर बिकती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). किसी राज्य विशेष में बनाये गये जूतों के निर्यात संबन्धी आंकड़े अलग नहीं रखे जाते। फिर भी देश से निर्यात किये गये जूतों के मूल्य में सम्पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक देश में जूते बिकने का मूल्य अलग-अलग होता है, जो लागत, भाड़ा, आयात शुल्क तथा व्यापारियों के मुनाफे इत्यादि पर निर्भर रहता है।

राजकुमार सुवन्ना फूमा की भारत यात्रा

†३०६१. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकुमार सुवन्ना फूमा अभी हाल में भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके यहां आने का क्या उद्देश्य था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) राजकुमार सुवन्ना फूमा १८ से ले कर २२ मार्च, १९६१ तक नई दिल्ली में रहे।

(ख) राजकुमार ने लाओस की राजनैतिक स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। यह बातचीत गोपनीय थी।

तीसरी पंच वर्षीय योजना

†३०३२. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ ने अपनी अभी हाल की बैठक में तीसरी पंच वर्षीय योजना में उत्पादन की रूपरेखा में और संसाधनों के आवंटन में कुछ परिवर्तन करने तथा रूपभेद करने के सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं ; और

(ग) इनके बारे में सरकार का क्या मत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम और योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ के संकल्प की एक प्रति **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या १३]** रखी जाती है। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं वे सामान्य किस्म के हैं और तीसरी योजना को तैयार करते समय उनका ध्यान रखा गया है ।

दादरा और नागर हवेली

†३०६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार दादरा और नागरहवेली के स्वतंत्र प्रशासन को वहां पर विकास-कार्यवाहियों के लिए प्रविधिक सहायता देने का है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थूल रूपरेखा क्या है ; और

(घ) आगामी वर्ष कितनी सहायता देने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) से (घ). अब तक दादरा और नागरहवेली के प्रशासन ने भारत सरकार से जो भी विशेषज्ञ-परामर्श तथा अन्य प्रकार की प्रविधिक सहायता मांगी है, वह उन्हें प्रदान की गयी है ; सरकार की उन्हें भविष्य में भी सहायता देते रहने की नीति है । वहां के प्रशासन ने भारत के उस प्रकार के इलाकों की योजनाओं के अनुसार वहां के लिए विकास योजनाएं तैयार की हैं। इस समय उस क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं । यदि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी ।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस, नई दिल्ली

†३०६४. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली में बहुत से कर्मचारियों के कार्य-काल में वृद्धि की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियो के कार्य-काल में वृद्धि की गयी है और कितनी अवधि के लिए की गयी है ; और

(ग) कार्य-काल की अवधि में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) एक नान-मिनिस्टीरियल पदाधिकारी को उसके सेवाकाल की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि दी गयी है । गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली में ऐसे मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् समय समय पर नौकरी पर बनाये रखा गया और जो अब भी काम कर रहे हैं, ३५ हैं। मूलभूत नियमो और अनुपूरक नियमों के अधीन, किसी मिनिस्टीरियल अधिकारी को, जो १ अप्रैल, १९३८ से पहले सरकारी नौकरी में आया हो और जिसका ३१ मार्च, १९३८ को किसी स्थायी पद धरणाधिकार अथवा

†मूल अंग्रेजी में

निलम्बित धर्णाधिकार[1] हो, ६० वर्ष की आयु तक नौकरी में रखा जा सकता है बशर्ते कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो और उसकी कार्यकुशलता कायम हो। ५५ वर्ष की आयु के पश्चात उसके नौकरी करते रहने को कार्य-काल में वृद्धि नहीं समझा जाता।

(ग) मुद्रण और स्टेशनरी विभाग में अनुभव प्राप्त प्रविधिक अधिकारियों की भीषण कमी।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस, नई दिल्ली

†३०६५. **श्री वाजपेयी : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली की रीडिंग शाखा (संसद् भाग) के कर्मचारियों को प्रूफ पढ़ने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके बैठने का स्थान फोल्डिंग और स्टिचिंग मशीनों के बिल्कुल पास है, जिससे वहां पर बड़ा शोर होता है ; और

(ख) यदि हां तो केवल प्रूफ रीडरों और कापी-होल्डरों को पृथक कमरा न दिये जाने के क्या कारण हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) यह सच है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली (संसद्-शाखा) की रीडिंग शाखा के कर्मचारियों के बैठने का स्थान एक फोल्डिंग और स्टिचिंग मशीन के बिल्कुल पास है किन्तु ये ऐसी मशीनें हैं जिनसे एक मुद्रणालय में सब से कम शोर होता है गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली में स्थान की कमी के कारण प्रूफरीडरों और कापी-होल्डरों के लिए एक पृथक कमरे की व्यवस्था करना सम्भव नहीं। प्रेस की इमारतों का विस्तार होते ही प्रेस की संसद् शाखा की रीडिंग शाखा के प्रूफरीडरों और कापी होल्डरों के लिए एक पृथक कमरे की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा।

केरल में सुगन्धित तेलों का कारखाना

†३०६६. **श्री मणियंगाडन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नीम्बू घास तेल से 'आइयोनोन' 'विटामिन ए' और अन्य पदार्थ बनाने के लिए एक सुगन्धित तेलों का कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) आजकल भारत में 'आइयोनोन' का प्रतिवर्ष कितना आयात होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हमें इसकी कोई जानकारी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जनवरी से दिसम्बर, १९६० तक—१५७९ पौंड, जिसका मूल्य ३०,११७ रु० है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Suspended Lieu

मोतीबाग–२, नई दिल्ली

†३०६७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली की नई बस्ती, मोती बाग–२, में आवश्यक लॉन, बच्चों के पार्क आदि की व्यवस्था हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जायेंगी;

(ग) क्या सरकार मोतीबाग–२ में बनीं दुकानों को शीघ्र अलाट करेगी; और

(घ) क्या रिंग रोड पर, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल से धौला कुआं तक, बिजली लगाने की कोई प्रस्थापना है, और यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी नहीं।

(ख) कुछ पेड़ लगा दिये गये हैं। लॉन आदि लगाने का काम बिना साफ किये गये पानी की सप्लाई की व्यवस्था होने के बाद किया जायेगा। बिना साफ किये गये पानी की सप्लाई की व्यवस्था के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और आशा है कि सितम्बर १९६१ तक यह काम पूरा हो जायेगा। बच्चों के पार्कों की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जानी है।

(ग) नगर निगम को मार्केट हस्तान्तरित करने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम ही दुकानें अलाट करेगा।

(घ) रिंग रोड के एक हिस्से में अर्थात् सफदरजंग अस्पताल से लेकर सिंधिया पौटरीज तक—बिजली लग गई है। सड़क के बाकी हिस्से में बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। यहां बिजली या तो सीधे ही या सड़क के दोनों ओर लगाई जाने वाली सर्विस रोड्स से लाई जायेगी।

विज्ञापन और विपणन विशेषज्ञों का सम्मेलन

†३०६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन में विज्ञापन और विपणन के महत्व पर विचार करने के लिये विज्ञापन और विपणन विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गईं?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) इण्डियन सोसाइटी आफ एडवर्टाइजर्स द्वारा, जो कि एक गैर-सरकारी निकाय है, हाल में नई दिल्ली में विज्ञापन और विपणन विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन के संकल्प समाचार-पत्रों में छप चुके हैं।

नागपुर में छोटे पैमाने के उद्योग

†३०६९. **श्री कुन्हन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा नागपुर में उद्योगों को कोई सहायता दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नागपुर में १९५९, और १९६० में अलग अलग फर्मों को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९५९ और १९६० के अलग अलग आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं। हां, दो वर्षों में कोई ६० एककों को निम्न प्रकार से सहायता दी गई:—

(१) उत्पादों की किस्म के सुधार के लिये प्रविधिक सहायता।

(२) नये तथा वर्तमान कारखाने दारों द्वारा क्रियान्विति के लिये योजनाएं देना।

(३) सुधरी हुई मशीनों और उपक्रमों के सम्भरण कर्ताओं के बारे में जानकारी देना ।

(४) निर्माण के बेहतर तरीकों के बारे में प्रविधिक जानकारी देना।

भूटान से आये तिब्बती शरणार्थी

†३०७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में चार सौ और तिब्बती शरणार्थी भूटान से दार्जिलिंग आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब उस जिले में ऐसे कुल कितने शरणार्थी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू**) : (क) २३ फरवरी और १७ मार्च, १९६१ के बीच ३५८ तिब्बती शरणार्थी दार्जिलिंग पहुंचे।

(ख) ३ अप्रैल, १९६१ तक दार्जिलिंग जिले में तिब्बती शरणार्थियों की कुल संख्या ४३४३ थी।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी

†३०७१. **श्री राम गरीब** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा लिये जाने वाले पानी तथा अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क की दरें क्या हैं;

(ख) क्या इन अतिरिक्त सेवाओं में बस्ती की सफाई, अर्थात् सड़कों पर झाड़ू लगाना आदि, भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो एन्ड्रज गंज में कोई मेहतर क्यों नहीं हैं और वहां के निवासियों को मेहतरों का खर्च खुद क्यों उठाना पड़ता है; और

(घ) क्या भिन्न-भिन्न बस्तियों में भिन्न-भिन्न दरें हैं; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) वर्तमान दरें ये हैं:—

(१) **सामान्य पूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर**

(एक) **पानी शुल्क**

दफ्तरी टाइप	३ रुपये प्रतिमास
चपरासी टाइप	१रुपया ८० नये पैसे प्रतिमास

(दो) **सफाई शुल्क**

५० नये पैसे प्रति मास (केवल उन लोगों से जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सामान्य शौचालयों का प्रयोग करते हैं)

(२) **एन्ड्रूज गंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर**

(एक) पानी शुल्क	२ रुपये ५० नये पैसे (अस्थायी)
(दो) सफाई शुल्क	५९ नये पैसे प्रति मास

(क्योंकि यह एक नई बस्ती है, शुरू में शुल्क अस्थायी दरों पर वसूल किया जा रहा है। अन्तिम दरें निश्चित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। यदि कोई अतिरिक्त, रकम वसूल हो गई तो वह वापस लौटा दी जायेगी)

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न उन्त्पन्न नहीं होता।

(घ) **सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेज)**

सामान्य शौचालयों के प्रयोग के लिये सबसे ५० नये पैसे प्रतिमास के हिसाब से वसूली की जाती है ।

पानी शुल्क

सरकार पानी शुल्क उन क्वार्टरों के सम्बन्ध में वसूल करती है। जिनमें अलग पानी के मीटर नहीं होते और अलाटी सामान्य मीटरों के जरिए पानी का उपभोग करते हैं। इस पानी के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों को भुगतान करता है। सामान्य पूल के क्वार्टरों में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से वसूली 'तदर्थ' दरों पर की जाती है, जो कि विभिन्न बस्तियों में कुल वास्तविक व्यय के आधार पर फैलाये गये दरों से बहुत कम हैं। 'एन्ड्रूज गंज' एक नई बस्ती है और वहां वसूली अस्थायी दरों पर ही की जा रही है। ठीक-ठीक दरें निश्चित करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारीयों को पकड़े जाने के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): यह बड़ी विचित्र बात है कि नागा विद्रोहियों द्वारा हमारी वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़े जाने की सारी बातें एक विदेशी सम्वाददाता श्री गेबिन यंग

---

†मूल अंग्रजी में

को ज्ञात हैं और हमें उसका पता तक नहीं। इस बात के बारे में प्रतिरक्षामंत्री को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

†अध्यक्ष महोदयः माननीय प्रतिरक्षामंत्री के लिये आवश्यक नहीं कि उनके बारे में मिनट-मिनट की खबरें वह दें। जैसे माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं उसी प्रकार से मंत्री भी पढ़ते हैं। अतः माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। मैं अल्प-सूचना प्रश्न की अनुमति नहीं देता। सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र

कहवा अधिनियम, १९४२ के अधीन अधिसूचनाएं

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): श्रीमान् मैं (१) कहवा अधिनियम १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५१ में प्रकाशित कहवा (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० २८२४/६१]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई / देखिये संख्या एल० टी०-२८२५/६१]

प्राक्कलन समिति

एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर): मैं, इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन– जो नेवेली लिगनाइट निगम के बारे में है, उपस्थापित करता हूं।

बित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका

†श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें--जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय-जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। विरोधी दल वालों को जो समय दिया जाता है उसका उन्हें पता है परन्तु कांग्रेस वालों को जो समय दिया जाता है उसमें वह ठीक तरह की व्यवस्था नहीं करते। उन्हें ठीक तरह से समय का बंटवारा करना चाहिए। आसाम से चूंकि किसी भी सदस्य को अवसर नहीं मिला इस कारण श्री बरुआ को बोलने का अवसर मिलेगा।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन): इस प्रकार की चर्चाओं के लिए सभा का समय बढ़ा देना चाहिए ताकि....

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इसमें आपत्ति नहीं। यदि सरकार को मंजूर हो तो हम १० दिन तक और सत्र को बढ़ा सकत हैं। श्री रामसिंह भाई वर्मा।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं निवेदन कर रहा था कि सिंदरी में १९५६-५७ में ३,३३,७०५ टन उत्पादन हुआ है और सन् १९५९-६० में वह घट कर २,८५,२८४ टन रह गया, यानी ४८,५०० टन कम हुआ। डिविडेंड, व्याज और डिवेलेपमेंट रिवेट आदि देने के बाद १३४,४७,३१४ रुपये का नुकसान हुआ और यह दुर्भाग्यवश मेनटेनेंस के कारण एक प्लांट के अन्दर ही हुआ। किन्तु फिर भी यह कहना पड़ेगा कि पब्लिक सैक्टर हमारा काफी प्रगति कर रहा है, उत्पादन की दृष्टि से और अन्य दूसरी दृष्टियों से भी। मैं नेफा का ही जिक्र कर देना चाहता हूं। दो साल पहले यह कारखाना सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आया। उस से पहले इस कारखाने ने कितना ही नुकसान उठाया था और करोड़ों का अपने ऊपर कर्जा कर लिया था। लेकिन इन दो सालों का नतीजा अच्छा आया है। पिछले बरस ३७ लाख रुपये का नेफा ने प्राफिट किया है और मैं समझता हूं कि जो वैलेंस शीट निकलने वाला है आगे का उस में यह कारखाना अपने शेयर होल्डर्ज़ को डिविडेंड भी दे सकेगा। मैं इस में हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि पबलिक सैक्टर में एक जबरदस्त कठिनाई है और वह यह है कि प्राइवेट सैक्टर नहीं चाहता कि पबलिक सैक्टर फले फूले और आगे बढ़े और अनुभव ऐसा पायागया है कि पबलिक सेक्टर में जो टैकनीशियन काम करते हैं उन्हें प्राइवेट सैक्टर वाले प्रलोभन दे कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यह आम तौर पर देखा गया है। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह पबलिक सैक्टर के टैकनीशियन्स को ऐसा करने से रोका जा सकता है। हमारे देश में प्रजातंत्र है और सब को अपनी रोटी रोजी जिस तरह से वह चाहें प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो टैकनिशियन पबलिक सैक्टर में हैं उनको पबलिक सैक्टर में बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को या तो उनकी ग्रेड या वेतन बढ़ाना चाहिए या उनको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि वे पबलिक सैक्टर में टिके रहें।

इस के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में उद्योगों का इतना विकास हो रहा है पबलिक सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में भी, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्दर जिसका मध्य भारत भी हिस्स है, भिंड मुरैना से लेकर नीमाड़ खरगोन तक, उस में हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद से कोई कारखाना नहीं डाला गया है। यह प्रदेश कारखाने डालने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा निवेदन है कि आप इस बात पर खयाल रखेंगे कि मध्य प्रदेश के अन्दर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

जो मध्य भारत का हिस्सा है मालवा के अन्दर जैसे निमाड़, खरगोन, धार, देवास, उज्जैन, और भिंड मुरैना का डाकू ग्रस्त क्षेत्र, वहां पर नए उद्योग डालने का प्रयत्न किया जाए।

मने एक सप्लीमेंटरी सवाल किया था। उस के उत्तर में प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग रा मैटीरियल का भाव बढ़ जाने के कारण जो माल हमारे यहां तैयार होता है उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। जरूरत यह है कि हमारे यहां भाव न बढ़ें। उसके लिए भावों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, लेकिन जब तक आप रा मैटीरियल का भाव कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक तैयार माल का दाम कंट्रोल करना भी कठिन होगा। जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि रा मैटीरियल और तैयार वस्तुओं पर कंट्रोल करना जरूरी है और उस के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल करना भी हमारे लिए जरूरी है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। हमारे माननीय सोमानी जी ने उसका जिक्र किया। यह सही है कि टैक्सटाइल के अन्दर आपको आधुनीकरण करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आधुनीकरण करें—बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को छोड़ कर—तो कम से कम छोटे शहरों में जिनकी आबादी छे सात लाख के करीब हो, वहां पर बेकारी न बढ़ने पाए, गौर इसलिए मेरी यह मांग है कि अगर ऐसे छोटे शहरों में कोई यूनिट हों जिनका आप आधुनीकरण करें तो इस प्रकार करें, कि उस यूनिट की कैपेसिटी को बढ़ाकर करें जिससे कि वहां पर बेकारी न बढ़ने पाए और एम्प्लायमेंट बराबर रहे। अक्सर कहा जाता है कि बिना बेकारी बढ़ाए हुए राशनलाइजेशन का आधुनीकरण किया जाए। लेकिन उस से बेकारी तो हो जाएगी, जहां पांच हजार मजदूर काम करते हैं, आधुनीकरण करने पर वहां तीन हजार मजदूर रह जायेंगे, तो उस शहर की बेकारी जरूर बढ़ेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि आप इस तरह से आधुनीकरण करें कि पांच हजार, या तीन हजार या दो हजार मजदूर, जिस कारखाने में काम करते हैं वे उतने ही बने रहें। आप स्पिंडिल बढ़ाएं, लूम्स बढ़ाएं, आज तो बहुत से कारखानों में तीन तीन पालियां भी चल रही हैं। इसी तरह आप उन कारखानों में पालियां बढ़ावें। लेकिन मजदूर बेकार नहीं होने चाहिए।

इस के साथ साथ मैं टैक्सटाइल के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सटाइल की दशा अच्छी है। मैं ने देखा कि पिछले समय जब वेज बोर्ड का निर्णय हमारे सामने आया तो ऐसा कहा गया कि अगर वेज बोर्ड की सिफारिशें मान ली गयी तो टैक्सटाइल इंडस्ट्री मर जाएगी, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि ७५ फी सदी से अधिक कारखानों में ये सिफारिशें अमल में लायी जा रही हैं फिर भी यह इंडस्ट्री प्राफिट के साथ चल रही है और ठीक ढंग से चल रही है। मैं तो यह मानता हूं कि यदि इस इंडस्ट्री में मिसमैनेजमेंट बन्द हो जाए तो यह काफी टिक सकती है। आज तो मैं कह सकता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के प्राइवेट सैक्टर में जितना मिसमैनेजमेंट है उतना दूसरी किसी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता।

इस के साथ साथ मैं एक निवेदन प्राइवेट सैक्टर के बारे में करना चाहता हूं। यह बात ध्यान में देने योग्य है कि हमारी एक्सपोर्ट की तादाद उतनी नहीं है कि वह कम से कम हमारे इम्पोर्ट के बर बर आ जाए। लेकिन फिर भी प्राइवेट सैक्टर के ऐसे बेजरूरी उत्पादन के कारखानों के लिए रा मैटीरियल इम्पोर्ट किया जाता और वे कारखाने खूब मुनाफा उठाते हैं। यह हमारे लिए चिन्ता की बात है कि हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कम हो। हमको ऐसी चीजों का इम्पोर्ट रोक देना चाहिए जिन के इम्पोर्ट न करने से देश

को कोई नुकसान होने वाला न हो। और उस के कारण जनता को कष्ट होने की संभावना न हो। इस संबंध में मैं एक कारखाने का जिक्र करना चाहता हूं। इस कारखाने में आठ करोड़ की पूंजी लगी हुई है। वह कारखाना प्राइवेट सैक्टर में है और वह अपने लिए रा मैटीरियल इम्पोर्ट करता है। वह कारखाना एक लाख रुपया प्रतिदिन का प्राफिट करता है। उसका पिछला बैलेंसशीट मेरे सामने है। उस कारखाने में जिसकी तमाम रुकी हुई पूंजी करीब ८ करोड़ है ३ करोड़ २१ लाख १५ हजार का मुनाफा हुआ और इसका सारा रा मैटीरियल इम्पोर्ट होता है। हमको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसी चीजों के इम्पोर्ट पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए जिनको यदि इम्पोर्ट न किया जाए तो देश का कोई नुकसान होने वाला न हो।

इस के बाद मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एक मेम्बर हूं। और माननीय मंत्री जी उस के अध्यक्ष हैं। प्रोडक्टिविटी काउंसिल लाखों रुपया स्टडी टीमों को विदेशों को भेजने में खर्च करती है लेकिन उन के विदेशों में जा कर अध्ययन कर के आने के बाद उस के परिणामस्वरूप देश की प्रोडक्टिविटी में कितनी बढ़ोतरी होती है इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। जहां तक मैं ने इस विषय को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम्स प्रोडक्टिविटी काउंसिल के खर्चे से विदेशों में जा कर तफरीह करती हैं और वहां से वापिस आने के बाद अपनी रोटी रोजी की चिन्ता करती हैं। देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लेती। अगर हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो उसका कारण है इनवेस्टमेंट, मशीनरी का बदला जाना या मजदूरों से सहयोग प्राप्त करना। मेरा ऐसा अनुभव नहीं है कि ये टीम्स जो विदेशों को अध्ययन करने जाती हैं उन के ज्ञान या अनुभव से प्रोडक्टिविटी में कोई वृद्धि हुई हो।

मैं पबलिक सैक्टर के बारे में भी एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ने ऊपर जिक्र किया कि पबलिक सैक्टर में टैकनीशियन नहीं टिकते। इस के अलावा उसके अन्दर कुछ मिसमैनेजमेंट भी है। यह बहुत जरूरी है कि पबलिक सैक्टर के अन्दर ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स कायम की जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो श्रमिक उस के अन्दर काम करते हैं वे उस के वर्किंग में दिलचस्पी लेंगे और वे इस बात का खयाल रखेंगे कि क्या टैकनीशियन और क्या मैनेजमेंट सही दिशा में काम करें।

मैं नेफा मिल का जिक्र करना चाहता हूं। हालांकि वहां ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल नहीं है लेकिन जब से मैं उस के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में शरीक हुआ हूं, वहां के श्रमिको के मन में यह आ गया है कि हमारा एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में बैठा हुआ है। उनका विचार होता है कि हम इस कारखाने को इस प्रकार से चलाएं कि हम कामयाब हों। जब ज्वाएंट मैनेजमेंट कौंसिल के अन्दर स्वयं श्रमिक बैठते हैं और उद्योग के प्रतिनिधि बैठते हैं तो श्रमिकों को भी यह भावना होती है कि उन्हें मैनेजमेंट को सुधारने और सही दिशा में उसको चलाने का मौका मिला है तो वह यह देखें कि अमुक इंडस्ट्रीज के अन्दर जहां हम ने मैनेजमेंट कौंसिल कायम कीं, उनकें अन्दर श्रमिकों ने कितना योग दिया? प्रोडक्टिवटी कितनी बढ़ाई, प्रोडक्शन उन में कितना बढ़ाया और पबलिक सैक्टर में डिसिप्लन कितनी कायम हुई?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): औद्योगिक क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि दशाब्दों के हिसाब से देखा जाय तो ज्ञात होगा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

कि हमारे उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि १९५० के बाद शुरू किये गये इंजीनियरिंग उद्योगों को भी शामिल कर लिया जाय तो वृद्धि और भी ज्यादा प्रतीत होगी।

परन्तु हमें यह बात दुख से कहनी पड़ती है कि असाम के विकास की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कारखाना नहीं खोला गया। जनता इस प्रकार की उदासीनता से बहुत असन्तुष्ट है। आसाम में सभी प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है परन्तु कारखाने खोलना सरकार का काम है।

जहां तक चाय उद्योग का संबंध है यह उद्योग देश का सब से बड़ा उद्योग है। इससे देश में अत्यधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और अन्य करों के रूप में भी सरकार को करोड़ों रुपया इसी से प्राप्त होता है। इस उद्योग से कम से कम १० लाख आदमियों को रोजगार मिला हुआ है। परन्तु दुख की बात यह है कि तब भी इसके सही महत्व को सरकार ने नहीं समझा। तीसरी योजना के अन्त तक ९००० लाख पाउंड चाय के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है परन्तु इसके लिये सहायता देने के कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। जो कुछ रियायतें दी भी हैं वे भी नगण्य हैं।

जहां तक यह प्रश्न है कि हमारी चाय की मांग अमरीका और इंग्लैंड में क्यों कम होती जा रही है उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का अध्ययन किया जाना चाहिये। एक कारण हमारे व्यापार को धक्का लगने का यह भी है कि हमारी चाय महंगी बिकती है। इसे सस्ता करने के भी हमें उपाय करने चाहिये। हमें चाय की घरेलू खपत को भी कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

जहां तक और कठिनाइयों का संबंध है, चाय उद्योग को काफी उर्वरकों की भी प्राप्ति नहीं हो रही और न ही उसे वित्तीय सहायता मिल रही है। यदि यह कठिनाइयां दूर हो जायें तो उत्पादन अनिवार्य रूप से बढ़ सकता है।

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान् मैंने कुछ ही दिन पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का भार संभाला है, इस कारण जिन महानुभावों ने सद्भावना प्रकट की है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

पिछले दो दिनों में माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनसे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। मैंने उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना है। सामान्य रूप से जो सन्तोष प्रकट किया गया है, मैं उसके लिये भी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

इस मंत्रालय का कार्य महान रहा है। देश का औद्योगिक वातावरण एकदम से बदल गया है। आज मुझे ९ वर्ष पहले की स्मृति आती है जबकि हम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की स्थापना का काम शुरू करने लगे थे। उस समय लोगों में काफी गलतफहमियां थीं और सरकारी प्रयत्नों को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु आज न केवल इस कारखाने की क्षमता ही दुगनी हो गयी है बल्कि सरकार दो वैसे ही और कारखाने स्थापित करने की चेष्टा कर रही है जिनमें से एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में होगा। इसी तरह हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कारखाना भी सफल हुआ है। इसको शुरू करने से पहले भी अनेक प्रकार की गलत धारणायें फैली हुई थीं। विदेशी विशेषज्ञ तक भी यही कहा करते थे कि सफलता में सन्देह है। परन्तु आज भोपाल का कार-

†मूल अंग्रेजी में

खाना सफलता-पूर्वक चल रहा है। अब हमारा विचार वैसे ही दो और कारखाने स्थापित करने का है। यह बताने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि देश का औद्योगिक वातावरण काफी बदल गया है।

श्री मनुभाई शाह ने कल सारी स्थिति का पुनर्वलोकन किया। इस संबंध में यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि जो भी सफलतायें प्राप्त हुई हैं उनका श्रेय श्री लाल बहादुर शास्त्री को है।

कल श्री शाह ने बताया था कि हमारी औद्योगिक नीति संविधान के निदेशक तत्वो के अनुसार ही बनाई जायगी। अतः इस संबंध में मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारी औद्योगिक प्रगति हमारी नीति पर ही आधारित है।

अभी कुछ ही दिन पहले हमने दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी की हैं, और तृतीय योजना के पंचवर्षीय काल में बिना किसी शोर शराबे के प्रवेश किया है। अपनी सफलता-असफलताओं के मूल्यांकन का, उनके लेखे-जोखे का यही समय है। आगे के लिये तैयार होने का यही समय है। मेरे सहयोगी, श्री मनुभाई शाह इसके बारे में आपको काफी बता चुके हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और भी विशेषतायें हैं हमारे उद्योग विस्तार कार्यक्रम की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि द्वितीय योजना काल में हमारे औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के सरकारी आंकड़ो में कई नये उद्योग सम्मिलित नहीं हैं। इसलिये वास्तविक वृद्धि उससे कहीं अधिक हुई है। देश में उपभोग संबंधी आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं, साथ ही हमारी औद्योगिक अर्थ व्यवस्था भी वृद्धिशील है। इन दोनों के कारण समाज की उत्पादन संबंधी मांग बढ़ती जा रही है, और यह बढ़ती हुई मांग निश्चय ही हमारे उद्योगों को अधिक गतिशील विकास की अधिकाधिक प्रेरणा देती रहेगी। हमारे सामने आज वास्तविक समस्या यह है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग ऐसे ढंग से करें कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े और हम जनता की मांगों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग कर सकें।

मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लेखा जोखा किया है। कई उद्योगों में द्वितीय योजना के लक्ष्य पूरे किये जा चुके हैं, हम कुछ उद्योगों में तो निर्धारित लक्ष्यों से भी आगे बढ़ गये हैं। तृतीय योजना के प्रारम्भिक दिनों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा करने के प्रयत्न किये गये हैं। इन आंकड़ों में नये परियोजना के उत्पादन के आंकड़े सम्मिलित करने के बाद, बुनियादी और अत्यावश्यक वस्तुओं की सुलभता की स्थिति और भी ज्यादा आसान हो जायेगी। तब देश अर्थ व्यवस्था के और आगे विकास के लिये आवश्यक गतिशीलता पैदा कर सकेगा।

बड़े सन्तोष का विषय है कि तृतीय योजना के प्रारम्भ तक हमने कई मूलभूत रासायनिकों के उत्पादन के मामले में या तो आत्म-निर्भरता हासिल कर ली है, या हम कुछ ही दिनों में आत्म-निर्भर बन जायेंगे। कास्टिक सोडा, लाइट सोडा एश, कैल्शियम कार्बाईड, पोटासियम क्लोरेट, सोडियम सल्फेट, इत्यादि के क्षेत्र में हम या तो आत्म निर्भर बन चुके हैं या निकट भविष्य में बन जायेंगे। मोटर-गाड़ियो, कागज, बाइसिकिलों, सिलाई की मशीनों, बिजली के पंखों, जैसी उपभोग वस्तुओं का भी यही हाल है। कुछ अन्य रासायनिकों का उत्पादन तो तीन और पांच गुना बढ़ चुका है, हालांकि फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है।

औद्योगिक मशीनों और मशीनी औजारों के क्षेत्र में भी यथेष्ट प्रगति हुई है। चीनी मिलों के लिये अपेक्षित मशीनों की अब लगभग पूरी मांग की हम पूर्ति करने लगे हैं। पूर्णरूप से देशीय कल पुर्जों से लैस पहली चीनी मिल ने हाल में अपना उत्पादन शुरू किया है। हम घुलनशील सत बनाने के कारखाने और डेरी कारखानों का भी निर्माण कर रहे हैं। कागज निर्माण की मशीनों,

[श्री क० च० रेड्डी]

सीमेंट की मशीनों, और रासायनिक तथा औषधीय कारखानों की मशीनों के निर्माण के कारखानों की स्थापना में भी काफी प्रगति हुई है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' और ऐसी ही कुछ निजी फर्मों ने मशीनी औजारों के निर्माण में यथेष्ट वृद्धि की है। मशीनी औजारों की नई नई किस्में भी बननी शुरू हुई हैं। सान चढ़ाने की मशीनों के निर्माण में भी यथेष्ट प्रगति हुई है। टंगस्टन कार्बाइड के निर्माण की दो बड़ी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

लेकिन इस औद्योगिक विकास के संधारण, इसे बनाये रखने के लिये, अर्थ व्यवस्था की भी कुछ अपेक्षायें हैं। इन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन को वर्तमान स्तर पर बनाये रखने और उनकी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये आवश्यक है कि आवश्यक कच्चे माल का आयात हो, आवश्यक पुर्जे और पूंजी वस्तुयें सुलभ रहें। इसके लिये हमने कई उपाय किये हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन हमने अपने देश में शुरू किया है। रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में ही यह प्रयत्न सबसे अधिक हुआ है—रेयन की लुगदी, संश्लिष्ट रबर, कार्बन ब्लैक, बेसिक प्लास्टिक इत्यादि के उत्पादन की दिशा में। इसके उद्योग १९६२ के अन्त या १९६३ के आरम्भ में शुरू हो जायेंगे। तब कच्चे माल की स्थिति काफी सुधर जायेगी।

कच्चे लोहे और इस्पात की सुलभता बढ़ने के कारण, अब हमारे कई इंजीनियरिंग उद्योग इस स्थिति में आ गये हैं कि विदेशी मुद्रा पर कोई दबाव बढ़ाये बिना अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कई उद्योगों ने आयातों में वृद्धि किये बिना ही अपना उत्पादन काफी बढ़ा लिया है। मोटर उद्योग १९५९ में ३६,००० गाड़ियां तैयार करता था और १९६० में उसने ५२,००० गाड़ियां तैयार की हैं। हर क्षेत्र में देशीय कल पुर्जों का उपभोग बढ़ता गया है।

लेकिन कुछ ऐसी भी चीज हैं, जो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिये अत्यावश्यक हैं, पर हमारे अपने देश में उनकी यथेष्ट मात्रा सुलभ नहीं हो सकती। अभी तक अलौह धातुओं का आयात ही करना पड़ा है। ऐसे आयात पर प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपये खर्च हुये हैं। इनका देशीय तौर पर उत्पादन करने की कोशिश तो की गई है पर कठिनाई यह है कि हमारे देश में उनके अयस्क यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। अलुमिनियम के बारे में यह कठिनाई नहीं है; क्योंकि हमारे देश में बाक्साइट की किस्म और मात्रा काफी अच्छी मिलती है। इसलिये परियोजनाओं से यथेष्ट मात्रा में बिजली मिलते ही हम उचित लागत पर अलुमिनियम का उत्पादन यथेष्ट मात्रा में शुरू कर देंगे। उसे अलौह धातुओं के स्थान पर प्रयुक्त करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। उसके उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना बनाने की बात भी विचाराधीन है।

सभा को मालूम है कि देश का कृषि उत्पादन आंशिक रूप में नाइट्रोजनीय उर्वरकों के आयात की क्षमता पर निर्भर रहा है। इस संबंध में सरकार की नीति यह रही है कि प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना हो। हम इसी नीति पर अमल कर रहे हैं। हम सरकारी क्षेत्र में तीन और निजी क्षेत्र में तीन उर्वरक कारखानों की मंजूरी दे चुके हैं। तीन और नये उर्वरको कारखानों की मंजूरी देने की बात सोची जा रही है। अभी उनका काम प्रारम्भिक अवस्था में है, आशा है कि कुछ ही समय में उनके संबंध में जांच पड़ताल पूरी हो जायेगी और हम उनकी मंजूरी दे सकेंगे।

आज सुबह मौजूदा उर्वरक कारखानों के बारे में, खास तौर से सिंदरी के बारे में, कुछ प्रश्न पूछे गये थे। यह सही है कि १९५७ के बाद, घटिया किस्म के कोयले और मशीनों की छिमाई-पिटाई के कारण, उत्पादन मे कुछ कमी हो गई है। उसकी तकनीकी जांच पड़ताल की जा

रही है। सरकार प्रयत्नशील है कि सिंदरी के कारखाने का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही हो।

आशा है कि वह एक या डेढ़ साल में १९५७ के उत्पादन तक पहुंच सकेगा।

हमारे उत्पादन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कम से कम विदेशी मुद्रा का व्यय हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है, फिर भी वह एक सीमा तक ही तो किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, उर्वरकों के उत्पादन के लिये कुछ बुनियादी कच्चे माल का आयात तो करना ही पड़ेगा। उत्पादन की वृद्धि के साथ ही आयात की आवश्यकतायें भी बढ़ जाती हैं। उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिये पूंजीगत उपकरण के आयात की आवश्यकता पड़ती है। आयात की आवश्यकता क्रमशः ही कम की जा सकती है। उसमे समय लगेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि वर्तमान संस्थापित क्षमता की आवश्यकतायें योजना की पूर्ति के लिये आवश्यक क्षमता की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती। मैं इससे सहमत नहीं हूं हमें अपनी वर्तमान संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करके ही अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और उसमें विविधता पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिये काफी विदेशी मुद्रा चाहिये।

यह बात तो आम तौर पर सभी मानते हैं कि पूंजीगत उपकरण के लिये हमे दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता है। लेकिन प्रस्तावित नयी क्षमता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त की आवश्यकताओं को लोग आम तौर पर पूरी तरह से नहीं समझते। उसकी कुछ कमी तो हम निर्यात-संवर्धन द्वारा पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिये कुछ दूसरे उपाय भी निकालने पड़ेंगे।

किसी भी माननीय सदस्य ने विदेशी विनियोजन के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। फिर भी मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा। निजी तौर पर किये जाने वाले विदेशी विनियोजनों के बारे में हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिकता पर आधारित है। हमारी नीति है कि उसे प्रोत्साहन दिया जाये, लेकिन ऐसी शर्तों पर जिनसे दोनों पक्षों को लाभ पहुंच सके। हमने उन क्षेत्रों के लिये ही विदेशी विनियोजनों की अनुमति दी है, जिनके विकास से हमारी योजना की पूर्ति में कोई ठोस सहायता मिल सके। क्षेत्रों का चुनाव तो करना ही पड़ेगा। हम हर क्षेत्र में तो विदेशी विनियोजनों का स्वागत नहीं कर सकते भारत में विदेशी विनियोजनों और दूसरे देशों के सहयोग से चलाये जाने वाले उद्यमों का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई पड़ता है।

औद्योगिक उद्यमों में हमने देशी और विदेशी विनियोजनों के बीच कोई विभेद नहीं किया। दोनों को समान करियायतें और प्रोत्साहन दिया गया है। विदेशों मे अब हमारी नीति अधिक स्पष्टता से समझी जाने लगी है और हमारे देश के उद्यमी भी विदेशों के तकनीकी सहयोग का महत्व समझने लगे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने विभिन्न उद्योगों के लिये स्थान चुनने की हमारी नीति पर आपत्ति की है। प्रस्तावित भारी विद्युतीय कारखानों को पंजाब, मद्रास या आंध्र प्रदेश, इत्यादि राज्यों में रखने की बात कही गई है।

पंजाब, मद्रास, केरल, आंध्र प्रदेश सभी राज्यों की ओर केन्द्र समान रूप से ध्यान देता है और उनकी सहायता करता है।

हर सदस्य यही चाहता है कि उसी के क्षेत्र में भारी विद्युतीय कारखाना स्थापित हो। लेकिन इसका निर्णय करने से पहले हमें काफी सावधानी से विचार कर लेना पड़ेगा सरकार की नीति तो

[श्री क० च० रेड्डी]

स्पष्ट है कि उद्योगों को समूचे देश में बिखराया जाये, कुछ ही स्थानों में केन्द्रित न किया जाये। लेकिन उसके लिये कोई भी निर्णय करने से पहले हर परियोजना की बुनियादी अर्थ व्यवस्था को भी तो देखना पड़ेगा। नये कारखानों की स्थापना के समय उन राज्यों का विशेष ध्यान रखा जायेगा, जहां अभी भारी उद्योग नहीं हैं।

इसमें सवाल केवल एक या दो भारी विद्युतीय कारखानों का नहीं है। यह तो नहीं है कि इनके अलावा और परियोजनायें हाथ में नहीं ली जायेंगी। इस प्रकार सभी राज्यों में कोई न कोई परियोजना हो जायेगी। हमें सभी को मिला कर देखना चाहिये।

मशीनी औजारों के निर्माण की एक परियोजना उत्तर भारत में और दूसरी दक्षिण भारत में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है : और भी कई नयी परियोजनायें शुरू की जायेंगी। उनमें ऐसे राज्यों का ध्यान रखा जायेगा। लेकिन उन राज्यों की पूरी समस्या भारी उद्योगों की स्थापना से ही हल नहीं होगी। उसके लिये मध्यम और छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना भी वहां करनी पड़ेगी। तभी सामान्य जनता को उनसे अधिकतम लाभ पहुंच सकेगा।

इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार ने इसके लिये बड़ी मुस्तैदी से कार्यवाही की है। छोटे पैमाने के उद्योगों की दिशा में जो प्रगति की गई है, उसका उल्लेख मेरे सहयोगी ने किया ही था इसके लिये कई केन्द्र खोले गये हैं, कई संगठन बनाये गये हैं। छोटे पैमाने के उद्यमियो को यथेष्ट सहायता दी गई है। लेकिन इसके लिये सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि स्थानीय जनता इसमें सहयोग करे और देहाती औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिये आगे आये। मेरे सहयोगी ने इस बात पर काफी जोर दिया था। मैं मानता हूं कि यह काम आसान नहीं है। राजस्थान में श्री माथुर और अन्य लोगों के सहयोग के बल पर चार देहाती औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं।

तृतीय योजना काल में ऐसी २०० बस्तियां स्थापित करने का लक्ष्य है। जो राज्य जितनी अधिक रूचि लेगा और इसके लिये आगे बढ़कर जितना अधिक सहयोग देगा, उसमें उतनी ही अधिक बस्तियां स्थापित की जा सकेंगी। जो रूचि नहीं लेंगे, पीछे पड़ जायेंगे।

सूती कपड़ा उद्योग को भी हमने चन्द राज्यों में केन्द्रित न होने देने का भरसक प्रयास किया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन का लक्ष्य ९३००० लाख गज रखा गया है। इसका अर्थ यही होता है कि तकुओ की क्षमता हमें काफी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सूती कपड़ा उद्योग में तकुओं की अतिरिक्त क्षमता रखने की मंजूरी देते समय हम पहले यह देखेंगे कि जिस राज्य में सूती कपड़ा उद्योग नगण्य सा हो, उसी को प्राथमिकता मिले। इसमे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी जायेगी ऐसे राज्यो के हथकरघा उद्योग को कता हुआ सूत जुटाने का भी ध्यान रखा जायेगा।

मूल्यों और औद्योगिक लागत का प्रश्न कुछ पेचीदा है। १९६० में औद्योगिक कच्चे जमाल के मूल्य काफी ऊंचे चढ़ गये थे। इससे तैयार माल के मूल्यो पर प्रभाव पड़ा ही है। मूल्य वृद्धि रोकने में हमे आंशिक सफलता ही मिल पाई है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तैयार माल के मूल्यों में, औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है। हमने अनौपचारिक तरीके से मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया है। प्रशुल्क आयोग कागज, सीमेंट, रबर टायर

और ट्यूबों तथा कास्टिक सोडा का कारखाना मूल्य निर्धारित करके हमारी सहायता की है। हम कारखानों के प्रबन्धकर्त्ताओं से कहते रहते हैं कि औद्योगिक लागत बढ़ने नहीं देनी चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे वैदेशिक व्यापार की हालत गिर रही है। हम लगभग १,००० करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात करते हैं, और हमारा निर्यात ६०० करोड़ रुपयों का होता है।

इस में संदेह नहीं कि हमें निर्यात संवर्धन में कोई कसर नहीं रहने देनी चाहिये। पिछले वष हमारे निर्यात ६३५ करोड़ रुपयों के थे, और अब उस में केवल १४ करोड़ रुपये की ही वृद्धि हो पाई है।

फिर भी मैं आपको बताऊं कि निर्यात के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस से कुछ अधिक ही निर्यात हुआ है। हमें निर्यात वस्तुओं में विविधता लानी है, और हमारा माल आयात करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ानी है। मंत्रालय इन दोनों पहलुओं पर विचार करता रहा है। मैं डा० कृष्ण स्वामी की बात से सहमत हूं जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये।

लेकिन उस के लिये सब से महत्वपूर्ण बात यही है कि देश की उत्पादकता में वृद्धि हो। इस के लिये कृषि मंत्रालय ने कई कदम उठाये हैं।

निर्यात की परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, जूट, सूती कपड़ा, इत्यादि का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिय। सरकार ने निर्णय किया है कि अधिकतम मात्रा में उर्वरक जुटाये जायें। बागान उद्योग की सभी आवश्यकतायें गत वर्ष में पूरी की जाती रही हैं, और आगे भी यही होता रहेगा।

निर्यात-वस्तुओं की अच्छी किस्म बनाये रखने के सम्बन्ध में, मंत्रालय ने भारत मानकसंस्था के निदेशक के सभापतित्व में एक तदर्थ समिति गठित की है। समिति ने कुछ अन्तरिम प्रस्ताव पेश भी किये हैं।

तीसरी चीज यह है कि जब तक हम निर्यात-बाज़ार में अपनी वस्तुएं प्रतियोगी मूल्यों पर देने के लिये तैयार नहीं होंगे, तब तक निर्यात संवर्धन नहीं हो सकेगा। निर्यात संवर्धन परिषदों ने इस दिशा में प्रयास किये हैं। पण्य-बोर्डों और विकास-परिषदों ने भी इसका प्रयत्न किया है। हमारे देश ने इस से संबंधित १२ प्रदर्शनियों में भाग लिया है। अगले वर्ष भी हम प्रदर्शनियों में भाग लेंगे। कुछ ऐसी भी प्रदर्शनियां होती हैं जहां व्यापार सम्बंधी जानकारी हो और नमूने प्रदर्शित किये जाते हैं। विभिन्न देशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधि रहते हैं और वाणिज्यिक सलाहकार भी। हम ने निर्यात संवर्धान के उद्देश्य से कई देशों के साथ व्यापारिक करार भी किये हैं। इस समस्या के महत्व को देखते हुए सरकार ने आयात-निर्यात के पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिये डा० रामस्वामी मुदलियर के सभापतित्व में एक समिति भी नियुक्त की है। अभी शायद उस ने अपना काम शुरू नहीं किया है। सरकार इस समिति की सिफारिशों का भरपूर उपयोग करेगी।

कल श्री रामेश्वर टांटिया ने कहा था कि चाय उद्योग के लिये सरकार को वित्त की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार इस प्रश्न पर कई वर्ष से विचार करती रही है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सकी है। देश में ८,००० छोटे बड़े चाय संस्थान हैं। सुप्रबंधित

[श्री क० च० रेड्डी]

चाय संस्थानों को वित्त मिलने में कठिनाई नहीं पड़ती। हां, कछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कठिनाई पड़ती है। उन के लिये दो करोड़ रुपये तक की सीमा तक ऋण जुटाने की एक क्रयावक्रय योजना चल रही है।

रबड़ के बारे में भी कहा गया है कि बताना चाहता हूं कि यह योजना क्रियान्वित की जा रही है गौर प्रति एकड़ १००० रुपये की सहायता दी जा सकी है। काफी की सघन खेती के लिये १९५७ में एक योजना चालू की गई थी। इस योजना के अधीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है। निर्यात के मामले में तो दो प्रकार की योजनाएं हैं एक दीर्घकालीन और एक अल्प कालीन। निर्यात बढ़ाने के लिये मैं बता चुका हूं कि उत्पादन बढ़ाया जाये और उसका मूल्य कम किया जाये। राज्य व्यापार निगम को निर्यात बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था, और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस निगम को निर्यात बढ़ाने का कितना और काम सौंपा जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है कि जब कि अधिक निर्यात का काम बढ़ाने के संबंध में सरकार को जांच करनी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि गैर-सरकारी उद्योग अपने अपने यहां निर्यात गृहों की स्थापना करें। और मेरा विचार है कि सरकार के साथ उन्होंने सहयोग किया तो निश्चय ही इस के परिणाम अच्छे निकलेंगे।

हमने विस्तृत औद्योगीकरण का कार्यक्रम बनाया है। इस के लिये आवश्यक यह है कि औद्योगिक मशीनरी को कायम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। सरकार को इस पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। यह तो ठीक है कि औद्योगीकरण के मामले में गैर-सरकारी उद्योगों ने महत्व-पूर्ण कार्य किया है लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र को भी काम करने के अवसर मिलने चाहिये। अंत में मैं निवेदन करूगा कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर पूर्णत: विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई सदस्य चाहते हैं कि उन के कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे जायें ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये हैं।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं:—

क्रम संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	७०,८७,०००
२	उद्योग	१८,१०,०७,०००
३	नमक	४९,२१,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकडे	८५,५१,०००
५	वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध और व्यय	२,१६,२०,०००
१०९	वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२४,४४,२९,००००

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : हम अब प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के बारे में चर्चा करेंगे ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपय
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	४०,१८,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना .	१,९०,९५,६५,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	१८,३७,६०,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायु सेना .	५७,६९,०२,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी प्रभार . .	१७,०४,९५,०००
१११	प्रतिरक्षा का पूंजी व्यय . . .	३०,२१,८८,०००

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : इस समय हम राजस्व खाते में २८३ करोड़ रुपये तथा पूंजी खाते में ३२ करोड़ रुपये की सहायता मांग रहे हैं । इस प्रकार राजस्व खाते में १६ करोड़ तथा पूंजी खाते में ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि पदाधिकारी तथा भांडार विभाग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते में हुई वृद्धि के कारण हुई है तथा स्टोर्स और उपस्करों के खर्च में वृद्धि हुई है । स्वीकृत योजनाओं पर ही धन खर्च किया गया है । देश जिन परिस्थितियों में है, उन में सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह सभी के सामने आ कर अनुपूरक मांगें स्वीकृत करने के लिये कहे ।

यह सभा को अच्छी तरह ज्ञात है कि हमारी नीति एक ऐसे विश्व की स्थापना करने की है जिस में कोई युद्ध न हो । अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि चहुं ओर निःशस्त्रीकरण हो और निःशस्त्रीकरण न होने की स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम प्रतिरक्षा के लिये उचित धन की व्यवस्था करें । अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम तीन बातों का ध्यान रखे । पहली बात तो यह है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा की जाये दूसरी बात यह है कि अपन यहां विधि और व्यवस्था की स्थापना की जाये तीसरे उन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की जाय जो कभी कभी हम रे देश के ऊपर आते हैं जैसे अभी कांगों को सैना भेजने का प्रश्न आया था ।

विभिन्न सेवाओं के सैनिकों एवं पदाधिकारियों की दशा में अच्छा प्रशिक्षण दे कर तथा उन के कल्याण कार्य को बढ़ा कर इस क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है। उनका वेतन भी बढ़ाया गया है । जनहित को ध्यान में रख कर बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि पहले की अपेक्षा हमारी सेवाओं में काफी विकास हुआ है । साथ ही इन तीनों सेवाओं में आपसी सहयोग में भी काफी वृद्धि हुई है ।

यह आलोचना सही नहीं है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में सभा को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है । इस मंत्रालय ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में पेश किये जाने वाले श्वेत पत्र से कम नहीं है । चूंकि इस प्रतिवेदन में जो जानकारी दी गई है वह हाउस

†मूल अंग्रजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

आफ कामन्स में पेश किये जाने वाले श्वेत पत्र की जानकारी से अधिक है। इस प्रतिवदन में हमने सेना की संख्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में अच्छी जानकारी दे दी है इस के अलावा हम प्रश्नोंके उत्तर, स्थगन प्रस्ताव, प्राक्कलन समिति के प्रश्नों आदि के उत्तर में हम सभा को और भी अधिक जानकारी दे देते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह आश्वासन देता हूं कि यहां आज जो चर्चा की जा रही है उस के फल-स्वरूप यदि इस प्रतिवेदन में कोई और सुधार किया जा सकता है तो वह करना चाहिये। लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ जानकारी हम ने दी है उस से अधिक जानकारी देना लोक हित में नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि ब्रिटेन के श्वेतपत्र में तीनों सेनाओं की संख्या तथा अस्त्र शस्त्रों के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है लेकिन वह जानकारी विश्व में और कहीं तो नहीं दी जाती। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी जानकारी देने के कुछ एतिहासिक कारण हैं।

स्थल सेना की शक्ति में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अधिक भर्ती कर के तथा अन्य उपचारों से भी वृद्धि की गई है। देहरादून में जो इंडियन अकादमी है, उस में विद्यार्थियों की भरती की क्षमता दूनी कर दी गयी है। पूर्वी तथा उत्तरी सीमान्त की कठिनाइयों को देखते हुए एक नया सेना दल बनाया गया है। यह नया सेना दल इसी दृष्टि से बनाया गया है। चूंकि उत्तरी तथा पूर्वी सीमान्त पर लगे हुए सैनिकों पर काम का भार अधिक पड़ा हुआ था। यहां पर कार्य करने वाले सैनिकों को १९३९ से अब तक कोई आराम नहीं मिला है इस के अतिरिक्त सामान्य कार्य की अपेक्षा उन्हें और भी असाधारण प्रकार का काम करना पड़ता है। खड़गवासला की नेशनल डिफेंस अकादमी अभी तक पूरे ढंग से काम नहीं कर पा रही है। वहां भर्ती के लिये लोग आ नहीं रहे हैं। भारत सरकार यह भी प्रयत्न कर रही है कि राज्यों में सैनिक स्कूल खोले जायें। ऐसी आशा है कि इस वर्ष एसे पांच स्कूल खुल जायेंगे। लेकिन फिर भी प्रशिक्षित पदाधिकारियों की संख्या कम रहती है। यह भी कहा जा सकता है कि हमारे यहां सेना में पदाधिकारी उतने अच्छे प्रशिक्षित नहीं हैं जितने कि विश्व के अन्य देशों की सेनाओं में उपलब्ध हैं।

नौसेना की शक्ति भी बढ़ रही है। बम्बई का नांवागण भारत का पहला नावांगण होगा जिस में युद्धपोत आ कर ठहरेंगे। अभी सरकार ने बम्बई तथा कलकत्ता में दो नावांगण अर्जित किये हैं। उन में पोतनाशक पोत तैयार किये जायेंगे।

भारतीय वायु सेना ने भी विकास किया है। इसकी लड़ाकू तथा परिवहन शक्ति दोनों ही का विकास हुआ है। गत वर्ष वायु सेना पर भारी भार पड़ा है उपस्कर की दृष्टि से तथा सैनिकों की दृष्टि से भी क्योंकि सीमान्त पर इन की अधिक आवश्यकता थी। अपने लिये स्वयं उपस्करों की व्यवस्था करने के मामले में भारतीय वायु सेना ने अच्छी प्रगति की है। दूर-दूर तक वायुयानों ने लोगों को खाना तक पहुंचाया है। पहली बार ध्वनि भेदक लड़ाकू विमान बनाये जायेंगे। २जैटवाला हिन्दुस्तान फाइटर २४ शीघ्र ही उड़ान के लिये तैयार हो जायेगा। इस के अतिरिक्त रोल्स रायसर्टडा इंजनों, आरफिनस इंजनों तथा ग्लेट विमानों को भी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में तैयार किया जा रहा है। हेली-कोप्टर हमारी वायु सेना के सामान्य अंग बन जायेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि ये सब चीजें अपने ही देश में देशी सामान से बनने लगेंगी।

सहायक सेना, प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना आदि भी है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रादेशिक सेना ने कुछ सीमित प्रगति की है। सभी लोकतंत्रीय देशों में यह सेना वहां के नागरिकों की हुआ करती है जो सेना के युद्धस्थल पर आने में उस का स्थानग्रहण कर लिया करती हैं। और इस सेना के सैनिक तथा पदाधिकारियों को वही वेतन मिला करता है जो कि सेना में मिला करता

है। यह प्रादेशिक सेना नागरिकता तथा आर्थिक दृष्टि दोनों से ही लाभदायक है क्योंकि देश के बरोजगार व्यक्तियों को इस तरह काम पर लगाया जा सकता है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल सैनिक संगठन नहीं है । इस दल में इस समय लगभग ५ लाख नवयुवक हैं यह अधिकाधिक संगठित तथा अनुशासित होता जा रहा है । सेना में लगभग ५० प्रतिशत अधिकारी किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय छात्र सेना दल में से ही लिये जाते हैं । इस का उद्देश्य देश में प्रशिक्षित एवं अनुशासित लोगों को तैयार करना है । हालांकि इस ने अभी तक थोड़ी सी प्रगति की है लेकिन इस का विकास निरन्तर हो रहा है महिलायें भी इस में भाग ले रही हैं । विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा राज्य सरकारों का प्रोत्साहन भी इसे मिल रहा है और आशा है कि एक दिन वह आयगा जब कि देश का प्रत्येक नवयुवक इस सेना में भर्ती हो कर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा । हम चाहते हैं कि ये लोग प्रशिक्षित हो जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन का उपयोग किया जा सके । देहरादून की मिलीटरी अकादमी में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के लोगों के लिये १५ प्रतिशत स्थान रक्षित हैं । कुल मिला कर ५० प्रतिशत पदाधिकारी राष्ट्रीय छात्र सेना दल में से लिये जाते हैं ।

जहां तक अधिकारियों की समस्या का सम्बन्ध है मैं यह बता देने में कोई नुकसान नहीं समझता हूं कि हमारी सेनाओं में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और उच्च विज्ञान के क्षेत्रों में प्रविधिक कर्मचारियों की बहुत कमी है । इसीलिये जल सेना ने यह तरीका अपनाया है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को अपनी अन्तिम परीक्षा पास करने के पूर्व ही सेना में भर्ती कर लिया जाता है । इस प्रकार वे कालेज छोड़ने के पूर्व ही जल सेना के हो जाते हैं और यदि उन्हें बाद में कोई अच्छी नौकरी मिल भी जाये तो वे उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे । यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो संसद् को यह विचार करना होगा कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं ।

फिर यदि हम उत्पादन के प्रश्न को लें तो हमारे उत्पादन के प्रमुख एकक आयुध कारखाने, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक्स, भारतीय विमान बल और विद्युत् तथा यांत्रिक कर्मशालायें हैं । यही सेना, जल सेना और विमान बल के लिये आवश्यक सामान बनाते हैं और उसकी मरम्मत भी करते हैं ।

आयुध कारखानों के सम्बन्ध में वर्तामान संसद् की बैठक के दौरान पर्याप्त प्रगति हुई है । १९५६–५७ में १४ करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ था । १९६०–६१ में सैनिक लेखा विभाग के आंकड़ों पर आधारित प्राक्कलन के अनुसार ३२ करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन होगा––इस में कुछ अन्तर भी हो सकता है क्योंकि पिछले महीने में हमेशा कुछ अधिक या कुछ कम उत्पादन होता है । परन्तु यह निश्चित है कि अब पहले से अधिक काम होने लगा है जब हमने ब्रिटेन से शासन भार लिया था उन दिनों सब चीजें उसी देश में बना करती थीं और युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण ही हमारे आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ाया गया । उस समय उन में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे जिन को युद्ध के पश्चात् काम से हटा दिया गया । १९५६–५७ में भी सरकार को ६ ००० व्यक्तियों की छंटनी करनी पड़ी थी । इन ६ ००० व्यक्तियों की छंटनी किये जाने के पश्चात् आयुध कारखानों में ४६,८८३ कर्मचारी थे । इनमें से बहुत से बेकार बैठे रहते थे तथा कोई कार्य नहीं करते थे । परन्तु कुछ सामाजिक, राजनैतिक और अन्य कठिनाइयों के कारण उन्हें नौकरी से अलग नहीं कर सकते थे । इसके अतिरिक्त वे बहुत कुशल व्यक्ति थे और यदि उनको एक बार हटा दिया जाता तो हम को फिर नहीं मिल सकते थे । १९५६–५७ में बेकार मज़दूरों को ६३ लाख रुपये का भुगतान किया गया जो कुल मजूरी बिल का ११ प्रतिशत है । कुल मजूरी बिल लगभग ५ करोड़ रुपये का था ।

१९५९–६० में बेकार मजदूरों को भुगतान का प्रतिशत ३·८ रह गया। १९६०–६१ के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उनको काफी हद तक खपा लिया गया है। उत्पादन की लागत भी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि सरकारी आकलनों में सरकार को हुआ नुकसान, बेकार मजदूरों को भुगतान आदि सब उत्पादन लागत में जोड़ दिये जाते हैं। १९५७–५८ और १९५९–६० में उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के नमूना सर्वेक्षण से लागत में १६ प्रतिशत कमी दिखाई पड़ी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मजूरों को कुल कितना भुगतान किया जाता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस समय आयुध कारखानों में लगभग ४३,००० मजदूर हैं

हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट फैक्टरी में काफी सुधार हुआ है, विशेषकर उत्पादन में। पहले हमारे देशवासियों की यह धारणा थी कि तीन भारतीय एक अंग्रेज के बराबर काम कर सकते हैं। यह बात सरकारी आकलन में भी आ गई थी और १ : १.८ के आधार पर आकलन किया जाता था। आपने सभा में यह सुना होगा कि जापान की तुलना में, जहां का उत्पादन हमारे यहां से ४० प्रतिशत सस्ता है, देशीय उत्पादन में २० प्रतिशत नुकसान हुआ। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक काम के घण्टे के लिए एक आदमी रखना है और भारतीय विमान बल तथा आयुध कारखानों में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट फैक्टरी भी इस ओर बढ़ी है और संभवतः वह १.१ पर पहुंच गई है। यह सुधार अधिकांश में मजूरी की शर्तों में सुधार के कारण हुआ है। यदि सरकार अधिक मजूरी देती है तो उसको उतना लाभ भी होता है। हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट फैक्टरी में उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ है। हमने उनकी मंहगाई के भत्ते सम्बन्धी शर्तों और वेतनों के समेकन में सुधार किया है जिससे सरकार को लगभग २३ लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करने होंगे। सभा को यह भी जानकर खुशी होगी कि प्रतिरक्षा कारखानों में नियोजक-कर्मचारी सम्बन्ध अच्छे हैं। १९५६ में ८२,७६८ कार्य के दिनों की हानि हुई थी। १९५७ में ९,७७२ कार्य के दिनों की हानि हुई। १९५८ में ६,९३१ कार्य के दिनों की हानि हुई। १९५९ में ३,५०१ कार्य के दिनों की हानि हुई। १९६० में ३४० कार्य के दिनों की हानि हुई जिसमें सामान्य हड़ताल के दौरान के कार्य के दिन सम्मिलित नहीं हैं। नियोजक-कर्मचारी सम्बन्धों में इस सुधार का कारण खण्ड-कार्य प्रणाली का लागू किया जाना, काम करने वाले व्यक्तियों की थकान कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग (जिनमें कारखानों और मशीनों के अन्दर रंग योजनायें भी सम्मिलित हैं) और काम करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत विचारों का स्वीकार किया जाना है जिन से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है।

इसके बाद मैं भारतीय विमान बल के विमानों पर आता हूं। ब्रिटिश प्रणाली में संधारण और निर्माण को सर्वथा भिन्न समझा जाता था और कोई भी संधारण कारखाना किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकता था। चूंकि हमारे कारखाने केवल संधारण कारखाने थे इसलिए भारत किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता था। अब भारतीय विमान बल ने इस नियम को तोड़ दिया है और सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप उसने संधारण के सम्बन्ध में न केवल निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करते हुए एवरो विमानों का उत्पादन प्रारम्भ किया है वरन् बहुत सी सामग्री का उद्रक्षण भी किया है जो प्रतिवेदन के वर्ष में लगभग १।।

†मूल अंग्रेजी में

करोड़ रुपये की होती है अर्थात् यह उस सामान का, विशेषज्ञों द्वारा पुनर्निर्माण किया जाकर, उपयोग में लाया जाता है जो सामान्यतः रद्दी करार दिया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे प्रविधिज्ञ नहीं कर सकते हैं, यदि उन्हें मौका दिया जाये। इस उद्रक्षण कार्य से हमारे धन की बहुत बचत हुई है क्योंकि उनमें से कुछ चीजें विदेशी मुद्रा की कमी और हमारे संसाधनों की सामान्य संकीर्णता के कारण प्राप्त भी नहीं की जा सकती हैं।

फिर विद्युत् और यांत्रिक कर्मशालाओं में अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। परन्तु यह बात इस पर निर्भर है कि आप निर्माण से क्या समझते हैं। यदि एक पुराने इंजन की मरम्मत करके उससे ९५ प्रतिशत कार्य लिया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि यह निर्माण के बराबर ही है। इसके अतिरिक्त उन कर्मशालाओं में जो काम हो रहा है उसके परिणामस्वरूप तथा उन लोगों के उत्साह के कारण हजारों मोटर गाड़ियां जो रद्दी करके फैंक दी गई थीं अब ठीक करके काम में लाई जा रही हैं और वे संभवतः ५ या ६ साल तक काम देंगी। अन्यथा भारतीय सेना के लिए इधर उधर जाना कठिन हो जायेगा क्योंकि हमारे पास मोटर गाड़ियों की बहुत कमी है। इस प्रकार मेरा विवादास्पद मामलों का सर्वेक्षण पूरा हो जाता है।

परन्तु इस सम्बन्ध में भारतीय सेना के कांगो भेजे जाने और उनकी गाजा में उपस्थिति का निर्देश भी आवश्यक है। पिछले ५ या ६ वर्षों में अपने अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों का पालन करने के लिए हम ने अपने देश की सेनाओं को अनेक बार बाहर भेजा है। इस समय हमारी सशस्त्र सेनायें गाजा पट्टी में इजराइल और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच शांति की रक्षा कर रही हैं। वह अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रही हैं। मैं यह कहूंगा कि लड़ना तो बहुत आसान काम है परन्तु बिना लड़े अपने कर्तव्य का पालन करना अत्यन्त कठिन है। पहले भारतीय सेनायें साम्राज्यवादी प्रयोजन के लिए बाहर जाती थीं परन्तु आज की स्थिति भिन्न है। आज जो सैनिक कांगो भेजे गये हैं उनको वहां शांति स्थापित करनी है तथा उनको राष्ट्रसंघीय संकल्प के अनुसरण में भेजा गया है जिसमें बल का प्रयोग करने की मंजूरी भी दी गई है।

कल सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या इन सेनाओं का विदेश भेजा जाना वैधानिक है ? वैसे तो इसका उत्तर प्रधान मंत्री ही दे सकते हैं परन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण मैं यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रसंघ की सहायता करना हमारा वैधानिक कर्त्तव्य है। इस मामले में विधि मंत्रालय से सलाह ली गई है और जो कार्यवाही की गई है वह सर्वथा वैधानिक है। इस समय भारतीय सेना के ४,६७१ सैनिक अपने उपकरणों सहित अफ्रीका के विभिन्न भागों में हैं। उनका नेतृत्व ब्रिगेडियर राजा कर रहे हैं जो राष्ट्रसंघ की सामान्य कमाण्ड के अन्तर्गत उनका संचालन करेंगे। भारतीय सेना के एक और अधिकारी की सेवायें महासचिव के सैनिक विषयों के सलाहकार के रूप में राष्ट्रसंघ को उपलब्ध कराई गई हैं।

हमारी चीन सम्बन्धी प्रतिरक्षा नीति के बारे में एक कटौती प्रस्ताव रखा गया है। कहा गया है कि हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है और चीनी हमारे प्रदेश में घुस आये हैं तथा हम कुछ नहीं कर सके हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने अपने चीन के सीमान्त पर सेनायें इस प्रकार रखी हैं कि हमारे प्रदेश में अतिक्रमण असंभव है। इससे हमारी सेना पर बहुत भार पड़ रहा है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम चीन के बराबर सेना अथवा बड़ी शक्ति के समान शस्त्रास्त्र रख सकते हैं। हमारी स्थिति अन्य देशों से सर्वथा भिन्न है क्योंकि हमारी किसी भी देश से सैनिक संधि नहीं है। स्वतंत्र और तटस्थ होने के कारण हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। जिन क्षेत्रों में हमारी सेनायें भेजी गई हैं वे इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां साधारण व्यक्ति

[श्री कृष्ण मेनन]

के लिए बिना आक्सीजन के आध घंटे रहना भी कठिन है । अतः हमारे सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं । हम उन्हें भोजन और कपड़े तो पहले भेज ही रहे थे अब हेलीकोप्टर की सहायता से चिकित्सा सहायता भी भिजवाने लगे हैं । इनके कारण हमारे संसाधनों पर बहुत भार पड़ा है । मैं यह कहूंगा कि हिमालय के सीमान्त की रक्षा के लिए अपने संसाधनों के अन्तर्गत जो कुछ भी संभव था उसके लिए हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं । अतः हमें यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि चीनी किसी भी समय हमारे राज्यक्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं । इन सेनाओं को उस क्षेत्र में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में भी सरकार कार्यवाही कर रही है ।

इस क्षेत्र में हमारी एक प्रमुख कठिनाई संचार साधनों की है । जैसा कि मैं बता चुका हूं प्रत्येक चीज विमानों द्वारा भेजनी होती है । हम उन क्षेत्रों में संचार साधनों की व्यवस्था कर रहे हैं और आशा है कि वे शीघ्र रहने के योग्य हो जायेंगे । इस समय तो वहां कोई भी नहीं रहता है और वहां पहुंचना भी कठिन है ।

कल आचार्य कृपालानी ने यह कहा था कि अभी तक हमारी सेना का सामान्यस्तर ठीक रहा था परन्तु अब हमारे सैनिकों का मनोबल उतना ऊंचा नहीं रहा है जिसका कारण उच्च स्तर पर किये जाने वाले पक्षपात का प्रभाव है । मेरा निवेदन है कि यह सर्वथा गलत है और आचार्य कृपालानी को भारतीय सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और हमारे सैनिक जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा कहना उनके प्रति अन्याय है । हमारे अधिकांश अधिकारी एकेडमी से निकलते ही सीधे काश्मीर, नागा पहाड़ियों अथवा अन्य कार्यक्षेत्रों में भेज दिये जाते हैं तथा अनेक मामलों में वे ६ या ७ साल तक वापस नहीं आते हैं ।

अनेक कारणों से हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है । सेना का मनोबल उनको प्रदान की गई सुविधाओं पर निर्भर होता है । हाल में हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं के वेतन, भत्तों और रहन सहन की स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है । सेना में मुख्य शिकायत परिवारों से अलग रहने के सम्बन्ध में रही है । इस सम्बन्ध में धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि हमें अपने संसाधनों का भी विचार करना होता है । सरकारी नियमों के अन्तर्गत मेजर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को शत प्रतिशत पारिवारिक आवास दिया जाता है, कैप्टनों को ८० प्रतिशत, जूनियर कमीशन्ड अफसरों को ६० प्रतिशत और सैनिकों को १४ प्रतिशत । जहां सरकारी आवास नहीं होता है वहां उन्हें भत्ता दिया जाता है या कुछ अन्य व्यवस्था की जाती है ।

जब हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया था उस समय बहुत अधिक कठिनाइयां थीं । पहले ७ वर्षों में हमने सेनाओं के लिए १०,३२० क्वार्टरों की व्यवस्था की थी । आगामी चार वर्षों में हमने २६,०१५ क्वार्टर बनाए और अगले वर्ष में २४,२२० क्वार्टरों की व्यवस्था की गई अर्थात् पिछले पांच वर्षों में ५७,००० क्वार्टर बने जब कि पहले सात वर्षों में केवल १०,००० क्वार्टर बना सके थे । मैं समझता हूं कि जब अमृतसर के क्वार्टर बन जायेंगे तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी ।

अधिक वेतनों के कारण प्रतिरक्षा बजट में १५ करोड़ रुपए वार्षिक वृद्धि होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य उपबन्ध भी किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि अब अधिकारी बहुत कुशल न होने पर भी लेफ्टीनेन्ट कर्नल के पद तक पहुंचने की आशा तो कर ही सकते हैं अर्थात् यदि

कोई अधिकारी असाधारण योग्यता न होने के कारण जल्दी तरक्की नहीं भी पाता है तो समय क्रम के अनुसार वह लेफ्टीनेन्ट कर्नल होकर ही रिटायर होगा ।

कुछ पुराने अधिकारियों द्वारा सेना छोड़ने का निर्देश किया गया । यदि पुराने और अधिक आयु के अधिकारी कार्य करते रहेंगे तो कम आयु के अधिकारियों को तरक्की कैसे मिलेगी ? इसीलिए प्रतिरक्षा सेवाओं में यह नियम है कि किसी पद पर एक निश्चित अवधि तक ही रहा जा सकता है ।

यह भी कहा गया कि सेना के ऊंचे पद सब श्रेणियों के लिए खोल दिए जाने चाहिएं । सभा के सभी पक्षों की ओर से यह मांग की गई कि हमारे संविधान और आधुनिक विचारों के अनुसार ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए । इस संबंध में हमने यह किया है कि नौगांव (मध्यप्रदेश) में एक कालेज खोला है जिसमें साधारण सैनिकों को भर्ती किया जाता है तथा एक वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् ही अधिकारियों की श्रेणी में ले लिया जाता है । आशा है कि इससे बहुत से सैनिक अधिकारियों की श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे । भारतीय सेना में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुरखा टुकड़ी का नेतृत्व गैर-गुरखा अधिकारी द्वारा न किया जा सके । इस प्रकार जहां तक मनोबल का संबंध है मेरा प्रतिरक्षा मंत्री होने के नाते यह कर्त्तव्य है कि मैं आपको यह बताऊं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल इस समय भी बहुत ऊंचा है ।

इसका एक और भी कारण है । विमान बल तथा नौसेना में तो अधिक शिक्षित व्यक्ति लिए जाते हैं परन्तु भारतीय सेना में भी नागरिकता की भावना बहुत ऊंची है । वे यह समझते हैं कि वे राष्ट्रीय सैनिक हैं और उनका क्या कर्त्तव्य है । परन्तु इसके साथ ही समाज तथा देश की भी कुछ जिम्मेदारी है । एक है उनके परिवारों के संबंध में जो उनसे अलग रहते हैं और दूसरी है भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल । वे लोग १८ या १९ वर्ष की आयु में सेनाओं में प्रवेश करते हैं और २६ या ३४ वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं तथा उन्हें नए सिरे से समाज में जीवन प्रारंभ करना होता है । आगे चलकर उनके लिए हमें अपनी सेवाओं में भर्ती किए जाने के लिए व्यवस्था करनी होगी ।

इसके बाद मैं तरक्कियों के प्रश्न पर आता हूं । इस संबंध में समाचारपत्रों तथा इस सभा में भी बहुत सी गलत बातें कही गई हैं । अतिक्रमण (सुपरसेशन) का भी निर्देश किया गया । जैसा कि मैं बता चुका हूं लेफ्टीनेन्ट कर्नल तक तो प्रत्येक अधिकारी समय के क्रमानुसार पहुंच ही जायगा उसके पश्चात् अतिक्रमण का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । वास्तव में उनके लिए 'अतिक्रमण' शब्द अनुपयुक्त है क्योंकि वे नियुक्तियां प्रवरण द्वारा की जाती हैं । चूंकि अधिकांश सदस्य इस समस्या के बारे में जानने के उत्सुक हैं इसलिए मैं उसको विस्तारपूर्वक समझा देना चाहता हूं ।

तरक्की देने के कुछ सुनिश्चित तरीके हैं । जहां तक जूनियर कमीशन्ड अफसरों का संबंध है, उनकी तरक्कियां उनके क्षेत्रों में ही हो जाती हैं और उनके कागजात सैनिक मुख्यालय तक आते ही नहीं हैं । मंत्रालय अथवा मंत्री को उनके संबंध में कुछ मालूम भी नहीं पड़ता जब तक कि कोई विशेष मामला न हो और कागजात न मंगाए जायें ।

इसके बाद हम लेफ्टीनेन्ट कर्नल की श्रेणी को लेते हैं । उनकी तरक्की नं० २ प्रवरण बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें एक विशेष स्तर तक के अधिकारी होते हैं । उनके रिकार्ड की जांच की जाती है और तरक्कियां स्वयं बोर्ड द्वारा निश्चित की जाती हैं और मंत्रालय अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसमें कोई भाग नहीं लेता है । परन्तु मेरा मतलब यह नहीं है कि यदि किसी मामले में कोई अनियमिता हो तब भी सदन के प्रति जिम्मेदार मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । वर्ष १९६०-६१ में २२६ मेजरों को तरक्की देकर लेफ्टीनेन्ट कर्नल बनाया गया था । परन्तु ५५८ का "अतिक्रमण"

[श्री कृष्ण मेनन]

किया गया था मैं "अतिक्रमण" शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में कर रहा हूं। कर्नलों की श्रेणी के लिए ७० की पदोन्नति की गई और ८२ का "अतिक्रमण" किया गया। ब्रिगेडियर्स के लिए ७ की पदोन्नति की गई और १७ का "अतिक्रमण" किया गया। अन्त में लेफ्टीकर्नलों के लिए ४ की पदोन्नति की गई और ५ का "अतिक्रमण" किया गया।

इस प्रकार सेना में अतिक्रमण एक सामान्य चीज है अन्य सेनाओं में हमारे यहां से भी कहीं अधिक। अन्यथा एक व्यक्ति को तरक्की पाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। असैनिक सेवा में भी ऐसा ही होता है। सरकार के सचिवों में कुछ दूसरों की अपेक्षा कम उम्र के हैं जो या तो संयुक्त सचिव है या अतिरिक्त सचिव। यह अच्छी बात है क्योंकि उसमें केवल अवस्था का ही विचार नहीं किया जाता है वरन् योग्यता और कार्य का भी।

इसके बाद हम नं० १ प्रवरण बोर्ड पर आते हैं जो अन्य अधिकारियों के बारे में विचार करता है। उसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं–सेना का कमान्डर, मुख्य स्टाफ आफिसर तथा विमान बल और नौसेना में उनके अनुरूप साथी। उनके समक्ष तरक्की के हकदार समस्त व्यक्तियों के नाम पेश किए जाते हैं। उनके रिकार्ड की जांच करते हैं, परीक्षायें ली जाती हैं और अंक दिए जाते हैं। बोर्ड के समस्त ९ सदस्य अलग अलग नम्बर देते हैं और बाद में उनका सारणीयन किया जाता है। यदि कोई मतभेद होते हैं तो उनको सुलझाया जाता है। फिर सरकार अर्थात् मंत्रालय के पास सिफारिशें आती हैं।

मेरे समय में यह प्रथा रही है कि जितने रिक्त स्थान होते हैं उनसे अधिक व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जाती है। इस संबंध में दो सूचियां बनाई जाती हैं, उन नामों की जो पदोन्नति के दायरे में होते हैं तथा पदोन्नति के योग्य होते हैं, दूसरी वह सूची जो कि पदोन्नति के दायरे में तो नहीं होते हैं तथापि पदोन्नति के योग्य होते हैं। जो अधिकारी पदोन्नति के योग्य नहीं होते हैं उनके नामों पर विचार ही नहीं किया जाता है। मंत्रालय पदोन्नति के योग्य अधिकारियों के नामों तथा पदोन्नति के लिये सिफारिश किये गये व्यक्तियों के नामों की बारीकी से जांच करता है। उनकी सेवाओं के रिकार्ड तथा अन्य बातों की जांच की जाती है। मंत्रालय सभी बातों की बारीकी से जांच करता है, यदि कोई बात उपलब्ध नहीं होती है तो सेना के मुख्य कार्यालय से उन्हें मंगा लिया जाता है। तत्पश्चात् वह मंत्री के पास स्वीकृति के लिये रखा जाता है। इसके पश्चात् मंत्री या तो मंत्रालय की या सेना के मुख्यकार्यालय की सिफारिशें स्वीकार कर लेता है।

मुझ तक इन बातों के पहुंचने तक मतभेदों का अंत हो जाता है अतः मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है। तथापि कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में यह निर्णय सेना सचिव को करना होता है अतः कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां कि कुछ बातों पर विचार नहीं किया जा सका हो। इस संबंध में प्रक्रिया उल्लिखित है और सेना के प्रधान कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा जा सकता है।

पिछले वर्ष लेफ्टिनेंट कर्नलों की पदोन्नति के संबंध में सेना के प्रधान कार्यालय को ६४ अभ्यावेदन भेजे गये उनमें से सभी अस्वीकार कर दिये गये। दो अभ्यावेदन सरकार को भेजे गये उनमें से एक स्वीकार कर दिया गया है एक विचाराधीन है। कर्नलों की पदोन्नति के संबंध में तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए वे तीनों अस्वीकार कर दिये गये। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, वह अस्वीकार कर दिया गया।

अतः जहां तक माननीय क्षमता मे संभव हो सकता है इस संबंध में बहुत सोच विचार से निर्णय किया जाता है। यह नहीं सोचना चाहिये कि यह निराश व्यक्ति की बातों में ही तथ्य है। वस्तुतः हर एक अधिकारी यह सोचता है कि वह जनरल होने योग्य है, तथापि उसका यह

दावा कहां तक उचित है इस पर तो उसके प्रशासन से संबंध रखने वाले सहयोगी ही निर्णय कर सकते हैं ।

यह कहने से कि सेना का नैतिक स्तर गिर रहा है, सेना के नैतिक स्तर में पतन होता है । मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि सरकार को सैनिक कार्यालय के निर्णय के विरुद्ध निर्णय करने का अधिकार है । मुझे यह अधिकार है कि मैं मुख्य सेनाध्यक्ष की सिफारिशों को अस्वीकार कर सकता हूं । पिछले चार वर्षों में केवल एक ही उदाहरण ऐसा हुआ कि जब मुझे उनकी सिफारिशें अस्वीकार करनी पड़ीं । अतः यह कहना कि यह पदोन्नतियां मनस ने ढंग से की जाती हैं सरासर गलत है । यह बात हमारी सेना पर ही लागू नहीं होती है ब्रिटेन में भी ऐसा होता है । श्री थिम्मैया को जब सर्वाधिकारी गण-अधिपति बनाया गया था तो उन्होंने दो तीन व्यक्तियों का अवक्रमण किया था । अतः सेना में इस प्रकार का अवक्रमण होता रहता है ।

इस संबंध में यह नियम है कि अन्य बातों की समानता होने पर ज्येष्ठता को उपयुक्त महत्व दिया जाता है । तथापि ज्येष्ठता को अवक्रमण करने वाले व्यक्ति को न केवल अच्छा ही होना चाहिये अपितु उसे इन लोगों से उपर भी होना चाहिये, इसमें लोक हित भी देखा जाता है । वस्तुतः समाचार पत्रों में एक प्रकार का गलत प्रचार किया जा रहा है ।

कल समाचार पत्रों के कुछ प्रतिनिधियों की मेरे साथ बातें हुईं उन्हें यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नतियां इस प्रकार उल्लिखित प्रक्रिया के अधीन बारीकी से जांच करने के पश्चात् की गयी हैं ।

अब मैं सेना के कमांडरों का प्रश्न लेता हूं । देश में तीन सेनायें हैं पश्चिमी, दक्षिणी और पुर्वी । सेना के कमान्डर की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है । क्योंकि अल्पाधिक रूप से वह प्रादेशिक सेनानायक ही होता है । इस सम्बन्ध में नाम प्रस्तावित करने के पुर्व मैंने नियुक्त होने तथा पदनिवृत्त होने वाले दोनों ही सेना के मुख्याध्यक्षों की राय ली है । उन्होंने अपनी राय इस सम्बन्ध में दी तथापि मैं उनके नाम की आड़ नहीं लेना चाहता हूं । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी है जिसे नैतिकता या औचित्य के प्रतिकूल कहा जा सके । यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत प्रचार किया गया तथापि सेना में इससे बहुत कम असन्तोष हुआ है ।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि सेना में बहुत से लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दिया है । जहां तक मैं जानता हूं केवल एक व्यक्ति ने समय के पहले पद निवृत्त होने के लिये आवेदन किया है । सेना में यह एक प्रकार की परम्परा है कि यदि कोई अधिकारी पदोन्नति की आशा करता है और उसको अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है, तो वह सेना में रहने से ज्यादा यह पसन्द करता है कि उसे बाहर कोई काम मिल जाये । सामान्यतया सरकार इसे स्वीकार कर लेती है । अतः इस प्रकार समय से पहिले पदनिवृत्त होने का केवल एक ही मामला हुआ है ।

अब मैं लोक हित का प्रश्न लेता हूं । आपने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि सभा को अपेक्षित जानकारी नहीं दी जा रही है । इस सम्बन्ध में भी कुछ भ्रांति है । इसे दूर करने के लिये मैं आपके सम्मुख कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । १ जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक ६०१ प्रश्न ग्राह्य किये गये । इनमें से केवल ५० प्रश्नों पर जानकारी नहीं दी गयी या अंशतः नहीं दी गयी । ८ अन्य प्रश्नों पर अनुपुरक प्रश्नों के दौरान जानकारी नहीं दी गयी ।

इस प्रकार केवल १३ प्रश्नों पर जानकारी बिल्कुल नहीं दी गयी है । २३ प्रश्न हमारे कहने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्राह्य घोषित कर दिये गये । । तत्पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हो

[श्री कृष्ण मेनन]

पर दो प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी दे दी गयी। इन प्रश्नों के अन्तगत १६ प्रश्नों के उत्तर सुरक्षा के आधार पर नहीं दिये गये। ११ प्रश्नों के उत्तर इस आधार पर नहीं दिये गये कि इनसे उपकरणों की संख्या इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्रकट होती है। ६ प्रश्नों को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि उनसे उत्पादन की मात्रा या उसमें कमी इत्यादि प्रकट होती है। इसी प्रकार दो प्रश्नों को सेना के आवागमन इत्यादि के कारण, २ प्रश्नों को विमान बल तथा राडार प्रतिरक्षा के कारणों से ३ प्रश्नों को संभावित खरीद के संबंध में पत्र व्यवहार के कारण ४ प्रश्नों को सरकार के वित्तीय हितों को प्रकट करने के कारण उत्तर नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति को यह जानकारी दी गयी जो कि सभा को नहीं बताई जा सकती थी। यथा उन्हें वम्पायर डविलेंडों के सम्बन्ध में हुए ठेकों, हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट तथा बैल के उत्पादन का विस्तृत विवरण दिया गया जिसे गोपनीय रखा जाता है। निसंदेह यद्यपि हम सदस्यों को सभी इच्छायें पूरी नहीं कर सके तथापि हमने संसद की परम्परा बनाये रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किचा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न सुनाना चाहता हूं।

कुछ प्रश्न बहुत सरल लगते हैं और वे बुरी नियत से भी नहीं रखे जाते हैं। तथापि उनके उत्तर देने से हमारे द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का उन्मूलन हो जाता है, और उनसे जानकारी प्रगट होती है।

उदाहरणार्थ यदि यह पूछा जाय कि कितने अधिकारियों को जम्मू और काश्मीर में क्वार्टर दिये गये और कितनों को क्वारटर न मिलने के एवज में भत्ता दिया जा रहा है। प्रगट में सीधा साधा प्रश्न मालूम होता है तथापि इससे काश्मीर में अधिकारियों की संख्या पता लगती है अतः ऐसे प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यह प्रश्न पूछा गया था कि राकेट के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रगति की है, क्या सरकार ने किसी देश से इस सम्बन्ध में टेक्नीकल जानकारी मांगने का प्रयत्न किया है, यदि हां, तो किस देश से। इस प्रकार के प्रश्नों का बुनियादी अंश ही गोपनीय रखा जाता है और यदि हम सभा में इस बात की जानकारी भी देंगे तो हमें पहिले पहिले ब्रिटेन तथा अमेरिका से अनुमति लेनी होती है।

इसी प्रकार यह प्रश्न पूछा गया है कि सेना में प्रति वर्ष कितने जोड़े जूतों की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न भले ही सीधा साधा मालूम हो तथापि इससे यह पता चल जायेगा कि सेना में कितने व्यक्ति हैं।

१७ फरवरी को यह प्रश्न पूछा गया है कि गोपनीय बातों को प्रगट होने से रोकने के लिये तथा ध्वंसात्मक कार्यों से बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गयी है? यह पूछा गया है कि भारतीय सेना को पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिये क्या किया गया है। एक प्रश्न में पूछा गया था कि मद्रास सुलूर में भारतीय विमान दल के स्टोरेज में कितने टैक्नीकल और कितने गैर टैक्नीकल कर्मचारी काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त हमसे उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जाती है। जब सरकारी क्षेत्र में किसी वस्तु के निर्माण का प्रश्न उठता है तो कुछ गैर-सरकारी फर्में भी उसी के निर्माण में दिलचस्पी लेने लगती हैं।

इसके पश्चात् यह भी पूछा गया है कि क्या भारत इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड राडार के निर्माण में समर्थ है। राडार आजकल प्रतिरक्षा का सबसे सक्षम और प्रभावशाली साधन है। अतः यह मालूम होने पर कि किस प्रकार का राडार है, उसकी क्षमता क्या है इत्यादि उसका उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

आपने किसी अन्य बात के दौरान में भी इस बात का जिक्र किया है कि इस प्रकार की जानकारी के लिये दबाव न डाला जाय। नियमों में यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई निश्चित नियम नहीं हो तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की परम्परा का अनुकरण किया जायेगा। मेंज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह बात स्पष्ट लिखित है कि किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न को दुहराया नहीं जा सकता है और यदि मंत्री लोक हित के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर न देवे तो उसे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। इस बात के लिये स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके पश्चात् प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ छोटी मोटी बातें हैं। हाउस आफ कामन्स में गोपनीय बातों पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मैंने उन बातों का उल्लेख किया है जिन के सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स में सूचना नहीं मांगी जा सकती है। ऐसे अधिकांश प्रश्न उपकरणों के सम्बन्ध में होते हैं।

मुझे यह प्रश्न पूछा गया है कि मैं इस पद पर क्यों हूं। मैं यहां इस कारण हूं कि मुझे सभा का विश्वास प्राप्त है और मैं भी एक संसद सदस्य हूं। मैं यहां इस कारण हूं कि यहां अपनी सरकार है। जब तक हम देश का शासन कर रहे हैं तब तक देश की सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक मैं प्रतिरक्षा मंत्री हूं तब तक मैं अपने दायित्व को पूर्ण योग्यता से निभाने की कोशिश करूंगा।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी): मैंने माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। पहिले अंश में उन्होंने वही बातें कही हैं जो कि उन्होंने श्वेत पत्र में कही हैं और दूसरे अंश में उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य का विषद वर्णन किया है, इसका प्रमाण यही है कि हमें १२००० वर्ग मील भूमि बिना सामना किये हुए छोड़ देनी पड़ी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यद्यपि यह कहा जाता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिरक्षा मंत्री का विरोधी हूं तथापि मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है। मेरा विरोध किसी मंत्री की नीतियों से वहीं तक हो सकता है जहां तक उसकी नीतियां मेरे विचार से देश के हित में नहीं होती हैं।

जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथापि अधिकांश सार्थक प्रश्नों को भी लौटा दिया जाता है। इसी का यह फल होता है कि हम चीन के अतिक्रमण तथा रूसी विमानों द्वारा लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण की घटनायें केवल समाचार पत्रों द्वारा ही जान पाते हैं।

जहां तक सेना में पदोन्नतियों का सम्बन्ध है सेना में केवल योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं की जाती है अपितु अन्य बातों पर भी विचार किया जाता है। इस दौरान संभव है मैं कुछ नामों का भी उल्लेख करूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य कृपालानी ने यह संकेत दिया है कि वे कुछ नामों का उल्लेख करेंगे । मेरे विचार से यह उचित नहीं है संसद में इस प्रकार व्यक्तिगत नामों की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं होनी चाहिये ।

†श्री मो० रु० मसानी (रांची–पूर्व) : इस सम्बन्ध में मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । ब्रिटेन में हाउस आफ कामन्स में व्यक्तिगत मामलों पर बहस हो सकती है । टाड के पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट इन इंगलैंड में इसके दृष्टांत दिये गये हैं कि कि इस प्रकार की चर्चा के उपरान्त एक अनुचित पदोन्नति का आदेश रद्द कर दिया गया । इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर इस प्रकार के कई दृष्टांत दिये गये कि पदोन्नतियां नियमों के आधार पर नहीं की जा रही हैं अतः इस सम्बन्ध में एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये । सरकार को अन्ततोगत्वा ऐसा करना पड़ा । अतः मेरे विचार से सभा में नामों का उल्लेख न करना सभा के विशेषाधिकारों पर हस्तक्षेप करना है ।

†श्री जोकीम आल्वा (कनाड़ा) : एक वर्ष पूर्व जब मैंने वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी की प्रशंसा की थी तो अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि सभा में व्यक्तिगत नामो का उल्लेख नहीं करना चाहिये ।

†पंडित ठाकुरदास भार्गव (हिसार) : मेरा मत यह है कि चाहे दूसरे देशों में कुछ भी पूर्वदृष्टांत हों हमें संसद में व्यक्तिगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं करना चाहिये । इसका अनुचित प्रभाव होगा । यदि आचार्य जी के पास ऐसे कई मामले हों तो वे एक आयोग की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव रख सकते हैं ।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं श्री ठाकुर दास भार्गव की इस राय से सहमत हूं कि सभा में व्यक्तिगत नामों का उल्लेख नहीं किया जाय । जहां तक सभा के इस अधिकार का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि सभा को इस विषय में पूरा अधिकार है और वह नामों का उल्लेख कर सकती हैं। तथापि हम चाहते हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री हमें यह संकेत देवें कि सारे प्रश्न पर विचार करने के लिये सभा के सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया जायेगा ।

†श्री खुशवक्त राय (खेरी) : संविधान के अनुच्छेद १०५ में यह लिखा है कि सभा के सदस्यों तथा सभा की समितियों के सदस्यों के अधिकार वही हैं जो कि हाउस आफ कामन्स के हैं । अतः मेरे विचार से यहां व्यक्तिगत मामलों में चर्चा की जा सकती है ।

†श्री तौशीर भरूचा (ज्ञानदेश) : इस औचित्य प्रश्न से दो सवाल पैदा होते हैं । क्या सभा को इन मामलों में चर्चा करने का संवैधानिक अधिकार है और क्या ऐसा करना उचित है । जहां तक संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

मेरी अपनी राय यह है कि जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो तब तक सभा में नाम नहीं लिये जाने चाहिएं । यह माननीय सदस्य के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह नाम लेना आवश्यक समझता है अथवा नहीं । यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझें तो वह बड़े ही प्रतिष्ठित तरीके से नाम लें ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके सांवैधानिक पहलू पर विचार करके अपना निर्णय दें । इस समय तो हम आपके इस आदेश का पालन करते हैं कि नाम नहीं लिए जाने चाहिए ।

†श्री गोरे (पूना) : मेरे मित्र श्री नाथ पाई ने जिस पुस्तिका की ओर ध्यान दिलाया है, उसी पुस्तिका में उस समय के ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री चर्चिल ने बताया है कि सैनिक गोपनीयता के

---

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त सभा में और सभी बातों की चर्चा हो सकती है। इस प्रकार इस मामले में चर्चा की जा सकती है क्योंकि अब समाचार-पत्रों, लाबी आदि स्थानों पर इस पर विवाद हो चुका है।

†श्री च० कृ० नायर (बाह्य-दिल्ली) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह सभा सर्वोच्च है और इसमें किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है परन्तु यह सभा एक जिम्मेदार सभा है और हम चाहते हैं कि यहां पर कोई ऐसी बात न कही जाये जिसका असर हमारे सैनिकों पर पड़े।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में माननीय मंत्री के विचार भी सुनना चाहता हूं।

†श्री कृष्ण मेनन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पदोन्नति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इस प्रकार सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सभा सर्वोच्च है और यहां पर सभी प्रकार की चर्चा की जा सकती है। मैंने इस मामले पर अभी पूरी तरह विचार नहीं किया है और इसीलिये मैं इसके बारे में प्रमाणयुक्त निर्णय नहीं दे सकता हूं। परन्तु फिर भी मेरा इतना आग्रह था कि कृपा करके आप इस पर यहां चर्चा न करें। मेरा अभी भी यह परामर्श है कि विवाद में नाम न लिये जायें।

†आचार्य कृपालानी : श्रीमान् मैं आपकी बात से सहमत न होते हुए भी आपका निर्णय स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि उचित यह होता कि जो स्वतन्त्रता समाचारपत्रों को है वह स्वतन्त्रता सभा को होती।

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा की स्वतन्त्रता की तुलना समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता से नहीं की जा सकती है। समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित होते हैं उनको उतना प्रमाणयुक्त नहीं माना जा सकता है जितना सभा को कार्यवाही को।

†आचार्य कृपालानी : मैं आपकी बात मानता हूं और अप्रत्यक्ष रूप से ही अपनी बात कहूंगा।

मैं बता रहा था कि सेना में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर तो होनी ही नहीं चाहिये परन्तु हमारी सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर भी नहीं होती है। यदि योग्यता का ध्यान रखा जाता तो सम्भवतया सेना कर्मचारियों के वर्तमान मुख्य अधिकारी इस पद पर नहीं होते।

आज सेना में पदोन्नतियां केवल प्रतिरक्षा मन्त्री के इशारों के अनुसार हो रही हैं और इससे अफसरों तथा सैनिकों में बड़ा असन्तोष है। अंग्रेजों के जमाने में करनल से ऊपर की सीनियर नियुक्तियां न० १ सलैक्शन बोर्ड की सिफारिशों पर होती थीं। सलैक्शन बोर्ड में चीफ आफ आर्मी स्टाफ, उसके डिप्टी, तीन आर्मी कमाण्डर तथा चार प्रिंसिपल स्टाफ आफीसर तथा मिलीटरी सैक्रटरी होते थे। इस बोर्ड की सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार की जाती थीं। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इसमें परिवर्तन हो गया है। अब पदोन्नति के लिये मन्त्री, सचिव तथा संयुक्त सचिव की इच्छा अधिक महत्व-पूर्ण है। मैं समझता हूं कि १९५९ में चीफ आफ आर्मी स्टाफ ने इस कारण त्याग पत्र दिया था। १९५९ में एक दर्जन जनरलों को छोड़कर एक जनरल की पदोन्नति कर दी गई। बड़ी ही अजीब बात है कि इन दर्जन भर जनरलों में से एक भी ऐसा योग्यता प्राप्त जनरल नहीं था जिसको पदोन्नत किया जा सके। अभी उसी जनरल को चीफ आफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है।

---

†भूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

मैं एक और उदाहरण देता हूं। इस वर्ष के आरम्भ में यह आवश्यक हो गया कि दो कमाण्डर नियुक्त किये जायें। जिनको कमाण्डर बनाया जाना था ऐसे तीन जनरल थे जिनमें वरिष्ठता (क), (ख) तथा (ग) के हिसाब से थी। इन तीनों जनरलों में से पहले दोनों जनरलों को आर्मी कमाण्डर बना दिया गया जबकि एक लैफ्टीनेंट जनरल, जो योग्य था, उसको आर्मी कमाण्डर बनाया जाना चाहिए था। इसी लैफ्टीनेंट जनरल ने २८ फरवरी को इस कारण त्यागपत्र दे दिया।

इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या मन्त्रालय ने न० १ सलैक्शन बोर्ड की सिफारिशें लिखित रूप में मांगी थीं। यदि यह सिफारिशें नहीं मांगी गई थी तो इसके क्या कारण थे और यह पदोन्नतियां किस आधार पर की गई थीं। मैं चाहता हूं कि कृपा करके मुझ यह बताया जाय क्योंकि मेरी आशंका है कि एक योग्य अफ़सर सेना से बाहर हो जायगा। मेरा तो यह अनुरोध है कि कृपा करके मन्त्रिमण्डल इस प्रश्न पर विचार करे।

इसके बाद मैं युद्ध क्षेत्रों पर उड़ने वाले रूसी विमान चालकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि नवम्बर, १९६० में जम्मू तथा काश्मीर के विमान बल कमाण्डर ने युद्ध क्षेत्रों के वरिष्ठ सैनिक कार्यालय को बताया कि रूसी चालकों को हैलीकाप्टरों में युद्धस्थल में घूमने दिया जाये। सैनिकों ने इसका विरोध किया तो क्वाटर-मास्टर जनरल स्वय इन चालकों के साथ युद्धस्थलों पर उड़े और बताया जाता है कि प्रतिरक्षा मन्त्री ने स्वयं विमान बल कमाण्डर को टलीफोन किया कि रूसी चालकों को युद्धस्थलों पर उड़ने दिया जाय।

सम्भवतया यह रूसी चालक उस जानकारी को हासिल करने के लिये इन स्थानों पर उड़ान कर रहे हों जो इनके तथा चीनियों के लिये महत्वपूर्ण हो। मन्त्री महोदय ने स्वयं आदेश देकर ठीक नहीं किया है। उन्हें अपने आदेश प्रतिरक्षा मन्त्रालय के द्वारा देने चाहियें थे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार हम अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं की प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं और उसके लिये वह जिम्मेदार हैं जिनके हाथ में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की बागडोर है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि सशस्त्र सेनाओं के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिये दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दी जाय अथवा राष्ट्रपति को कमाण्डर-इन-चीफ होने के नाते एक आयोग नियुक्त करना चाहिये जो प्रतिरक्षा कार्यों की जांच करे। इस आयोग में संसद् सदस्य, सैनिक तथा असैनिक अधिकारी हों तथा जिसका सभापति उप-राष्ट्रपति हो। यदि सेनाओं में सब कुछ ठीक है तो प्रतिरक्षा मन्त्री को इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के आयोग ब्रिटेन में तथा अन्य लोकतन्त्रीय देशों में नियुक्त किये जाते रहे हैं।

अब मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहूंगा। लोक लेखा समिति ने नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के १९६० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच की। मैं इसी बारे में सभा को याद दिलाता हू कि जब यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था उस समय हमें बताया गया था कि महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कही गई कुछ बातें गलत थीं और प्रतिरक्षा मन्त्रालय को उन बातों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था। अब लोक लेखा समिति ने इस प्रतिवेदन की जांच करली है और अपना प्रतिवेदन हमें दे दिया है। अब मैं इस समिति के प्रतिवेदन में से कुछ उदाहरण देता हूं जिससे पता लग सके कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय में क्या क्या गड़बड़ी हुई है।

नौसेना गोदी के एक कैप्टन सुपरिन्टैण्डैण्ट ने स्टोर, ७२० रुपये प्रतिटन के हिसाब से बाजार भाव होने पर, २६,३२० रुपये प्रतिटन के हिसाब से खरीदे। उसी अधिकारी ने ४,८६० रुपये के बाजार भाव होने पर २५,२०० रुपये प्रतिटन के हिसाब से स्टोर खरीदे। मैं ने अपने कुछ साथियों को यह

आंकड़े दिखाये और उनसे पूछा तो सभी आश्चर्य चकित हो गये। परन्तु कैप्टन सुपरिन्टेन्डेण्ट को पदोन्नत करके अन्य स्थान पर भेज दिया गया। इस अधिकारी की योग्यता का ज्ञान इन आंकड़ों से हो जाता है परन्तु फिर भी इसको पदोन्नत कर दिया गया।

और एक उदाहरण है। सरकार ने १६५२ में ३०८ मील लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति ३०५ लाख रुपये के व्यय पर दी थी। परन्तु १६५८ अर्थात् ६ वर्ष के बाद केवल ६८.११ मील सड़क बनी और उस पर ३६२ लाख रुपया व्यय कर दिया गया।

सड़क निर्माण स्थान पर निरीक्षण के लिये दो वरिष्ठ इजीनियर गये और उन्होंने बताया इस सड़क निर्माण पर विस्फोटक पदार्थ इतना प्रयोग किया गया है जितना प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये था। लोक लेखा समिति ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि निर्माण व्यय बहुत अधिक हुआ है और यदि उचित अधीक्षण किया जाता तो इतना धन व्यय नहीं होता। समिति ने इसके बारे में बताया है कि वह इस हानि को देख कर हक्का-बक्का रह गई।

मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के बारे में समिति ने कभी भी इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं दीं। परन्तु खद है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का भार ऐसे व्यक्ति पर है जो किसी भी व्यक्ति तथा समिति की बात सुनने को तैयार नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमान् आपको याद होगा कि मोटरगाड़ियों के पुर्जे खरीदने के बारे में सभा में एक प्रश्न पूछा गया था। मै बताना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति ने पिछले वष इन गाड़ियों की खरीद को नियमित बताया था। उनके इस कथन पर ही श्री विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु यह बड़ी अजीब बात है कि मोटरगाड़ियों के लिये आवश्यकता का अनुमान लगाये बगैर अभी भी आर्डर दिये जा रहे हैं और मोटरगाड़ियां खरीदी गई हैं। इस विभाग में इस प्रकार आयोजन किया जाता है।

१६६१ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है आर्डिनेंस फैक्टरीज में जो वस्तुयें बनाई जाती हैं वह इतनी घटिया किस्म की होती हैं जिनको कोई नहीं खरीदता। मशीन टूल प्रोरोटाइप कारखाने को लीजिए। आशा थी कि १६५१ में इससे पूरा उत्पादन होने लगगा परन्तु इसका आरम्भ ही १६५३ में हुआ। इस कारखाने में ४३७ लाख रुपया लगाया गया और छः वर्ष तक चालू रहने पर इसमें ७७ लाख रुपये का घाटा हुआ।

अब मैं वस्तुओं के निर्माण में विलम्ब के कुछ उदाहरण देता हूं। जून १६४८ तथा अगस्त, अगस्त, १६५० में गोली बारूद का ६६,००० यूनिट के निर्माण के आर्डर दिए गए थे। यह आर्डर मार्च १६५२ तक पूरे हो जाने चाहिये थे परन्तु मई १६६० तक केवल एक कारखाना ८,१२० गोली बारूद दे सका और ८६१६ गोलियां अस्वीकार कर दी गई। दूसरा कारखाना ८१८५३ गोलियां दे सका और ८५२६ गोलियां अस्वीकार कर दी गईं। इस प्रकार पता लगता है कि यद्यपि गोलियां १६५२ मार्च तक बन जानी चाहियें थीं परन्तु यह अगस्त १६६० तक भी पूरी नहीं हो पाईं। हमारी कार्यक्षमता को यह हालत है।

लोक लेखा समिति में बताया गया है कि १६५२ में एक सैकण्ड हैंड मालवाही जहाज ३८.३० लाख रुपये का खरीदा गया था। इसको खरीदने के बाद इसकी मरम्मत आदि पर ८ लाख रुपया और व्यय किया गया। पहले २० लाख रुपये की मशीनें इसमें लगाई गईं तथा बाद में १६ लाख रुपये की और मशीनें इसमें लगाई गईं। इस प्रकार अप्रैल, १६५६ में यह जहाज चालू किया गया। ऐसा किया जाना

[आचार्य कृपालानी]

बड़ी अजीब बात है क्योंकि यह खरीदने के सात वर्ष बाद चालू किया गया और इसकी अविलम्बनीयता समाप्त हो गई थी ।

हमें पता लगा है कि सरकार ने हाल में ही एक ३० करोड़ रुपये का विमानवाही जहाज खरीदा है । मैं समझता हूं कि हमें खतरा उत्तर की ओर से है समुद्र की ओर से नहीं । इसलिए यह विमानवाही जहाज बेकार ही खरीदा गया है ।

आयुध कारखानों का बहुत प्रचार किया जाता है । बताया जाता है कि इनमें बहुत अच्छा काम होता है । परन्तु पहले हम सैन्यूरियन टैंक बना रहे थे, फ्रांसीसी टैंक बना रहे थे । परन्तु बना कुछ नहीं पाये । अब सुना गया है कि हमारे कारखानों में जर्मन टैंक बनाये जा रहे रहे हैं । लेकिन हमें सन्देह है कि इनकी भी वही हालत होगी । मेरा विचार है कि इन प्रतिरक्षा संगठनों में फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है । यह बड़े ही दुख की बात है । मैं आप से आशा करता हूं कि आप ऐसे तरीके ढुंढ निकालेंगे जिनके द्वारा इस मंत्रालय की यह सभी गड़बड़ियां दूर हो जायेंगी ।

श्रीमान् मैं प्रतिरक्षा मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने सेना में गुटबन्दी की है ; साम्यवादी चीन के आक्रमणों से देश की प्रतिरक्षा नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है और आशा करता हूं कि वह मेरे इन आरोपों का संतोषजनक उत्तर देंगे ।

†**श्री द० स० राजू** (राजमुंद्री) : मैंने प्रतिरक्षा मंत्री के आरंभिक भाषणों को बड़े ध्यान से सुना और पाया कि उन्होंने हमारी बहुत सी शंकाओं को दूर कर दिया है । मैंने आचार्य कृपालानी के भाषण को सुनकर यह अनुमान लगाया है कि उनकी आलोचना मुख्यतः राजनैतिक मतभेदों पर आधारित है ।

मेरे विचार से देश की प्रतिरक्षा समस्याओं पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी ध्यान रखें क्योंकि आज विश्व में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहे हैं । आवश्यक है कि इन परिवर्तनों के अनुसार ही हम अपने आयोजन करें ।

हमें यदि झगड़े का किसी से खतरा है तो पाकिस्तान और चीन हमारे सामने आते हैं । पाकिस्तान के बारे में कुछ न कह कर क्या मैं केवल चीन के बारे में ही कुछ कहूंगा । मैं समझता हूं कि चीन भी यह जानता है कि भारत से झगड़ा करना उचित नहीं होगा और वह अपहरण, सीमोल्लंघन आदि कार्य करेगा । हमें इसी बात का ध्यान रख कर अपने युद्धस्थिति का आयोजन करना है ।

मैं समझता हूं कि विमान बल को जो धन दिया गया है वह अपर्याप्त है । हम जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद विमान बल का महत्व बहुत बढ़ गया है । विमानों की स्थल सेना, नौसेना सब को जरूरत होती है । इसलिए इसको धन अधिक दिया जाना चाहिए ।

अब मैं प्रतिरक्षा गवेषणा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । प्रतिरक्षा अनुसंधानशालाओं द्वारा हथियारों के अच्छे नमूने हमको दिए जा सकते हैं । सभी विदेशों की अनुसंधानशालाओं में हथियारों पर अनुसंधान किय जाते हैं और पर्याप्त धन व्यय किया जाता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए और असैनिक वैज्ञानिकों की भी सहायता लेनी चाहिए जिससे अच्छे हथियारों की खोज की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भारत में चार सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। मैं समझता हूं कि इन स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और प्रत्येक राज्य में एक सैनिक स्कूल खोल दिया जाना चाहिए।

मैं सभा को तथा माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि लोक-सभा सदस्य डा० विजय आनन्द ने कोरूकोंडा का अपना महल, जिसमें ६० एकड़ का विशाल मैदान है, देने का वायदा कर लिया है। मैं इसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री के विचार सुनना चाहता हूं।

मैं यह भी चाहता हूं कि ए० सी० सी० तथा एन० सी० सी० के कोर्स को भी विस्तृत कर दिया जाये। मैं जानता हूं कि तीन लाख विद्यार्थी इस समय इन संगठनों में हैं परन्तु मेरा आग्रह है कि इन तीन लाख को बढ़ा ३० लाख कर देना चाहिए जिससे यह प्रशिक्षणप्राप्त विद्यार्थी देश की प्रतिरक्षा के लिए कर बद्ध करके तैयार रहें। हमें भोंसले अनुशासन योजना को भी देश के अन्य भागों में लागू करना चाहिए।

अन्त में मैं इन पदोन्नतियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने स्पष्टतया बता दिया है कि पदोन्नतियां किस प्रकार हुई हैं। मैं यह भी आशा करता हूं कि वह सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ होंगे।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैंने प्रतिरक्षा मंत्री तथा श्री कृपलानी जी के भाषण सुने हैं। प्रतिरक्षा मंत्री की जो आलोचना हुई है उसका मुख्य आधार पदोन्नतियां है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि मेजर जनरल के ऊपर के पदों के लिए पदोन्नति देने की क्या प्रक्रिया है। मेरा मत यह है कि सदन में अधिकारियों की आलोचना करना उचित नहीं क्योंकि इसका परिणाम ठीक नहीं होता। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों में उनके प्रति अनादर का भाव बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप अनुशासन हीनता को प्रोत्साहन मिलता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयुध कारखानों का काम काफी अच्छा रहा है, इसके लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय बधाई का पात्र है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि प्रतिरक्षा सेवाओं में ही नहीं प्रत्युत देश भर के असैनिक ट्रकों और अन्य वाहनों के पुर्जों में समानता होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काम में लाया जा सके। मंत्रालयों को ट्रेक्टरों का उत्पादन बन्द कर देना चाहिए और उसे केवल टैंकों के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत से शत्रु देशों के प्रति सचेत रहना है। आज सारा देश यह जानना चाहता है कि यदि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हम अपने देशवासियों को यह बतायें कि हम कमजोर हैं और हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या यह न्यायोचित बात होगी। प्रतिरक्षा मंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है कि हम चीन के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि उन्होंने यह बात नहीं कही तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि देश यह जानना चाहता है कि इस दिशा में हम कहां तक जागरूक है और क्या कर रहे हैं?

इस दिशा में मेरा यह निवेदन है कि हमें अब यह लड़ाई ऐकले ही करनी होगी। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही कोई आशा हो सकती है। मेरा मत यह है कि भारत के निकट के जो अमरीकी अड्डे हैं उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर देना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आक्रमण-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं रं कृष्ण]

कारियों के विरुद्ध काम में लाया जा सके । यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए जो सब चीजें आवश्यक हैं उनका निर्माण आरम्भ करने में मुझे कोई विशेष औचित्य दिखाई नहीं देता । जो चीजें आपातकालीन अवस्था में हम नहीं खरीद सकते वे अन्य देशों से खरीदी जा सकती हैं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेफा के क्षेत्र में, जहां कि अच्छे से अच्छे सैनिक पैदा होते हैं, वहां से अधिक से अधिक जवानों की भर्ती करने की व्यवहारिकता पर विचार किया जाना चाहिए । सीमा की रक्षा करने वाली सेनाओं के लिए भूमिगत मोर्चे बनाने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । अपर परियोजना के निर्माण का भी इस के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : सदन में एक प्रश्न के उत्तर में प्रतिरक्षा मंत्री ने कुछ हवाई जहाजों की संख्या तथा उनके व्यय को बताने से इन्कार कर दिया था । उनका कहना था कि इससे हमारी सेना की गोपनीय शक्ति का भेद खुल जायेगा । परन्तु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति के बारे में जानकारी व आंकड़े इंडियन कौंसिल आफ अफेयर्स द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में दिये हैं । यद्यपि सदन में प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रकार की सम्बद्ध जानकारी देने से इन्कार कर दिया परन्तु इस का यह कदापि अर्थ नहीं कि जो इस की जानकारी प्राप्त करना चाहता है उस के लिये और कोई साधन ही नहीं ? उपरोक्त पुस्तक में प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग हमारे शत्रु देश भी कर सकते हैं ।

इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि सशस्त्र सेनाओं के पदाधिकारियों की पदोन्नतियों तथा अधिलंघन के मामलों को जन विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये । सशस्त्र सेनाओं का अधिका-धिक लोकतंत्रीकरण किया जाना आवश्यक है; यह भी महत्वपूर्ण बात है कि पदोन्नतियां देने के मामले में कुछ एक रूप सिद्धान्त होने चाहियें । साथ ही यह भी सदन को बताया जाना चाहिये कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान के उत्पादन के लिये आरम्भ की गयी परियोजनाओं की कितनी प्रगति हुई है । यह भी बताया जाना चाहिए कि ट्रेक्टरों के निर्माण में क्यों विलम्ब हुआ है । इस मामले में विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

म यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि गत सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण युद्धास्त्र कारखानों के जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उन के मामले पर विचार किया जाना चाहिये । मुझे यह भी शिकायत है कि विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में जो असमानता है, उसे दूर किया जाना चाहिये । जूनियर कमीशन के जो पदाधिकारी अकेले रहते हैं, उन्हें अकेले रहने का भत्ता दिया जाना चाहिये । सिपाहियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये । मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि सेनाध्यक्षों को सार्वजनिक भाषण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इस प्रवृत्ति को पूरे जोर से रोका जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह सचमुच बड़ी ही खेदजनक बात है कि देश में लोकतन्त्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिये सेना को काम में लाया जा रहा है । यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि बाढ़ों के समय रक्षा तथा सहायता के मामले में सेना का काम बड़ा प्रशंसनीय रहा है । प्राक्कलन समिति ने जो सुझाव दिया है कि युद्धास्त्र कारखानों के काम में गैर-सरकारी उद्योगपतियों को शामिल किया जाये, ठीक नहीं है । मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं, इस से आगे चल कर भारी उलझनें पैदा हो जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा यह निवेदन है कि पूर्वी तट पर चिल्का अथवा परादीप में दूसरा नावांगण बनाया जाना चाहिये। साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये कि किन देशों में हमारे अधिकारियों को अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है, उन देशों में हमारे अधिकारियों को भेजा जाना चाहिये।

†डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा सेवाओं को राजनीति से अलग रखना चाहिये। हमारी जो पुरातन परम्परायें चली आ रही हैं उनका आदर किया जाना चाहिये और यथासम्भव उन को कायम रखना चाहिये।

मुझे यह बात बहुत खेद से कहनी पड़ रही है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में हमारी सीमा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। गोवा में पुर्तगाली सैनिकों के आगमन के समाचार अथवा पाकिस्तानी सीमा से लगी हमारी सीमा की स्थिति का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

हमारे सैनिकों को अन्य देशों में भेजने की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ जान पड़ता है। हमने कांगो में अपने सैनिक भेजे यह तो अच्छा है लेकिन हमारे देश की १२००० वर्ग मील भूमि चीन के कब्जे में है ये हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति की जांच करनी चाहिये। उसे अपनी इस घोषणा को सिद्ध कर दिखाना चाहिये कि भारत की एक इंच पर भूमि किसी देश को चाहे वह चीन हो अथवा पाकिस्तान, पुर्तगाल को अथवा कोई अन्य देश, कब्जा नहीं करने दिया जायेगा।

प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि चूंकि हमारे यहां अफसरों की कमी है इस कारण हम कुछ अफसरों को दुबारा रख रहे हैं। हमें देश में विद्यमन योग्य लोगों की सेवा का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य है कि जहां कहीं भी निराशा हो उसे समाप्त करे।

इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह बात कही कि हम प्रतिरक्षा एकेडमियों की आवश्यकताओं के लिये स्कूल खोलने वाले हैं। यह चीज अच्छी है। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में चीनियों के आक्रमण को सहन नहीं किया जायेगा। परन्तु इसके बाद भी आक्रमण तो हुए। हमें अपनी सीमाओं की पूरी देखभाल रखनी चाहिये। हमें जनता को पर्वतारोहण की शिक्षा भी देनी चाहिये ताकि लोग हिमालय की स्थिति से परिचित हो जायें। यह भी शुभ लक्षण है कि गत वर्षों में युद्धास्त्र कारखानों का उत्पादन काफी बढ़ा है।

हमें अपने लोगों के प्रशिक्षण के लिये उन देशों की सहायता प्राप्त करनी चाहिये जो वैज्ञानिक दृष्टि से सब से आगे बढ़े हुए हैं। परन्तु यह प्रशिक्षण रूस आदि देशों में जा कर ही प्राप्त करना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि बाहर के लोग आ कर हमारे सामरिक महत्व के स्थानों को देखें। हमें अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के दिमाग का पूरा लाभ उठाना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश पर कोई दूसरा कब्जा करे। कच्छ की रान पर पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर लिया था। हमारी सरकार ने सेनाओं को आज्ञा दी कि वह जा कर शत्रु से अपना इलाका छीन लें। उन्हों ने वैसा किया भी। इस से युद्ध नहीं हुआ। इसी तरह हमें वह क्षेत्र भी छीन लेना चाहिये जो चीन ने ले रखा है।

माननीय मंत्री ने कहा कि पर्वत श्रेणियों में जहां तक हमारे सैनिक पहुंचे हैं, वहां संसद् सदस्य नहीं जा सकते। यदि टैक्नालाजी के इस युग में भी हम इतना नहीं कर सकते तो यह हमारी ही कमजोरी है। वास्तव में देश की सुरक्षा के विषय में हमें जनता का पूरा सहयोग प्राप्त करना है। जो लोग सीमान्त में चीनियों के पक्ष की बातों का प्रचार करते हैं उन को ऐसे काम से रोका जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो स्थल सीमा के बारे में चर्चा हो रही थी। अब मैं हिन्दुस्तान की समुद्री सीमा की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत गहरे गोते न लगाना ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं डिमांड नंबर १० और डिमांड नंबर १११ की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आप को याद होगा कि परसों सदन में एक सवाल पूछा गया था उस के जवाब में बताया गया कि एंडमन निकोबार में चीन के कुछ लोग फिशिंग बोट पर आये और उन में से कुछ आदमी पकड़े गये और उन को सजा हुई। अगर आप हिन्दुस्तान के नक्शे को देखें तो आप को मालूम होगा कि हमारे वास्ते यह आवश्यक है कि एंडमन निकोबार और लकाद्वीप को अगर हम अपने हाथों में नहीं रखेंगे तो उस का फल यह होगा कि भारतवर्ष के समुद्री तट की रक्षा नहीं हो सकती। सन् १९४० में जब जापान लड़ाई में आया तो उस ने पहले एंडमन और निकोबार को अपने कब्जे में किया और उस के बाद उस ने बर्मा, मलाया आदि को लिया। आज चाइना के लोग आ रहे हैं। उन की बोट्स आ रही हैं। अभी तक केवल दो बोट हम पकड़ने में सफल हुए हैं। जब होम मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि इन बोट्स का ओरिजिन क्या है तो उन्होंने उसे बताने से इन्कार कर दिया ।

आप को मालूम होगा कि अरेबियन सी में इगलैंड ने मालदीव में अपना एक नेवल बेस बनाया है जब कि ट्रिंकोमाली से उन का बेस हटा दिया गया। अगर आज हम अपने समुद्र तट की रक्षा के प्रति सजग नहीं होते तो जैसे हमारी स्थल सीमा पर आज चीन का आकुपेशन हो गया है उसी तरह से हमारे समुद्री तट पर भी दूसरे शत्रु की सेना आ सकती है ।

अब मैं डिफेंस बजट की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि सन् १९५२–५३ में डिफेंस पर हम ने अपने बजट का ४५–५ परसेन्ट खर्च किया था और बाकी सिविल एक्सपेंडीचर था। उस के बाद आप देखें कि सन् १९५५–५६ में हम ने अपने बजट का ३८ परसेंट डिफेंस पर खर्च किया, १९५६–५७ में हम ने अपने बजट का ३४ परसेंट डिफेंस पर खर्च किया, १९५७–५८ में ३५ परसेंट, १९५८–५९ में ३१ परसेंट, १९५९–६० में २६ परसेंट और १९६०–६१ में २६ परसेंट अपने बजट का डिफेंस पर खर्च किया। यानी आप देखेंगे कि जैसे-जैसे चीन हमारी भूमि पर अधिकार जमाता गया वैसे-वैसे हम डिफेंस एक्सपेंडीचर कम करते गये और सिविल एक्सपेंडीचर बढ़ाते गये। हमारा सिविल एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है। जहां सन् १९५२–५३ में हमारा सिविल एक्सपेंडीचर हमारे बजट का ५५ परसेंट था वहां आज बढ़ कर ७० परसेंट हो गया है। इस गति से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। अगर हम को हिन्दुस्तान की रक्षा करना है तो हम को समय की गति के अनुसार चलना होगा ।

अब मैं आप के सामने पाकिस्तान के आंकड़े देना चाहता हूं। पाकिस्तान ने सन् १९५४–५५ में डिफेंस पर अपने बजट का ५२ परसेंट खर्च किया और आज पाकिस्तान अपने डिफेंस पर अपने बजट का ५५ परसेंट खर्च कर रहा है। इस में अमेरिकन एड और दूसरी एड शामिल नहीं है। अगर अमेरिकन एड और दूसरी एड भी इस में शामिल कर दी जाये तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपने सारे देश के बजट का ८० परसेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है ।

हमारी तरह अमरीका भी शान्ति शान्ति चिल्लाता है, लेकिन आप अमरीका का बजट देखें अमरीका इस साल अपने बजट का ५८ परसेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है। हिन्दुस्तान के आंकड़े को

आप लें तो आप देखेंगे कि हम हर साल अपने बजट का ३० परसेंट डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। और अगर स्टेट्स के बजट को भी देखें इसमें शामिल कर लिया जाये तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान अपने देश के कुल बजट का ११ परसेंट से ज्यादा डिफेंस पर खर्च नहीं करेगा। जब कि अमरीका अपने फैडरल बजट का २६ परसेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : आप कितना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं चाहता हूं कि आधे से ज्यादा डिफेंस पर खर्च किया जाये।

दूसरी बात मैं नैवी के बारे में कहना चाहता हूं। आप नैवी पर कितना खर्च कर रहे हैं। आपने नैवी पर सन् १९५५-५६ में १२ करोड़ खर्च किया, सन् १९५९-६० में १८ करोड़ खर्च किया, सन १९६०-६१ में १८ करोड़ खर्च किया और इस साल यानी १९६१-६२ में आप नैवी पर २० करोड़ खर्च कर रहे ह। यानी हम अपने सुरक्षा बजट का ६–५ पर सेंट नैवी पर खर्च कर रहे हैं जो कि जल सेना थल सेना से कम है। अमरीका अपने सुरक्षा बजट का ४० पर सेंट नैवी पर खर्च कर रहा है। इंगलैंड अपने बजट का करीब २८ परसेंट नैवी पर खर्च कर रहा है, जब कि हम अपने सुरक्षा बजट का केवल ६–५ परसेंट ही नैवी पर खर्च कर रहे हैं।

अब मैं आप का ध्यान कैपिटल आउटले की तरफ आकर्षित करना चाहता हू। जहां तक कैपिटल आउटले का सवाल है आप देखेंगे कि इस में सन् १९५५-५६ में ७ करोड़ नैवी के वास्ते रखा था, सन् १९५६-५७ में हमने नैवी के लिये ८ करोड़ रखा था और बैसिल खरीदने के वास्ते सन् १९५९–६० में १२ करोड़ रखा और सन् १९६०–६१ में १३ करोड़ रखा। और आज जब कि अंडमान निकोबार और लकदीव के पास चीनी बोटें आ रहीं हैं तो हम ने वैसिल खरीदने के लिये केवल ४ करोड रुपया रखा है। दो साल पहले हमने वैसिल खरीदने के लिये १२ करोड़ रखा, एक साल पहले १३ करोड़ रखा, लेकिन आज जब कि खतरा बढ़ गया है हम ने ४ करोड़ रुपया रखा है।

अब आप परसोनल को लें। सन् १९५४ में हिन्दुस्तान के पास नैवी में आफिसर और रेटिंग सब मिलाकर ७७०० आदमी थे और स १९६१ में यानी आज करीब-करीब हमारे आफिसर्स और रेटिंग्स की तादाद ८८०० है। अर्थात हम कुल ११०० आदमी और ज्यादा नेवी के वास्ते ट्रेन कर सके। पाकिस्तान की तरफ देखिये तो आप पायेंगे कि उसके पास ७२०० आफिसर्स और रेटिंग्स मिला कर हैं। पाकिस्तान की समुद्री सीमा ५००–६०० मील है जब कि हमारी समुद्री सीमा ३००० मील है लेकिन पाकिस्तान नैवी के मामले में हमारे बिल्कुल पैरलल जा रहा है। हमारी तादाद ८८०० है और पाकिस्तान की ७२०० है। ऐसी हालत में क्या हम पाकिस्तान का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं जबकि उसके पास अमेरिकन ऐड भी मौजूद है। हम मौरेली भले ही पाकिस्तान का सामना करने में कामयाब हो सकते हैं लेकिन इक्विपमेंटस से नहीं कर सकते हैं।

अमरीकी नेवी के बारे में मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि उसमें ६ लाख ३० हजार आदमी हैं। यूनाइटेड किंगडम में १ लाख २ हजार आदमी हैं। यहां पर अपने देश में लोक सहायक सेना के वास्ते बहुत कुछ कहा गया है। जिन लोगों ने वालियेंटरी प्लेज साइन किया है उनकी तादाद ९६ हजार ६५९ है जब कि चीन में पीपुल मिलिशिया की तादाद २०० मिलियन की है। हमारे यहां इस लोक सहायक सेना के वास्ते जिन लोगों ने प्लेज साइन किया है उनकी तादाद कुल ९६ हजार ६५९ है जबकि चीन की पीपुल मिलिशिया की तादाद २०० मिलियन है

[श्री रघुनाथ सिंह]

और इसके रहते हम चीन का सामना करने के लिए सोचते हैं और पाकिस्तान का सामना करने के लिए सोचते हैं। जाहिर है कि उनका सामना करने के वास्ते हमें मौडर्न इक्विपमेंटस चाहिएं।

अब मैं नेवी के वेसल्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय में मैं ने सारी दुनिया के आंकड़े इकट्ठे किये हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन और रूस की नेवी के बारे में जो योजना है वह एक प्लांड योजना है। बैटिलशिप्स, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, ऐंटी-सबमरीन और फ्रिगेट यह सब रूस के पास हैं। बाकी चीन के पास सारे अटैकिंग इक्विपमेंटस हैं लैंडिंगशिप हैं, टैंकर्स हैं, टौरपीडोबोट हैं। इस प्रकार से चीन के पास जो नेवी है वह नेवी रूस के पास नहीं है। इसलिए चीन और रूस का आपस में एक प्लान है एक योजना है जिसके कि अनुसार वह दोनों चल रहे हैं। इसके विपरीत हमारे पास क्या है? पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जो नेवी है उनके क्रूजर्स और बैटिलशिप्स को आप देखें तो दोनों में केवल ३० परसेंट का अन्तर है। उनकी नेवी में और हमारी नेवी में कुल ३० परसेंट का फर्क है जबकि हमें ३००० मील लम्बी समुद्री सीमा की रक्षा करनी है। इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां बटिलशिप्स और क्रूजर्स पर बड़ा जोर देते हैं लेकिन हमने इंगलैंड द्वारा रिजेक्ट किये हुए बैटिलशिप्स और क्रूजर्स खरीदे हैं। जिन कन्वेंशनल आर्मामेंटस को उन्होंने रिजेक्ट किया और स्क्रप किया उनको आज हम और पाकिस्तान दोनों खरीद रहे हैं।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन १९५२ में इंगलैंड के पास ५ बैटिलशिप्स थे जब कि आज उसके पास १ है, ४ को उसने स्क्रैप कर दिया। इसी प्रकार से ऐयर क्राफ्ट कैरियर्स इंगलैंड के पास १२ थे जबकि आज उसके पास ८ हैं। क्रूजर्स इंगलैंड के पास २४ थे जबकि आज उनकी तादाद केवल ११ है। डिस्ट्रॉयर्स ९२ थे आज सिर्फ ५२ हैं। आज के युग में कन्वेंशनल नेवी की जरूरत नहीं रह गयी है और इसका समय बीत गया है। हमने और पाकिस्तान ने इंगलैंड द्वारा स्क्रप और रिजेक्टेड कन्वेंशनल आर्मामेंट को खरीद लिया। इंगलैंड के वास्ते हिन्दुस्तान और पाकिस्तान यह बड़े अच्छे मार्केट थे। हमने ऐयरक्राफ्ट कैरियर्स भी खरीदे, क्रूजर्स भी खरीदे और डिस्ट्रॉयर्स भी खरीदे। लेकिन आज के जमाने में उनसे क्या आप हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकते हैं? मेरा कहना है कि आप उनसे रक्षा नहीं कर सकेंगे। आपको मौडर्न वारफेयर के अनुसार अपनी नेवी को तैयार करने की योजना बनानी होगी। आज लौंगरेंज सबमैरीन विद गाइडेड मिसाइल ऐंड न्युक्लिएर वेपंस ने सारे मौडर्न नैवल आर्मामेंटस को पीछे छोड़ दिया है। आज सवेपराइनप्रुफ गाइडिड मिसाइल का रेंज ३०,००० मील है और उसकी स्पीड २५ नौट्स है। रिपयुलिंग की जरूरत नहीं है। आप के पास एक सबमैरीन भी नहीं है। गाइडिड मिसाइल के वास्ते आप क्या कर रहे हैं? दुश्मन की एक सबमैरीन आकर आपकी सारी नेवी को तबाह कर सकती है। आप तो स्वप्न लोक में विचरते मालूम होते हैं। मेरा निवेदन है कि आप पृथ्वी पर उतरिये और फैक्ट्स को फेस करिये। आज देश की रक्षा का सवाल सामने मौजूद है और आपको देखना है कि देश की रक्षा कैसे हो सकती है। इसके लिए आपको आकाश में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो जमीन पर उतरने की जरूरत है और असलियत का सामना करने की जरूरत है।

सन १९५४ में पहली न्युक्लिअर-प्रौपेल्ड सबमैरीन यू० एस० ए० में लांच की गई थी जिसका कि रेंज ३०,००० मील था और स्पीड २५ नौट्स की थी। आज उसको सात वर्ष हो गये हैं मैं जानना चाहता हूं कि हमने मौडर्न वारफेयर, सबमैरीन या गाइडिड मिसाइल से अपनी सेना को इक्विप करने वास्ते क्या योजना बनाई है? हमारे बजट में ४ करोड़ रुपये कैप्टिल इक्विपमेंट और वेसल्स के

वास्ते रखे गये हैं। इसके अलावा और कोई प्राविजन नहीं किया गया है। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि इस तरीके से भारतवर्ष की रक्षा नहीं हो सकती है। आपको पुरानी हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए। आप पानीपत में तीन लड़ाइयां लड़े। पहली पानीपत की लड़ाई आप क्यों हारे? पृथ्वीराज के पास यद्यपि बड़ी भारी सेना थी लेकिन चूंकि मुहम्मद गौरी की फौज नये इक्विपमेंटस से लैस थी और उसके पास अश्वारोही फौज थी इसलिए हम उसके मुकाबले में हार गये। इसी तरह हम देखते हैं कि इब्राहीम लोदी के पास १ लाख २० हजार फौज थी जबकि बाबर के पास केवल १२००० आदमी थे लेकिन बाबर १२००० आदमियों से जीत गया क्योंकि उसकी सेना के पास बंदूकें थीं। इससे आप देखेंगे कि जब तक हम नये और मौडर्न इक्विपमेंट से अपनी सेना को लैस नहीं करेंगे, समय की गति के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हम अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे।

डॉकयार्डस की बात कही गई। चीन के पास ५ डॉकयार्डस हैं, रूस के पास ५ डॉकयार्डस हैं जबकि हिन्दुस्तान के पास नाम के वास्ते जैसे आज कहा गया बम्बई में एक डॉकयार्ड है। उसमें हमने तैयार क्या किया है? हमने ५०० टन का वाटरबोट तैयार किया है जिसका कि नाम "अजय" है। तीन में से केवल एक तैयार कर रहे हैं जिसमें कि २५ टन का ऐम्यूनिशन बार्जेज़स होगा। यह तो हमारी डॉकयार्ड की स्थिति है। एस्टिमेट्स कमेटी ने अपनी ८वीं रिपोर्ट में यह कहा था कि हमें रूस, जापान, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी, इटली में अपने आदमी भेजने चाहिएं जोकि वहां से डॉकयार्ड और शिप्स बनाने की कला सीख कर आयें। आज एस्टिमेटस कमेटी ने अपनी १०९वीं रिपोर्ट में उसको दुहराया है और कहा है कि हमें यू० के० के साथ टैग नहीं होना चाहिए। कन्वेंशनल आर्मामेंटस के साथ टैग नहीं होना चाहिए बल्कि दुनिया मौडर्न वारफेयर में जो तरक्की कर रही है उससे हमें फायदा उठाना चाहिए और अपनी फौज को उसके हिसाब से तैयार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एस्टिमेटस कमेटी की ८वीं रिपोर्ट के बाद जो उसकी १०९वीं रिपोर्ट है, उससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिएं। इतने पर भी यदि हमारी आंखें न खुलें तो फिर भगवान ही मालिक है।

हमें अपनी आर्मी के वास्ते भी प्लानिंग की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जैसे फर्स्ट फाइव इयर प्लान हैं, सैकेंड फाइव इयर प्लान हैं और थर्ड फाइव इयर प्लान है उसी तरह डिफेंस का भी प्लान होना चाहिए। यह खेद का विषय है कि डिफेंस में ठीक प्लानिंग मौजूद नहीं है। आचार्य कृपलानी इस के बारे में शिकायत कर रहे थे और इसी प्लानिंग को लेकर पबलिक एकाउंट्स कमेटी ने १०९वीं रिपोर्ट में पेज ४१ में यह लिखा है कि डिफेंस की प्लानिंग अधूरी है। पैरा ९१ में कमेटी लिखती है कि प्लानिंग का अभाव है। कमेटी पैरा ९२वें में लिखती है कि नेवी की कोई प्लानिंग नहीं हुई। एविडेंस में यह माना गया कि प्रौजेक्ट ठीक से प्लांड नहीं किया गया।

देश की रक्षा कामयाबी के साथ करने के लिए प्रौपर प्लानिंग की जरूरत है। पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी बार-बार इस चीज को कह रही है कि हमारे डिफेंस का प्लानिंग होना चाहिए, नेवी का प्लानिंग होना चाहिए। हम उससे क्यों नहीं लाभ उठाते? अगर हम उन कमेटियों की राय और सुझावों से लाभान्वित नहीं होते तो फिर यह एस्टिमेट्स कमेटी या पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी कायम करने का फायदा ही क्या है?

जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है यह एक ऐसा अजीबोगरीब मुल्क है कि यहां पर ६१,०४४ विदेशी रहते हैं। हमारा हजारों मील का विशाल समुद्री तट है और उधर से कोई भी किसी भी समय हमारे देश में बाहर से आ सकता है और कोई उसमें रुकावट नहीं है। हमारे पास पैट्रोल बोट्स इतनी ज्यादा नहीं हैं कि हम अपने समुद्री तट की रक्षा कर सकें। जिस मुल्क में ६१,०४४ फारेनर्ज

[श्री रघुनाथ सिंह]

रहते हों, जिस मुल्क का समुद्र-तट रक्षित न हो, वहां किस समय क्या हो जाये, कौन कह सकता है ? जैसे चाइना ने काश्मीर की बारह हज़ार वर्ग-मील भूमि पर अधिकार कर लिया, भगवान् न करे कि वही स्थिति अंडेमान, निकोबार और लकादीव की हो । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम डिफेंस पर अधिक से अधिक खर्च करें । इस देश में जितनी प्लानिंग हो रही है, जो बड़ी-बड़ी योजनायें चलाई जा रही हैं, अगर यह देश आज़ाद नहीं रहेगा, अगर इस की सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या यह सब कुछ पाकिस्तान या चीन के लिये बन रहा है ? उस की रक्षा होनी चाहिए । देश में धन इकट्ठा होता रहा और अफ़ग़ानिस्तान से पठान लोग आते रहे और सब धन लूट-लूट कर ले जाते रहे, वह हिस्ट्री कहीं फिर रिपीट न हो । इसलिये इस विषय में होशियारी से काम होना चाहिए ।

हमारे मिनिस्टर साहब "वर्ल्ड विदाउट वार" की बात करते हैं । लेकिन क्या हिन्दुस्तान ने कभी किसी मुल्क पर हमला किया ? उस ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन सात सौ बरस में हिन्दुस्तान पर ३३ बार हमला हुआ और ३३ बार उस को लूटा गया । आज कहा जाता है कि "वर्ल्ड विदाउट वार" के लिये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वार तो दुनिया में हो रही है और हमें वार का सामना करना है, हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है । अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, तो यहां पर बड़ी-बड़ी योजनायें बना कर क्या करेंगे ?

अन्त में एक संस्कृत श्लोक कह कर मैं समाप्त करता हूं । वह इस प्रकार है :—

अग्रतः चतुरो वेदाः
पृष्ठतः सशराद्धनुः
इदं शास्त्रम्, इदं शस्त्रम्
शास्त्रादपि शरादपि

दोनों बातें होनी चाहिए । अगर वे विवेक से मानते हैं, तो उनके लिये विवेक और शास्त्र है और अगर वे विवेक से नहीं मानते हैं, तो हमारे पास शस्त्र भी हैं । जब तक शस्त्र और शास्त्र दोनों एक संग नहीं चलेंगे, तब तक भारत की रक्षा नहीं हो सकती है । अगर शस्त्र की आवश्यकता हो, तो शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और अगर विवेक और शास्त्र की जरूरत हो, तो विवेक और शास्त्र को काम में लाना चाहिए । "वर्ल्ड पीस", "वर्ल्ड पीस" कहने से हिन्दुस्तान की आज़ादी की रक्षा नहीं होगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८	१२५०	श्री नौशीर भरूचा	साम्यवादी चीन के आक्रमण से देश की सुरक्षा के उपाय करने में असफलता ।	मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८	१२६३	श्री खुशवक्त राय	साम्यवादी चीन की सेनाओं के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने की असफलता जिन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा कर रखा है।	मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
८	१२२७	श्री नौशीर भरूचा	सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों आदि को संतुष्ट रखने के लिये नियुक्तियों आदि की उपयुक्त प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८	१५३२	श्री स० मो० बनर्जी	वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित न करना।	१०० रुपये
८	१५३३	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा संस्थानों के ८० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी बनाने की जरूरत।	१०० रुपये
८	१५३४	श्री स० मो० बनर्जी	हड़ताल में भाग लेने के कारण असैनिक कर्मचारियों की पदच्युति।	१०० रुपये
८	१५३५	श्री स० मो० बनर्जी	युद्धास्त्र कारखानों का विस्तार	१०० रुपये
८	१५३६	श्री स० मो० बनर्जी	अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८	१५३७	श्री स० मो० बनर्जी	सैनिक कार्यशालाओं का विस्तार	१०० रुपये
८	१५३८	श्री स० मो० बनर्जी	विमान सेना के कर्मचारियों को एयरमैनों की रिक्तियों पर स्थायी बनाने की जरूरत।	१०० रुपये
८	१५३९	श्री स० मो० बनर्जी	तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए रिहायशी मकान बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	१५४०	श्री स० मो० बनर्जी	आई० ए० एफ० चाकरी के कुछ असैनिक कर्मचारियों की पदच्युति ।	१०० रुपये
८	१५४१	श्री स० मो० बनर्जी	युद्धास्त्र कारखानों में ट्रकों का उत्पादन ।	१०० रुपये
८	१५४२	श्री स० मो० बनर्जी	दुबारा रखे गये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना ।	१०० रुपये
८	१५४३	श्री स० मो० बनर्जी	युद्धास्त्र कारखानों के चैकरों को लोअर डिवीज़न क्लर्क बनाने की बात ।	१०० रुपये
८	१५४४	श्री स० मो० बनर्जी	युद्धास्त्र कारखानों में असैनिक वस्तुओं का निर्माण ।	१०० रुपये
८	१५४५	श्री स० मो० बनर्जी	एम० ई० एस० में ठेके की प्रणाली का खातमा ।	१०० रुपये
८	१५४६	श्री० स० मो० बनर्जी	अस्थायी सेवा की शर्तों के अधीन असैनिक औद्योगिक कर्मचारियों को हटाना ।	१०० रुपये
८	१५४७	श्री स० मो० बनर्जी	रघुरम्मैया समिति की सिफारिशें ।	१०० रुपये
८	१५४८	श्री० स० मो० बनर्जी	डी० एस० सी० कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में एक समिति बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८	१५४९	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में मत-भेद ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	१५६४	श्री खुशक्त राय	भारतीय सेना के जवानों के लिये रिहायशी मकानों की आवश्यकता।	१०० रुपये
८	१५६५	श्री खुशवक्त राय	जवानों का साहस बनाए रखने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	२७०	श्री म० ब० ठाकुर	जवानों का वतन बढ़ाने की जरूरत।	१०० रुपये
९	२७१	श्री म० ब० ठाकुर	सशस्त्र सेनाओं को ज्यादा सुविधाएं देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	२७२	श्री म० ब० ठाकुर	स्वास्थ्य या मां बापकी वृद्धावस्था के आधार पर आए त्याग-पत्रों के प्रति अधिक स्वछंद दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	३८८	श्री म० ब० ठाकुर	वरिष्ठ अधिकारियों की उन्नति का तरीका।	१०० रुपये
९	९१८	श्री बालासाहिब सालुंके	रिक्रूटों का वतन बढ़ाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	९१९	श्री बाला साहिब सालुंके	सशस्त्र सेनाओं को और सुविधाएं देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	९२०	श्री बाला साहिब सालुंके	युद्धास्त्र कारखानों के कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत।	१०० रुपये
९	९२१	श्री बाला साहिब सालुंके	युद्धास्त्र कारखानों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और बौद्धों को अधिक सुविधाएं देने की जरूरत।	१०० रुपये
९	९२२	श्री बाला साहिब सालुंके	युद्धास्त्र कारखानों के कर्मचारियों का वतन बढ़ाने की जरूरत।	१०० रुपये

†श्री गोरे : कटौती प्रस्तावों पर कुछ कहने से पूर्व अपने साथी श्रीपटनायककश्र अर्पित करता हूं। इसके बाद मेरी यह प्रार्थना है कि हमें हमारे उन जवानों को पूरी सुविधाएं देनी चाहिए जो हमारे सीमान्त के प्रहरी बने हैं।

जहां तक हमारे पड़ौसी देश चीन और पाकिस्तान का मामला है हमें अपने पुराने विद्वानों के इस कथन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है : न कोऽपि कस्यचिन्मित्रं न कोऽपि कस्य-पिद्रिषुः अर्थास्तु भविष्यन्ति मित्राणि रिपवस्तथा ।।

इसका मतलब है कि अर्थ ही के कारण शत्रु मित्र बना करते हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन यह भी तो है :

यानि कानि च मित्राणि कर्त्तव्यानि शतानि च ।

†श्री गोरे : ठीक है श्रीमान्। जहां तक चीन का सम्बन्ध है उसका मामला पाकिस्तान से अलग है। चीन के माओ-त्से-तुंग ने कहा है कि गैर-सरकारी सम्पत्ति के अभ्युदय के समय से युद्ध ही वह संघर्ष रहा है जिससे वर्गों के विरोध और द्वन्द्व का शमन होता है। चीन की नीति इसी मान्यता पर आधारित है। पता नहीं भारत सरकार ने इस चीज को समझा है या नहीं।

अकासी चिन क्षेत्र को चीनी क्षेत्र बताने के लिए उनका यह तर्क है कि चीनी वहांकाफी समय से घुस चुके हैं और उन्होंने वहां से सड़कें भी गुजार दी हैं। यह क्या तर्क है। हमें वास्तव में पहले चीन के दिल का पता नहीं था। इससे यह भी प्रकट होता है कि हमारे वैदेशिक कार्य विभाग का सूचना विभाग और सेना का सूचना विभाग मिल जुल कर काम नहीं करता। अन्य देशों में समन्वय से काम होता है। यदि यहां भी समन्वय से काम हो तो एसी हालत कभी पैदा न हो।

सीमा पर हमें केवल चीनियों का ही खतरा नहीं। हमारे अपने देश के साम्यवादी चीन का पक्ष ले रहे हैं। अभी उनमें थोड़ा मतभेद हो गया है किन्तु वह मतभेद वास्तविक नहीं है। कुछ रूस के पक्ष में हैं और कुछ चीन के पीछे। किन्तु ध्यय सब का यही है कि दुनियां में साम्यवाद का झंडा लहराये। इसी ध्यय की प्राप्ति के लिए यह यत्न भी कर रहे हैं। अभी भारतीय साम्यवादियों का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें रूस के बड़ भारी साम्यवादी श्री सुस्लीव भाग लेने भारत आ रहे हैं। इसलिए अभी से भारत सरकार को साम्यवादियों के प्रति अपना रवैया निर्धारित कर सूना चाहिए।

हमारे प्रतिरक्षा मंत्री सदा हमें यही बताया करते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और सेनाओं का साहस बना हुआ है परन्तु इस सब के बावजूद न तो हम चीनियों से अपना इलाका ले सके हैं और और न ही गोआ को आजाद करा सके हैं। और तो और हम नागा विद्रोहियों से अपने सैनिकों को भी छुड़ा नहीं सके। चीन वालों के विमान हमारे क्षेत्र में उड़ानें करते हैं किन्तु हम उनका भी कोई इलाज नहीं कर सकते।

हमारे सीमान्त क्षेत्र पर रूसी विमान चालकों ने उड़ानें की हैं जो बुरी चीज है। यदि हम यह कहें कि लेह तक सारे विदेशी जा सकते हैं तब भी यह चीज अच्छी नहीं। आखिर रूस और चीन में अन्तर ही है। वे दोनो एक दूसरे के भाई अपने को मानते हैं। चीनी रूस वालों को विश्व की क्रांति का नेता समझते हैं और देशों की नीयत एक जैसी है। प्रधान मंत्री कभी कभी यह पूछा करते हैं कि हम अपने इलाके की प्राप्ति के लिए क्या चीन से जंग करें। जंग की बात मैं

†मूल अंग्रेजी में

नहीं कहता । क्या हमारा इलाका छीनने के लिए चीन ने हम से जंग की है । इसी तरह से बिना जंग किए हम अपना क्षेत्र वापस ले सकते हैं । साम्यवादियों को ठीक तरह से समझ कर हमें अपना आचरण निर्धारित कर लेना चाहिए ।

१९५० से पहले तिब्बत में केवल २००० चीनी सैनिक थे किन्तु उसके बाद से अब तक, जहां तक हम अनुमान लगा सके हैं, वहां पर एक लाख पचास हजार सैनिक हैं । ल्हासा में जहां पर लोगों ने कभी मोटर गाड़ी तक न देखी थी, अब जेट विमानों का अड्डा है । और भी अड्डे वहां बन चुके हैं । सड़कों की भरमार कर ली है उन्होंने वहां । वे पूरी तरह से तैयार हैं और इधर हमारे ही देश के साम्यवादी उनका समर्थन कर रहे हैं । समय आने पर वे कभी भी अनुक्रमण कर सकते हैं । साम्यवादी दल का एक उपदल उनका समर्थन खुले तौर पर कर रहा है । इस कारण इस स्थिति को अभी ये संभाल लेना चाहिये ।

दूसरी चीज सेना में पदोन्नतियां की है । यह ठीक है कि ऐसे विषयों पर सयम से काम लेना चाहिये । परन्तु इस चीज की भी हद होती है । आज इस चीज का चर्चा सारे देश में है । इस चर्चा का असर अच्छा नहीं होता । साम्यवादी अखबार यह लिख रहे हैं कि गोरे तथा कुंजरू आदि सदस्यों को प्रतिरक्षा सेवाओं के मामले में अपने गन्दे हाथों से दखल नहीं देना चाहिये मेरी तो कोई बात नहीं पर जब यह चीज डा० कुजरू जैसे व्यक्तियों के बारे में कही जाती है तो वास्तव में ही दुख होता है । क्या यह अफसोस की बात नहीं कि एक योधा जनरल से पहले एक अनुभवहीन जनरल को उन्नति दी जाय ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : ऐसा नहीं होता । हमारे यहां एक लेफ्टीनेंट जैनरल चार साल के लिए काम करता है । उसके बाद उसकी पदावलि समाप्त हो जाती है ।

†**श्री नाथपाई** : बात तो यह है कि यदि एक बैच में से चुनाव करना है तो सबसे अधिक योग्य आदमी को क्यों न लिया जाय ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रतिरक्षा मन्त्री ने यह बता दिया है कि उस अफसर की पदावधि पूरी हो गयी थी । इस कारण यह बात समाप्त है।

†**श्री गोरे** : इस बात पर इतनी ज्यादा रायें अलग अलग हैं कि अन्त में मुझे यही कहना पड़ता है कि आचार्य कृपालानी की यह बात मान ली जाय कि इस मामले की जांच एक समिति करे । ऐसी समितियां अन्य लोकतन्त्रात्मक देशों में नियुक्त की जाती रही हैं ।

श्वेत पत्रों में पूरी स्थिति का ज्ञान कराया जाता है । इस कारण मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अगले १०/१५ वर्षों तक के लिये सरकार ने प्रतिरक्षा के बारे में क्या नीति अपनायी है । क्या हमारी सरकार योधाओं की एक ठोस पक्ति बनाने का कार्यक्रम तैयार कर रही है । प्रतिरक्षा मन्त्री को हर चीज का उत्तर ब्यौरेवार देना चाहिये ।

---

*कृषि आयोग

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर)** : १७ मार्च १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार ने यह आश्वासन दिया कि सरकार कृषि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार कर रही है । तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

इसी सम्बन्ध में १६ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५४९ के उत्तर में यह कहा गया था कि सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि केन्द्रीय पण्य समिति तथा कृषि सम्बन्धी केन्द्रीय गवेषणा संस्थाओं की नीतियों के सम्बन्ध में व्यापक विचार करने के लिये एक कृषि आयोग नियुक्त किया जाय ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

२६ फरवरी, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में कृषि उपमन्त्री ने यह कहा था कि एक कृषि आयोग की स्थापना का विचार किया जा रहा है उसके निर्देश पदों का मसविदा तैयार किया जा रहा है ।

देश में कृषि गवेषणा कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिये एक समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में मेरे संकल्प का उत्तर देते हुए कृषि मन्त्री ने मार्च, १९६० में कहा था कि हमने इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है, इसका तभी निर्णय हो सकता है जबकि यह निश्चय हो जाय कि आयोग के लिये जांच की शर्तें क्या होंगी तत्पश्चात् इन्हें राज्य सरकारों पर परिचालित किया जायेगा । इसके पश्चात् मन्त्रिमण्डल इस पर निर्णय करेगा ।

सरकार के उत्तरों से यह निश्चित है कि सिद्धान्ततः सरकार कृषि आयोग की नियुक्ति से सहमत हो गयी है । राज्य सरकारों से केवल आयोग के निर्देश पदों के लिये परामर्श किया जा रहा है ।

१९५८ में कृषि प्रशासन समिति ने बहुमूल्य प्रतिवेदन उपस्थापित किया । समिति ने यह सिफारिश की है कि पांच वर्ष में एक बार केन्द्र में एक ऐसी समिति की स्थापना की जाय कि वह केन्द्रीय पण्य समिति तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित केन्द्रीय संस्थाओं की नीतियों की जांच करे जिससे देश में कृषि क्षेत्र में सतुलित विकास हो सके ।

यदि सरकार इन सिफारिशों पर १९५८ से कार्य आरम्भ करती तो अब तक हमें बहुत उपयोगी प्रतिवेदन प्राप्त हो सकता था । इससे हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नीतियां बनाने में बहुत सहायता मिलती ।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार सिद्धान्त रूप से कृषि आयोग की नियुक्त के लिये सहमत हो गयी है तथापि यदि कोई राज्य इस बात से सहमत नहीं होता है तो सरकार को हमें यह बतलाना चाहिये कि ऐसे अवसर पर सरकार क्या करेगी । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाय ।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हू कि मैं सिद्धान्ततः उनसे इस बात में सहमत हू और उन्हें इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये । प्रश्न यह है कि उसे कब और कैसे नियुक्त किया जाय तथा उसके निर्देश पद क्या हों । मैं उन्हें यह बताने का प्रयत्न करूगा कि सिद्धान्ततः इस बात से सहमत होते हुए भी हमें इस आयोग को नियुक्त करने के लिये उपयुक्त अवसर और स्थितियां चाहियें ।

१९२८ में लार्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक राजकीय कृषि आयोग नियुक्त किया गया जो बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ । तथापि वह ब्रिटेन की पद्धति पर नियुक्ति किया गया जिस पद्धति पर

†मूल अंग्रेजी में

उस समय सारा काम किया जा रहा था। उस आयोग के निष्कर्षों से देश को लाभ हुआ। तथापि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी योजनाओं पर भी नजर रखनी है। तथापि हमने कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी किया है उस की भी हमें जांच करनी है।

पहिली योजना में मुख्यतः कृषि पर जोर दिया गया। दूसरी योजना में भी कृषि पर बहुत जोर दिया गया। तीसरी योजना में पुनः कृषि पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में हम ने कृषि के सम्बन्ध में कई कदम उठाये हैं। मेरे विचार से कृषि आयोग की नियुक्ति के लिये सबसे उचित समय वह होगा जब वे योजनायें, जिन्हें हम प्रारम्भ कर चुके हैं, कुछ समय तक काम कर लेवें।

कृषि प्रशासन समिति जिसका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है उसने यह सुझाव दिया था कि पांच वर्ष में एक बार केन्द्रीय पण्य समिति की नीतियों पर विचार करने तथा उसके कार्य का समन्वय करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जाये। उन्होंने कृषि आयोग नियुक्त करने का सुझाव नहीं दिया। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि ऐसा किया जायेगा तो इन समितियों के कार्य में एक अनिश्चितता पैदा हो जायेगी और काम उचित तरीके से नहीं हो सकेगा। तथापि कृषि आयोग का कार्य इससे अधिक व्यापक होगा। ऐसे आयोग की नियुक्ति वर्षों में एक बार होती है।

जब भी हमारे देश की कृषि को ऐसे आयोग की आवश्यकता होगी, ऐसा आयोग नियुक्त कर दिया जायेगा। ऐसे आयोग को देश का दौरा करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में दो या चार वर्षों का समय लग सकता है।

हमने यह मामला राज्य सरकारों को परामर्श के लिये भेजा है क्योंकि हम सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये। राज्यों से भी इस बात का विरोध नहीं हुआ है। तथापि इस आयोग के निर्देश पदों के व्यापक होने के कारण राज्यों को इस सम्बन्ध में कुछ समय लग रहा है।

अभी तक ९ राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी सहमति नहीं दी है। ये राज्य इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। उक्त राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है तथापि अपना मत भी नहीं दिया है।

इस सम्बन्ध में भारतीय गन्ना समिति और भारतीय पटसन समिति जो कि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन हैं, उनसे भी उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। सामुदायिक विकास मन्त्रालय भी इस बात से सम्बन्धित है। कुछ राज्यों ने कहा है कि निर्देश पद के अधीन कम से कम २४ विषय आने चाहियें। इसके अन्तर्गत आने वाले विषयों की संख्या बढ़ भी सकती है। सरकार इस बात को अस्वीकार नहीं करना चाहती है अपितु वे चाहते हैं कि इसके लिये कोई उचित समय की तलाश की जाय। इस कार्य में कम से कम पांच वर्ष का समय लगेगा। इसकी सिफारिशें भी केवल पांच दस वर्ष तक ही कायम नहीं रहेंगी अपितु तब तक चलेंगी जब तक कि कोई दूसरी स्थिति न पैदा हो जाये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये परिवर्तनों के अलावा हमने "पैकेज प्रोग्राम" आरम्भ किया है। हमने इसे आरम्भ करने के लिये आयोग की प्रतीक्षा नहीं की है। वस्तुतः आयोग की योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है। निस्सन्देह आयोग योजनाओं के सम्बन्ध में अपना मत देगा तथापि उनका कार्य योजनाओं से भी अधिक बुनियादी प्रकार का है।

अतः मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कृषि आयोग के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह आयोग इस प्रकार का होना चाहिये कि वह सभी समस्याओं का अध्ययन करे, भले ही उसमें कितना ही समय क्यों न लगे।

[श्री स० का० पाटिल]

कभी कभी कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं, कभी अभाव की कठिनाई होती है तो कभी आधिक्य की। ये कठिनाइयां इस कारण पैदा होती हैं कि हम कुछ बातें करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ मैं किसानों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहता था। फल यह हुआ कि गहन खेती करने के द्वारा प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के स्थान पर ४,००,००० अधिक एकड़ में गन्ने की खेती की गयी। यह मनुष्य का स्वभाव ही है। वस्तुतः भारत जैसे बड़े देश के लिये ३५ करोड़ एकड़ भूमि के लिये एक रूप नीति बनाना बहुत कठिन है। इस बात का निश्चय करने में कि किस अनाज के लिये कितनी भूमि छोड़ी जाय, तथा प्रति एकड़ उत्पादन वृद्धि किस प्रकार हो सकती है इसमें बहुत समय लगेगा। यह बात केवल कृषि आयोग नियुक्ति से नहीं हो सकती है। यह बात प्रयोगों द्वारा या किसानों में जाग्रति पैदा करके की जा सकती है। यद्यपि यह सब बातें देश के लिये नई हैं तथापि हमें इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम देख चुके हैं कि पिछले १८ महीनों में कितनी प्रगति हुई है।

अतः मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि कृषि आयोग भी उपयुक्त समय पर नियुक्त कर दिया जायेगा। राज्यों से मत प्राप्त होने पर हम निर्देश पद स्थिर कर सकते हैं और उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं। कृषि आयोग में ऐसे व्यक्ति रहने चाहियें जो कि कृषि के सम्बन्ध में निष्णात हैं और जो उस विषय पर ऐसी राय दे सकते हैं जैसी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। वे इस बात का गहराई से अध्ययन कर ऐसी सिफारिशें करेंगे जिनका दीर्घकालीन प्रभाव होगा।

अंत में मैं फिर यह बताना चाहता हूं कि सरकार सिद्धान्ततः आयोग की नियुक्ति से सहमत है। हम केवल राज्यों से मतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उपयुक्त अवसर की राह देख रहे हैं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार १२ अप्रैल १९६१/ २२ चैत्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१
२१ चैत्र, १८८३ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४८३५—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४३३	उर्वरकों का उत्पादन	४८३५–३६
१४३४	छोटी कारों का उत्पादन	४८३६—३८
१४३५	उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना]	४८३९—४१
१४३६	मकान और भवन निर्माण विशषज्ञों का दौरा	४८४१
१४३८	कलकत्ता में कागज निर्माण परियोजना	४८४१
१४३९	कागज का कारखाना	४८४२—४४
१४४०	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	४८४४—४६
१४४१	विकिरण के चिकित्सा सम्बन्धी उपयोग	४८४६—४८
१४४४	"इण्डिया विद एण्ड विद आउट मिरेकल्स" नामक पुस्तक	४८४८—५१
१४४५	ओखला और राजकोट में नमूने की मशीनों आदि का उत्पादन करने व प्रशिक्षण देने के केन्द्र	४८५१—५३
१४४६	केन्द्रीय सूचना सेवा	४८५४—५६
१४४७	दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में रोजगार	४८५६—५८
१४५१	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	४८५८–५९
१४५२	नीम्बू घास तेल	४८५९–६०
१४५३	फिल्म संस्था	४८६०—६२
१४५४	दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में रजिस्टर्ड प्रविधिक कर्मचारी	४८६२—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४३७	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के लिये पानी के पाइप	४८६२–६३
१४४२	बर्मा में भूमि का राष्ट्रीयकरण	४८६३–६४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४४३ बीकानेर में खादी प्रतिष्ठान . . . ४८६४
१४४८ हथकरघा बुनकरों के लिये गृह-निर्माण . . . ४८६४
१४४९ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ४८६४--६५
१४५५ पश्चिम बंगाल में अलौह धातुओं की वस्तुएं तैयार करने वाले कारखाने ४८६५--६६
१४५६ मक्खन निकले दूध का आयात . . . ४८६६
१४५६ तिब्बती शरणार्थी ४८६७--६८
१४५८ ट्रैक्टरों का आयात ४८६८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०३६ पंजाब में नये उद्योगों के लिये लाइसेन्स . . . ४८६८
३०३७ प्लास्टिक का उत्पादन ४८६९
३०३८ महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग ४८६९
३०३९ महाराष्ट्र में खादी का उत्पादन ४८६९
३०४० मध्य प्रदेश में अम्बर चर्खे का विकास . . ४८६९
३०४१ महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . . . ४८७०
३०४२ पश्चिमी बंगाल में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . ४८७०
३०४३ महाराष्ट्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना . . . ४८७०--७१
३०४४ बेरोजगारी ४८७१
३०४५ भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन ४८७१--७२
३०४६ फलों का निर्यात ४८७२
३०४७ मेंढक के माँस का निर्यात ४८७२
३०४८ बिना पारपत्रों के ही विदेशों को यात्रा करने वाले भारतीय . ४८७२
३०४९ शिमला में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रति-
करात्मक भत्ता . . . ४८७३
३०५० नेपाल की विदेश नीति . . . ४८७३
३०५१ अफगानिस्तान से मेवों का आयात ४८७४
३०५२ प्रोफेसर महालनोबीस के सुझाव ४८७४--७५
३०५३ मद्रास में बिजली से चलने वाले अधिकृत और अनधिकृत करघे ४८७५
३०५४ कलकत्ता में बल्जियम का वाणिज्य-दूतावास . ४८७५--७६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०५५ शराब का आयात ४८७६
३०५६ एकीकृत फोटो एकक द्वारा लिये गये फोटोग्राफ के प्रिंट ४८७६
३०५७ सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के लिये जमीन . . ४८७७
३०५८ पारपत्र जारी करना ४८७७
३०५९ ग्रामोद्योगों की बनी वस्तुओं का निर्यात . . ४८७७–७८
३०६० जूतों का निर्यात ४८७८
३०६१ राजकुमार सुवन्ना फूमा की भारत यात्रा ४८७८
३०६२ तीसरी पंचवर्षीय योजना ४८७८–७९
३०६३ दादरा और नागर हवेली . . . ४८७९
३०६४ गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली . . . ४८७९–८०
३०६५ गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली . . ४८८०
३०६६ केरल में सुगन्धित तेलों का कारखाना . ४८८०
३०६७ मोती बाग–२ नई दिल्ली . . . ४८८१
३०६८ विज्ञापन और विपणन विशेषज्ञों का सम्मेलन . . . ४८८१
३०६९ नागपुर में छोटे पैमाने के उद्योग . . ४८८१–८२
३०७० भूटान से आये तिब्बती शरणार्थी . . . ४८८२
३०७१ चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी ४८८२–८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४८८३–८४

(१) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५१ में प्रकाशित काफी (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . ४८८४

एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

याचिका—उपस्थापित . . . ४८८४

श्री अर्जुनसिंह भदौरिया ने वित्त विधेयक, १९६१ के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित की ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ४८९५—४९२३

१. वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

२. प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ४९२३—२६

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने कृषि आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के १७ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान तथा सामुदायिक तथा सहकार मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

GMGIPND—L S III—419 (Ai) LSD—8-6-61—125.